



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हिंदी त्रैमासिक पत्रिका

लेखापरीक्षा प्रकाश

एक सौ उनचासवां अंक (जुलाई-सितम्बर, 2024)

ASOSAI ASSEMBLY



भारत बना एसोसाई का अध्यक्ष

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

16th ASOSAI ASSEMBLY

24th September 2024

New Delhi, India



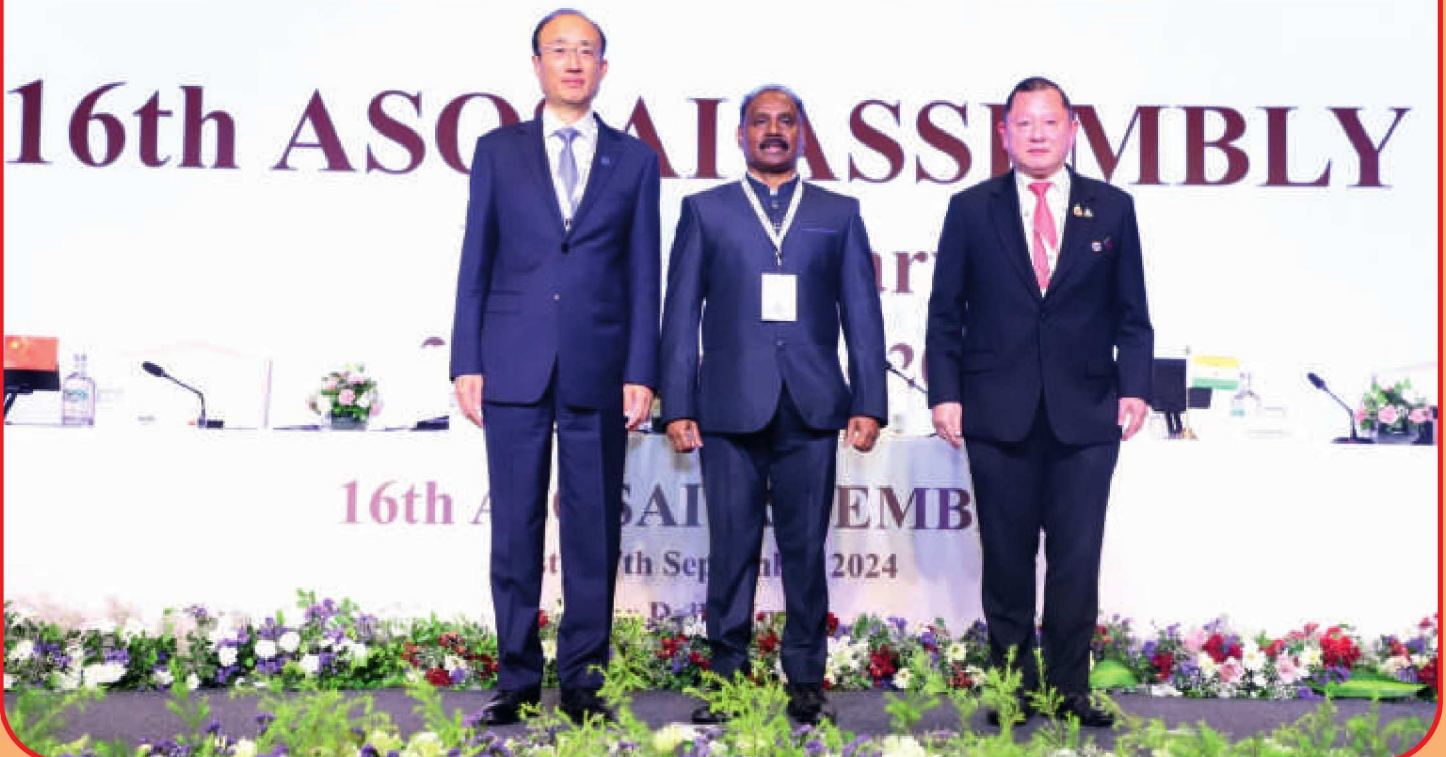
16th ASOSAI ASSEMBLY

21st - 27th September 2024

New Delhi, India



16th ASOSAI ASSEMBLY





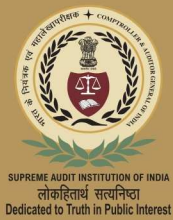
SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखापरीक्षा प्रकाश

एक सौ उनचासवां अंक

हिंदी त्रैमासिक पत्रिका
(जुलाई-सितम्बर, 2024)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली-110124



स्वत्वाधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रकाशन

“लेखापरीक्षा प्रकाश”

(त्रैमासिक हिंदी पत्रिका)

प्रकाशक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का कार्यालय, नई दिल्ली-110124

एक सौ उनचासवां अंक

(जुलाई-सितम्बर, 2024)

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक

श्री के. संजय मूर्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संरक्षक

श्री प्रमोद कुमार

अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संपादक मण्डल

प्रधान संपादक

श्री अशोक सिन्हा

महानिदेशक (राजभाषा)

संपादक

श्री अनुराग प्रभाकर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सहायक संपादक

श्री किरन पाल सिंह

हिंदी अधिकारी

रचना चयन समिति

श्री अशोक सिन्हा

महानिदेशक (राजभाषा)

श्री अनुराग प्रभाकर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

श्री किरन पाल सिंह

हिंदी अधिकारी

मुद्रक : आकांक्षा इम्प्रेसंस

ए-102, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया,
दिल्ली

मूल्य : राजभाषा के प्रति निष्ठा

लेखापरीक्षा प्रकाश

एक सौ उनचासवां अंक (जुलाई-सितम्बर, 2024)

अनुक्रमणिका

पत्रिका परिवार	2
संपादकीय	3
पाठकों से दो शब्द	4
माननीय गृह मंत्री जी का संदेश	5
संपादक के नाम पत्र	9
सरकार की राजभाषा नीति	उदय प्रताप सिंह 19
बच्चों का निजता का अधिकार	सुनीता 26
स्वस्थ बनें लोग अपनाकर आरोग्य	आरती शर्मा 28
समय के साथ बदलते रिश्ते	सचिन सिंह 31
‘शिक्षक’ समाज और राष्ट्र का वास्तविक निर्माता	डॉ. लाखा राम 32
मीडिया, बाजार और उपभोक्तावाद का त्रिकोण	प्रदीप तिवारी 35
नालवडी कृष्णराज वोडयार	सं. ग. श्रीमती 36
समाज में नारी की स्थिति: कल और आज	अनुराग प्रभाकर 38
नौरुअन्स की उत्पत्ति	बी.आर. मण्डल 41
आजकल की गर्मी	सुमित 45
आइये भविष्य (Bhavishya) को जाने.....	राजीव भाटिया 47
झरने वाली चाय	शिवम सिंह ‘शिवोहम’ 56
प्रेरक प्रसंग	अनुराग प्रभाकर 59
आज की दशा	हरभजन सिंह 63
जिंदगी का सफर	चाँद सिंह दहिया 64
ये मजबूरियाँ	विक्रम सिंह 65
हिन्दी	सुश्री पूनम शर्मा 66
फूल और कलियाँ	आलोक शर्मा 67
मुख्यालय समाचार	अनुराग प्रभाकर 70

अस्वीकरण - पत्रिका में व्यक्त विचार एवं भावनाएं लेखक के अपने हैं, अतः कार्यालय एवं संपादक मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

संपादकीय



अशोक सिन्हा

महानिदेशक (राजभाषा)

प्रिय साथियों,

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से मुझे आप सभी से संवाद स्थापित करने का सुअवसर मिलता है। इस बार हमारे पास खुशियाँ मनाने की एक से अधिक वजहें हैं जिन्हें मैं आप सब से बांटना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरफ से श्री के संजय मूर्ति जी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पद पर नियुक्त होने पर बधाई देता हूँ। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के सीएजी इस बार सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन (एसोसाई) के 2024 - 2027 की अवधि के लिए अध्यक्ष भी चुने गए हैं।

हमारा सबसे बड़ा संबल है – आपकी प्रतिक्रियाएँ, जो हमें लगातार प्राप्त होती रहती हैं। इस बार तो कुछ ज्यादा ही प्राप्त हुईं जो स्वाभाविक भी था। पत्रिका में पिछले दो अंकों में हमने जो परिवर्तन किए हैं, उसका सुपरिणाम आपकी प्रतिक्रियाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। हमारे नूतन एवं अभिनव प्रयोगों को आपने स्वीकार किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि आपकी प्रतिक्रियाओं के अनुरूप हम पत्रिका में और भी प्रासंगिक एवं उपयोगी सामग्री का समावेश करते रहें।

इस बार भी हमने पत्रिका में ऐसी ही कुछ उपयोगी सूचनापरक सामग्रियाँ सम्मिलित की हैं जिन्हें आप अवश्य ही पढ़न चाहेंगे। एक सुरक्षित भविष्य सभी सरकारी कर्मचारियों का सपना होता है। यह सपना कर्मचारी अपनी पेंशन के माध्यम से पूरा करते हैं। सरकार ने भी इस दिशा में “भविष्य पोर्टल” के नाम से एक सार्थक पहल की है। इस पोर्टल के संबंध में इस बार एक आलेख सम्मिलित किया गया है। भविष्य का आनंद तभी लिया जा सकता है जब हमारे पास एक स्वस्थ शरीर हो। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने स्वास्थ्य आधारित एक स्तम्भ की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योग के आसनो एवं उचित आहार एवं खानपान की चर्चा की गई है। पत्रिका के अंक की अवधि (जून – सितंबर – 2024) के दौरान मुख्यालय में हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से हुआ। सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के नयनाभिराम चित्र आपको इस अंक में मिलेंगे। नौरु देश की सैर कराती हुई कहानियाँ आप पिछले अंक में पढ़ ही चुके हैं, इस बार नौरु के बारे में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपके मनोरंजन के साथ शैक्षणिक रूप से भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अलावा स्थायी स्तम्भ पहले की तरह आपका मनोरंजन करेंगे।

मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही उत्साह एवं प्रेम बनाए रखते हुए इस पत्रिका के पाठक अपनी रचनाओं को पत्रिका में स्थान देने हेतु प्रेषित करते रहें एवं पत्रिका के संबंध में अपनी अमूल्य राय से पत्रिका परिवार को भी अवगत कराते रहें।

आपका शुभाकांक्षी
अशोक सिन्हा
प्रधान सम्पादक

पाठकों से दो शब्द



अनुराग प्रभाकर
वरिष्ठ प्रशासनिक
अधिकारी (राजभाषा)

पत्रिका का 149वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपका प्रेम, आपकी इस पत्रिका में रुचि एवं उत्साह पत्रिका की थाती रही है। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमारी प्रेरणास्रोत रही हैं जो हमारी प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा देती हैं। इसी कारण से अपने पिछले कुछ अंकों में पत्रिका में नए स्तम्भ शुरू किए गए हैं जिसे आप सभी ने हाथों हाथ लिया। यह इस तथ्य का द्योतक है कि राजभाषा हिन्दी का प्रयोग आप सभी के लिए स्वाभाविक होता जा रहा है। लेखों, कविताओं, कहानियों की विविधताएँ इस पत्रिका की विशेषता है जिसका श्रेय आप को जाता है। विगत कुछ महीनों में पत्रिका

परिवार में अच्छी वृद्धि हुई है और राजभाषा की इस पत्रिका के लिए यह एक शुभ संकेत है। हम प्रयास करेंगे कि आगामी अंकों से कुछ और नए उपयोगी स्तम्भों का समावेश इस पत्रिका में किया जाए। पत्रिका परिवार में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं प्रगति की कामना के साथ आप सभी मेरा सप्रेम नमस्कार.....

आपका ही

अनुराग प्रभाकर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

पत्रिका में अपनी रचनाएं प्रकाशित करने हेतु लेखकों के लिए अनुदेश

1. रचना वर्ड सॉफ्ट कॉपी में ही भेजी जाए। यदि भौतिक प्रति भेजी जा रही है तो मंगल फॉन्ट में फॉन्ट साइज़ 12 रखते हुए पृष्ठ के एक ओर टंकित करके निम्न पते पर भेजें।
संपादक 'लेखापरीक्षा प्रकाश', 10, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. कृपया लेख के साथ मौलिकता प्रमाणपत्र, कार्यालय व अनुभाग का नाम तथा अपना फोटो भी संलग्न करें।
3. ईमेल से भेजते समय अपना नाम, पदनाम एवं विस्तार/मोबाइल संख्या का भी उल्लेख अवश्य करें।
4. यदि पत्रिका के वर्तमान अंक के लिए पर्याप्त रचनाओं की संख्या प्राप्त हो चुकी हो तो उसी रचना को अगले अंक के लिए आरक्षित कर लिया जाता है। अतः लेखकों से निवेदन है कि अपनी रचना के प्रकाशन के संबंध में अनावश्यक पूछताछ न करें।
5. संभव हो तो संबंधित पत्र व्यवहार भी राजभाषा में करने का प्रयास करें।
6. सॉफ्ट कॉपी में रचना भेजने का पता :— ईमेल: **anuragp.cag@cag.gov.in**; Whatsapp : **9402275468**

आशा है आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखेंगे।



हिंदी दिवस 2024
के अवसर पर
माननीय गृह मंत्री जी
का संदेश



राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियो!

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक, देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर-हिंदीभाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों-नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, गुरु नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर आज तक कई साहित्यकारों व भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोकभाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन-वादन के द्वारा इस भाषा के आदिरूपों को जन-जन तक पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुँमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो

रही है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगाँठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना चाहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय **अटल बिहारी वाजपेयी जी** ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्घरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वाँ खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही, राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' का निर्माण भी किया है।

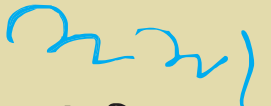
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह, मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम!

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2024


(अमित शाह)



राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार



संपादक के नाम पत्र

पठनीय रचनाएँ

आदरणीय महोदय/महोदया,

मुख्यालय द्वारा प्रेषित गृह पत्रिका “लेखापरीक्षक प्रकाश” के 147-148वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के सृजनात्मक उत्थान हेतु समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रयास अति सराहनीय है।

पत्रिका का यह अंक साज-सज्जा एवं मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक एवं मनोहारी बन पड़ा है साथ ही पत्रिका में समाविष्ट रचना “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जनजातीय शिक्षा”, “विषय : वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय भाषाओं की भूमिका” एवं “हिंदी-विमर्श” ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी एवं पठनीय हैं। पत्रिका में समाविष्ट अन्य सभी रचनाएँ अत्यंत प्रेरक, रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक अभिनन्दन एवं शुभकामनाएँ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ

रोचक व ज्ञानवर्द्धक रचनाएँ

महोदय,

मुख्यालय की पत्रिका “लेखापरीक्षा-प्रकाश” का 146वां अंक ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ। “लेखापरीक्षा-प्रकाश” पत्रिका के इस

अंक के प्रेषण के लिए सहर्ष धन्यवाद। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ सदैव की भाँति पठनीय, प्रभावशाली रोचक, प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक हैं। इस पत्रिका में समाहित सभी रचनाओं के मध्य छायाचित्र अत्यंत सार्थक हैं। इस अंक में हमारे कार्यालय के तीन कर्मिकों की कविताएँ प्रकाशित करने हेतु सादर धन्यवाद।

इस पत्रिका में विशेषकर लेख के अंतर्गत श्री गोपेश कुमार लिखित “विकास की दौड़ में मानवनिर्मित आपदाओं का बढ़ता खतरा” श्री अंकित कुमार ठाकुर द्वारा रचित “कहीं देर न हो जाए” जानकारी पूर्ण एवं विचारणीय लेख है एवं श्री लोकेश चंद्र लाल लिखित कहानी “ख्वाहिश”, श्री विभाष रंजन मंडल की कहानी “जीवन रेल” एवं श्री आशिष द्वारा रचित कहानी “तीमारदार” पठनीय एवं रोचक हैं। कविता “जंगल के दो समानांतर दृश्य”, “अंजान शहर”, “डॉ भीमराव अंबेडकर” तथा मुख्यालय की “अंधियारों में दीप जलाए हम” बहुत सुंदर हैं।

पत्रिका के निरंतर श्रेष्ठ प्रकाशन एवं सम्पादन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाईयाँ। पत्रिका के निरंतर प्रगति हेतु कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र,

सिविल लाईन्स, नागपुर – 440 001

मनमोहक साज-सज्जा

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में ई-मेल से प्राप्त पत्र सं. 55-रा.भा.अ.-2018-I/536, दिनांक 26.09.2024 के अंतर्गत त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका ‘लेखापरीक्षा प्रकाश’ के 146वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सादर धन्यवाद। तृतीय ऑडिट दिवस एवं 31वां

महालेखाकार सम्मेलन के चित्रों से सज्जित पत्रिका का आवरण पृष्ठ आकर्षक है। साथ ही अन्य चित्र एवं सम्पूर्ण साज-सज्जा सुंदर, मनमोहक एवं विषयानुकूल है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचक, ज्ञानवर्धक, पठनीय एवं सराहनीय हैं।

रचनाओं में विशेषतः श्री गोपेश कुमार का लेख 'विकास की दौड़ में मानव निर्मित आपदाओं का बढ़ता खतरा', श्री अतुल कुमार का लेख 'विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग' श्री लोकेश चंद्र लाल की कहानी 'ख्वाहिश', श्री राकेश गोदारा की कविता 'मुसाफिर' तथा श्री अनुराग श्रीवास्तव की कविता 'बूढ़ा बरगद' ज्ञानवर्धक एवं प्रशंसनीय रचनाएँ हैं।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु समस्त रचनाकार तथा संपादक मंडल को बधाई सहित पत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएँ।

इसे उप महालेखाकार (प्रशासन) महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,
यशवंत वर्मा, हिन्दी अधिकारी
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (ले व ह)
छत्तीसगढ़, रायपुर

सराहनीय रचनाएँ

महोदय,

मुख्यालय से प्रकाशित त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "लेखापरीक्षा-प्रकाश" के 146वें अंक का ई-संस्करण प्राप्त हुआ, सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषकर श्री बिभाष रंजन मंडल, महानिदेशक (पश्चिम क्षेत्र) की रचना "जीवन रेल", श्री अनुराग प्रभाकर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की रचना "शिमला: एक यादगार सफर", श्री राकेश गोदारा, की रचना "मुसाफिर", श्री अतुल कुमार, लेखापरीक्षक की रचना "विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग" तथा श्री लोकेश चन्द्र लाल, वरिष्ठ अनुवादक की रचना "ख्वाहिश" उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं।

पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस पत्र को राजभाषा अधिकारी/वरि. उपमहालेखाकार (प्रशासन) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,
हिन्दी अधिकारी
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,
महाराष्ट्र, नागपुर – 440 001

उच्च कोटि की रचनाएँ

महोदय,

संदर्भित पत्र के साथ त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "लेखापरीक्षा-प्रकाश" के 146वें अंक के ई-संस्करण की प्रति ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई। पत्रिका प्रेषण हेतु सादर आभार। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा अत्यंत आकर्षण व मनमोहक है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ उच्चकोटि की हैं। रचनाओं के मध्य छाया चित्र भी अत्यंत सार्थक एवं विषयानुकूल हैं। पत्रिका के 146वें अंक में संकलित श्री करण सेवदा द्वारा रचित लेख 'शिक्षा और संस्कार: वर्तमान के बदले हुए परिवेश में' शिक्षा के साथ-साथ संस्कार के महत्व से अवगत करवाता है। श्री अतुल कुमार का लेख 'विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग' विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिन्दी की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। श्री लोकेश चंद्र लाल ने 'ख्वाहिश' कहानी के माध्यम से मनुष्य की अपूर्ण ख्वाहिश के पूर्ण होने वाली खुशी एवं आनंद को अत्यंत सुंदरता से दर्शाया है। डॉ. लाखा राम ने अपने लेख 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: महिलाओं के संघर्ष और सशक्तिकरण का स्मरण' में महिलाओं की वर्तमान स्थिति एवं उनके सशक्तिकरण की भावी आवश्यकताओं को बड़ी ही सुंदरता से उजागर किया है एवं श्री अनुराग प्रभाकर ने अपने लेख 'शिमला: एक यादगार सफर' में शिमला के इतिहास एवं उसकी असीम सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया है।

उत्कृष्ट श्रेणी के संयोजन एवं संपादन के लिए संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई तथा हिन्दी भाषा

के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयासरत आपकी पत्रिका “लेखापरीक्षा-प्रकाश” के उज्ज्वल भविष्य के लिए ‘सुगन्धा’ परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं।

यह पत्र प्रधान महालेखाकार महोदया की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पंजाब, चंडीगढ़ – 180 017

उच्च श्रेणी की रचनाएँ

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 146वें अंक की ई-पत्रिका की प्राप्ति हुई है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ बड़ा ही आकर्षक बना है एवं पत्रिका में निहित सभी रचनाएँ उच्च श्रेणी की हैं। विशेषकर “आत्मनिर्भर भारत”, “विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग”, “बदला मानव”, “नारी” आदि रचनाएँ अत्यंत ही उच्च श्रेणी की हैं।

पत्रिका के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड,
रांची

मौलिक सोच और अभिव्यक्ति की गहनता

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिन्दी पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी

रचनाएँ पठनीय और रुचिकर हैं, विशेषकर सुखी जीवन की कुंजी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जनजातीय शिक्षा, भारतीय रेल: (रेल हिल से वन्दे भारत तक का सफ़र), विद्यार्थी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य आदि। पत्रिका में मौलिक सोच और अभिव्यक्ति की गहनता समाहित हैं। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के उत्थान हेतु आपके द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है।

आशा है पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य और आगामी अंक के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

भवदीय,
हिन्दी अधिकारी (हिन्दी कक्ष)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हरियाणा, प्लॉट नं. 5, सैक्टर 33-बी,
दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 020

रचनाओं एवं सामग्री का कुशल समावेश

महोदय,

मुख्यालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका ‘लेखापरीक्षा प्रकाश’ के 147-148 वें संयुक्तांक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका की साज-सज्जा एवं इसका नूतन स्वरूप मनोहर है। इसमें समाहित सभी रचनाएँ पठनीय एवं आकर्षक हैं। संपादक मण्डल द्वारा रचनाओं का चयन एवं सामग्री का समावेश कुशलता से किया गया है। अशोक सिन्हा जी की “भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं, विकास, सरकारी नीतियां तथा चुनौतियाँ”, मुनीष भाटिया जी की “सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणियाँ”, योगेश कुमार मिश्र जी की “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जनजातीय शिक्षा”, संदीप कुमार पाठक जी की “वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय भाषाओं की भूमिका”, करुणाकर साहू जी की “यूनेस्को मान्यता प्राप्त कोलकाता की दुर्गा पूजा”, पीयूष कुमार जी की “आकांक्षाओं का बोझ” एवं अनुराग प्रभाकर जी की “नई शुरुआत” रचनाएँ विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं।

पत्रिका में शामिल कविताएँ पत्रिका की शोभा बढ़ाते हैं। महिला दिवस की झलकियाँ प्रेरणादायक लगीं। यूपीएससी टॉपर श्री आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी को पुनः बधाई। पत्रिका के अंत में, “सीएजी- सुर्खियों में” देखकर अच्छा व प्रेरणाप्रद लगा। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आशा है कि आपकी पत्रिका ‘लेखापरीक्षा प्रकाश’ इसी तरह प्रगति की ओर अग्रसर रहेगी।

भवदीय,
(नरेंद्र सिंह खंगारोत)
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (राजभाषा अनुभाग)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)
राजस्थान, जयपुर

संपादक मण्डल को सहस्र अभिनंदन

महोदय,

आपके कार्यालय की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका लेखापरीक्षा प्रकाश के 146 अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ अत्यंत मनमोहक है और आंतरिक साजसज्जा भी आकर्षक है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ अत्यंत प्रेरणादायक, रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। श्री करण सेवदा द्वारा रचित लेख ‘शिक्षा और संस्कार वर्तमान के बदले हुए परिवेश में’, श्री अतुल कुमार द्वारा रचित लेख ‘विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग’ एवं डॉ. लाखा राम द्वारा रचित लेख ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: महिलाओं के संघर्ष एवं सशक्तिकरण का स्मरण’ उल्लेखनीय हैं। वैविध्यपूर्ण एवं चित्तरंजक विषयों के चयन तथा श्रेष्ठ संकलन के लिए संपादक मण्डल को सहस्र अभिनंदन!

हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी)
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा – द्वितीय)
केरल, तिरुवनंतपुरम

हिन्दी के प्रचार प्रसार में उपयोगी रचनाएँ

महोदय/महोदया,

आपके पत्र सं.573-रा.भा.अ./2018-1, दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 147-148वें अंक की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हुई।

पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा एवं संरचना आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ विशेष रूप से श्री प्रशांत प्रखर की रचना “सुखी जीवन की कुंजी”, श्री पीयूष कुमार की रचना “आकांक्षाओं का बोझ”, श्री अनुराग प्रभाकर की रचना “नई शुरुआत”, सुश्री पूनम पाहूजा की रचना “विद्यार्थी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य” इत्यादि सराहनीय है। आशा है कि यह पत्रिका हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

यह पत्रिका निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें, इसी शुभकामना सहित आपकी पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” की उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

भवदीय,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1),
पश्चिम बंगाल ट्रेजरी बिल्डिंग्स,
2, गवर्मेन्ट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता 700 001

उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ

महोदय,

मुख्यालय से प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 147-148 वें अंक का ई-संस्करण प्राप्त हुआ, सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषकर श्री अशोक सिन्हा, महानिदेशक (राजभाषा) की रचना

“भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं, विकास, सरकारी नीतियाँ और चुनौतियाँ”, श्री महेश म. जयसिंघाणी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी की रचना “लोकतंत्र जनता की शक्ति का महत्वपूर्ण स्तंभ”, श्री उदय प्रताप सिंह, हिंदी अधिकारी की रचना “रिशतों का रसायन”, श्री किरन पाल, हिंदी अधिकारी की रचना “अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखापरीक्षा केंद्र राजकोट, गुजरात”, श्री करुणाकार साहू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की रचना “यूनेस्को मान्यता प्राप्त कोलकाता का दुर्गा पूजा”, श्री पीयूष कुमार, सहायक प्रशासन अधिकारी की रचना “आकांक्षाओं का बोझ”, श्री अनुराग प्रभाकर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की रचना “नई शुरुआत”, श्री एम. साल्वे, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की रचना “कोई आवारा न मिला” तथा उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं।

पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया,
हिंदी अधिकारी
कार्यालय- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,
महाराष्ट्र, नागपुर – 440001

पत्रिका का आकर्षक कलेवर

महोदय,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका ‘लेखापरीक्षा प्रकाश’ का 147-148वां अंक प्राप्त हुआ। इसके लिए सादर धन्यवाद।

पूर्व की भांति इस पत्रिका का कलेवर एवं शाज-सज्जा आकर्षक है। पत्रिका में सम्मिलित समस्त रचनाएं सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी पत्रिका एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं विशेष रूप से सुखी जीवन की कुंजी, लोकतंत्र जनता की शक्ति का महत्वपूर्ण स्तम्भ, आकांक्षाओं का बोझ, हिंदी विमर्श, विद्यार्थी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य, कोई आवारा न मिला, नित्य करो परमेश्वर के दर्शन एवं

ऐसा न हो पठनीय, रुचिकर एवं सराहनीय है। यत्र पत्रिका निःसंदेह बेहद प्रभावशाली है।

पत्रिका के बेहतरीन संपादन हेतु संपादन मंडल एवं रचनाओं को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सलाहकार
क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
20, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज – 211 001

प्रशंसनीय रचनाएं

महोदय,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका ‘लेखापरीक्षा प्रकाश’ का 146वां अंक प्राप्त हुआ। इसके लिए सादर धन्यवाद।

पत्रिका का कलेवर एवं साज-सज्जा आकर्षक है। पत्रिका में सम्मिलित समस्त रचनाएं प्रशंसनीय हैं। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी पत्रिका उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं विशेष रूप से ‘शिक्षा और संस्कार’ वर्तमान के बदले हुए परिवेश में, समाज के कालसापेक्ष दंश, कहीं देर न हो जाए, अंजान शहर, बूढ़ा बरगद एवं जिम्मेदारी पठनीय, रुचिकर एवं सराहनीय हैं। यह पत्रिका निःसंदेह बेहद प्रभावशाली है।

पत्रिका के बेहतरीन संपादन हेतु संपादन मंडल एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सलाहकार
क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
20, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज – 211 001

मनमोहक छायाचित्र

महोदय/महोदया,

मुख्यालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के 146वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र अत्यंत ही मनमोहक है। प्रस्तुत अंक में प्रकाशित सभी रचनाएँ सूचनापरक, प्रेरणादायी, ज्ञानवर्धक हैं। विशेष रूप से पत्रिका की रचनाएँ – विकास की दौड़ में मानव निर्मित आपदाओं का बढ़ता खतरा, दीपावली का बोनस, कहीं देर न हो जाए और आत्मनिर्भर भारत, मुसाफिर, नारी जैसी अन्य सभी रचनाएँ भी भावपूर्ण एवं सार्थक है। अलग-अलग विषयों को एक ही पत्रिका में शामिल करना सराहनीय है।

'लेखापरीक्षा प्रकाश' का 146वां अंक देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार करने में सहायक है। इस पत्रिका को सफल बनाने वाले सभी सदस्यों को सहर्ष धन्यवाद एवं पत्रिका के अगले अंक के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ का.स्था एवं हिन्दी कक्ष
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, चेन्नै
शाखा कार्यालय, कोच्ची, गोल्डन जूबिली रोड,
कलूर, कोच्ची – 682017

सृजनात्मकता को बढ़ावा देती रचनाएँ

महोदय,

"लेखापरीक्षा-प्रकाश" के 147-148^{वें} अंक का ई-संस्करण अग्रेषित करने हेतु सहर्ष धन्यवाद। इस पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ हमारे भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सदस्यों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। सभी रचनाएँ सुरुचिपूर्ण तथा ज्ञानप्रद हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं इसमें प्रकाशित छायाचित्र अत्यंत आकर्षक हैं। पत्रिका का कलेवर भी अत्यंत लुभावना है एवं

पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख, कहानियाँ, कविताएँ, गजलें एवं यात्रा वृत्तांत भावपूर्ण, सार्थक तथा मन को छू लेने वाली है। कार्यालय में सन्तुष्ट विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्रों से पत्रिका की शोभा बढ़ी है।

इस पत्रिका के प्रकाशन में योगदान देने वाले पदधारियों एवं संपादक मंडल को बधाइयाँ एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ।

(इसे निदेशक/प्रशासन के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।)

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै – 600018

पत्रिका के लक्ष्य प्राप्ति की कामना

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" का 146वाँ अंक प्राप्त हुआ, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ अत्यंत मनमोहक है तथा इसकी आंतरिक साज-सज्जा भी आकर्षक है।

पत्रिका में समाहित सभी लेख, कविता, कहानी, संस्मरण आदि ज्ञानवर्धक और रोचक हैं। श्री अंकित कुमार ठाकुर की "कहीं देर न हो जाए", श्री विभाष रंजन मंडल की "जीवन रेल", श्री जे. जे. श्रीवास्तव की "दीपावली की बोनस", विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सारांशतः राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में इस पत्रिका ने अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया है। पत्रिका भविष्य में भी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, ऐसी कामना है।

भवदीय,

व. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
महानिदेशक (खान) लेखापरीक्षा कोलकाता
पश्चिम बंगाल

पत्रिका की प्रगति हेतु शुभकामनाएँ

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके कार्यालय पत्र ईमेल दिनांक 12.07.2024 को संज्ञान में लें। इस संबंध में आपके कार्यालय से हिन्दी पत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के 145वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, जिसके लिए यह कार्यालय आपका आभारी है।

पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। 'सकारात्मक सोच का मानव जीवन पर प्रभाव', 'परिवार सहित मेरी पहली हवाई यात्रा', 'चरित्रहीन', 'संजीवनी' आदि रचनाएं विशेष रूप से पठनीय एवं रुचिकर हैं। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल को बधाई एवं इसकी प्रगति और अगले अंक के प्रकाशन हेतु शुभकामनाएँ।

यह पत्र उप-निदेशक द्वारा अनुमोदित है।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग) मुम्बई शाखा,
नव भवन, आर के मार्ग, बल्लार्ड इस्टेट, मुम्बई

उच्चकोटि की ज्ञानप्रद रचनाएँ

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र सं. 573-रा.भा.अ./2018-I दिनांक- 16.10.2024 के साथ संलग्न 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के 147-148वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद।

इस ई-पत्रिका की सभी रचनाएं अनन्यतः प्रेरणाप्रद, सुपाठ्य, संग्रहणीय, उच्चकोटि के तथा ज्ञानप्रद हैं। पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में से श्री योगेश कुमार मिश्र का लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जनजातीय शिक्षा', श्री संदीप कुमार पाठक का लेख 'वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय भाषाओं की भूमिका', श्री करुणाकार शाहु का लेख 'यूनेस्को मान्यता प्राप्त कोलकाता की दुर्गा

पूजा', श्री संदीप की कविता 'वो पापा कहलाता है', सुश्री आरती शर्मा द्वारा रचित कविता 'नित्य करो परमेश्वर के दर्शन', आदि विशिष्ट रूप से सराहनीय हैं।

पत्रिका के सफल संपादन एवं प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

निदेशक (प्रशासन)

महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, केन्द्रीय, कोलकाता
जि आई प्रेस बिल्डिंग, 8, किरण शंकर राय रोड,
कोलकाता – 700001

सराहनीय कलेवर एवं रूपांकन

महोदय,

उपर्युक्त पत्रों द्वारा मुख्यालय की त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के 146वें, 147वें व 148वें (संयुक्तांक) अंकों के ई-संस्करण प्राप्त हुए, एतदर्थ धन्यवाद। इन अंकों में समाहित लेख, कहानी, कविताएँ, यात्रा वृत्तांत आदि सभी रचनाएँ उच्च कोटि की हैं।

इस पत्रिका के 146वें अंक में प्रकाशित रचनाओं में डॉ. लाखा राम द्वारा रचित "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: महिलाओं के संघर्ष और सशक्तिकरण का स्मरण", श्री अनुराग प्रभाकर रचित "शिमला: एक यादगार सफर", श्रीमती समन्त का लेख "शिक्षक दिवस", श्री बिभाष रंजन मंडल द्वारा रचित कहानी "जीवन रेल" सुश्री रिचा कुमारी द्वारा रचित कविता "अंजान शहर", श्री सैयद इकबाल अली द्वारा रचित कविता "डॉ. भीमराव राव अंबेडकर" और श्री विक्रम सिंह की कविता "मेरी माँ सबसे प्यारी" आदि विशेषकर प्रशंसनीय हैं।

पत्रिका का संपादन, कलेवर एवं रूपांकन सराहनीय हैं। इस पत्रिका को उच्च स्तरीय एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु उपयोगी बनाने में योगदान देने वाले सभी रचनाकार एवं इस पत्रिका का संपादक मंडल विशेष बधाई के पात्र हैं। पत्रिका की अनवरत प्रगति के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

“लेखापरीक्षा प्रकाश” के 146वें, 147वें अंकों के ई-संस्करणों का लिंक इस कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिचालित किया गया है।

यह महालेखाकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,
हिन्दी अधिकारी

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय,
तिरुवनन्तपुरम – 695001

पत्रिका नवचेतना की प्रतीक

महोदय,

मुख्यालय की त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 147-148 वें संयुक्तांक के ई-संस्करण की प्रति प्राप्त हुई, तद्देतु धन्यवाद। इस पत्रिका में संगृहीत सभी रचनाएँ प्रभावशाली रोचक एवं उच्चकोटि की हैं। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के सृजनात्मक उत्थान हेतु आपके द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। संपादक मंडल इस पत्रिका के बौद्धिक मूल्यों में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अथक रूप से प्रयास कर रहा है, इसी के परिणाम है कि पत्रिका का प्रत्येक अंक निरंतर नवचेतना का तत्व लिए प्रकाशित हो रहा है। यह पत्रिका नवचेतना की प्रतीक है।

पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित श्री किरणपाल सिंह का लेख ‘चैडविक हाउस: नेवीगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय’, श्री प्रशांत प्रखर का लेख ‘खुशी जीवन की कुंजी’ और सुश्री ऋचा का लेख ‘भगवद गीता में आत्मप्रबंधन पर एक चर्चा’ विशेष रूप से सराहनीय हैं।

पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,

डॉ. सुभाष चंद यादव

हिन्दी अधिकारी / राजभाषा

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर

पत्रिका की सुंदरता को निखारते कार्यालयीन चित्र

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के साथ आपके कार्यालय द्वारा “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 146वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में सभी रचनाएँ प्रशंसनीय हैं। विशेष तौर पर विकास की दौड़ में मानव निर्मित आपदाओं को बढ़ता खतरा, “शिक्षा और संस्कार” वर्तमान में बदले हुए परिवेश में, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग, मार्निंग वॉक, कहीं देर न हो जाए, आदि रचनाएँ सारगर्भित एवं सराहनीय हैं।

पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम है। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के कुशल तिआ सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्ज्वल हेतु शुभकामनाएँ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी कक्ष

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011

सारगर्भित रचनाएँ

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के साथ आपके कार्यालय द्वारा “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 147-148वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई,

तदर्थ धन्यवादा पत्रिका में सभी रचनाएँ प्रशंसनीय हैं विशेष तौर पर भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएँ, विकास, सरकारी नीतियाँ तथा चुनौतियाँ, सुखी जीवन की कुंजी, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखापरीक्षा केंद्र राजकोट, गुजरात, सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणियाँ, विषय: वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय भाषाओं की भूमिका, वो पापा कहलाता है, मुख्यालय समाचार, आदि रचनाएँ सारगर्भित एवं सराहनीय हैं।

पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम हैं। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के कुशल तथा सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

भवदीय,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिन्दी कक्ष
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) म.प्र.
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल- 462011

मौलिक प्रतिभा के लिए प्रेरक

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालयीन हिंदी पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” का 146वां अंक ई-मेल के द्वारा प्राप्त हुआ है। पत्रिका का यह अंक मुद्रण, सम्पादन एवं रचनाओं के चयन की दृष्टि से सराहनीय है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं साज-सज्जा सुन्दर एवं आकर्षक है। पत्रिका की सभी रचनाएँ पठनीय एवं उत्कृष्ट हैं; विशेषकर, सुश्री मैशर जहां की “एक लड़की”, श्री एम. कोदंडराम की “प्रतीक्षा”, राकेश गोदारा की “मुसाफिर”, अंकित कुमार ठाकुर की “कहीं देर न हो जाए” रचनाएं अत्यधिक प्रशंसनीय हैं।

आशा है कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हिंदी मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक की भूमिका निभाएगी।

पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मंडल बधाई का पात्र है। पत्रिका इसी प्रकार निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, सही हमारी शुभकामना है।

भवदीय,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन
महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार – 800001

विषयानुकूल छायाचित्र

महोदय,

राजभाषा पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 146 वें अंक को पढ़ने एवं पी.डी.एफ. डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त हुआ, एतदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका में सम्मिलित की गई सभी रचनाएँ उच्चकोटि की हैं। रचनाओं के साथ सम्मिलित विषयानुकूल छायाचित्र पत्रिका को आकर्षक कलेवर प्रदान कर रहे हैं। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषतः श्री करण सेवदा जी की रचना “शिक्षा और संस्कार” वर्तमान में बदले हुए परिवेश में, श्री अतुल कुमार जी की रचना “विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग” और श्री अनुराग प्रभाकर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जी का लेख “शिमला एक यादगार सफ़र” बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है।

पत्रिका के उत्कृष्ट संकलन, सफल सम्पादन तथा प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय
वरिष्ठ लेखाधिकारी/हिन्दी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर
प्रदेश, प्रयागराज



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेख



सरकार की राजभाषा नीति



उदय प्रताप सिंह

हिंदी अधिकारी

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय,
कर्नाटक, बेंगलूरु-560001

तीन दिन के गहन विचार-विमर्श के पश्चात् 14 सितंबर, 1949 को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने देव नागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इसकी स्मृति में 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा बने 75 वर्ष हो चुके हैं और हिंदी राजभाषा के रूप में अपनी हीरक जयंती मना रही है। यह हीरक जयंती राजभाषा हिंदी की अस्मिता के कई आयामों को भी रेखांकित करती है। इसके साथ ही यह जयंती प्रौढ़ावस्था में पदार्पण करने वाली राजभाषा हिंदी का वास्तविक रूप, स्थिति, नाम और पहचान के लिए उसके निरंतर संघर्ष को भी परिलक्षित करती है।

सन् 1949 में 14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा संबंधी तत्कालीन भाग संविधान का भाग बन गया तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई देते हुए कहा, "आज पहली बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी। इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा"। उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा-विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। उन्होंने अपने वक्तव्य के उपसंहार में जो कहा वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा-

“यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केन्द्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक-दूसरे के निकटतर आते जाएँगे। आखिर अंग्रेज़ी से हम निकटतर आए हैं, क्योंकि वह एक भाषा थी। अब उस अंग्रेज़ी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएँ एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक् हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासम्भव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।”

सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। संविधान के 17वें भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं जिनमें अनुच्छेद 343 से 351 तक नौ अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों में हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ में सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाएगा।

अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 344 (1) संविधान के लागू होने के पाँच साल बाद 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 344(2) के अनुसार यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी कामकाज में हिंदी के क्रमिक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 344(3) के अनुसार आयोग की सिफारिशों पर राय देने के लिए **संसदीय राजभाषा समिति** का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही संसद द्वारा अनुच्छेद 343 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया।

अनुच्छेद 345 में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने यहां प्रयुक्त किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा चुन सकते हैं या चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं। अनुच्छेद 345 पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि राज्यों को अपनी राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए केंद्र की भांति 15 सालों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय अंग्रेजी की जगह सभी कार्यों के लिए किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा या राजभाषाएं अपनाने के लिए स्वतंत्र थे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं का उल्लेख है- असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोड़ो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। अनुच्छेद 346 में संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था की गई और कहा गया कि जो भाषा संघ के

सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए इस समय प्राधिकृत है वही संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए प्रयुक्त की जाएगी। संविधान बनाते समय यह भाषा अंग्रेजी थी लेकिन आपसी राय से राज्य हिंदी का प्रयोग कर सकते थे। अनुच्छेद 347 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति राज्य की मांग के आधार पर किसी भी भाषा को सरकारी कामकाज के लिए मान्यता दे सकते हैं।

अनुच्छेद 348 के खंड (1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कोई दूसरा कानून नहीं बनाती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। 348 के खंड (2) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकी सभी कार्यवाहियों के लिए हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसार यदि किसी राज्य में विधि के लिए अंग्रेजी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नियत की गई है तो राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के गजट में प्रकाशित विधियों, नियमों आदि का अंग्रेजी अनुवाद उनका प्राधिकृत पाठ होगा। अनुच्छेद 349 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 348(1) में उल्लिखित भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए यदि 1965 के पहले कानून बनाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के अधीन गठित आयोग और समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही अपनी अनुमति प्रदान करेंगे। तदनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही राजभाषा अधिनियम 1963 को संसद में पेश किया गया था।

अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन, अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी

भाषा में प्रस्तुत कर सकता है, यह शर्त जरूर है कि अगर आवेदन संघ के पदाधिकारी को लिखा गया है तो संघ में प्रयुक्त भाषाओं में से कोई एक भाषा में लिखा होना चाहिए और यदि यह किसी राज्य के अधिकारी को संबोधित है तो उस राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा में होना चाहिए। अनुच्छेद 350 (क) तथा 350 (ख) के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी के विकास के विषय में संघ सरकार को निर्देश दिए गए हैं:-

“हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाषा की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।”

संविधान बनाने वालों की यह इच्छा थी कि हिंदी भारत में इस प्रकार विकसित हो कि सबके लिए ग्राह्य हो और सभी प्रांतों के लोग इसे अपनाकर इसमें सरकारी कामकाज करें।

भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख दो जगह हुआ है, पहला संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित संघ की राजभाषा हिंदी और दूसरा अनुच्छेद 351 में अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में भी हिंदी का समावेश। संविधान में हिंदी के दोनों रूपों संघीय और प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 27 मई, 1952 को राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा और अंतरराष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया। वर्ष 1955 में राष्ट्रपति जी द्वारा एक और आदेश जारी किया गया। इस आदेश में जनता के साथ पत्र व्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्टें, सरकारी पत्रिकाओं, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें, सरकारी प्रस्तावों, हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों, संधियों, करारों, विदेशी सरकारों और उनके राजदूतों के साथ पत्राचार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्राचार आदि में अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा के प्रयोग का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग स्थापित किया गया जिसे खेर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया इस आयोग को संघ की शासकीय परियोजनाओं के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग, संघ और किसी राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा आदि पर अपनी सिफारिशें देनी थीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया जाना था जो संघ के कार्यों का मूल्यांकन करके उस पर सिफारिशें देते हुए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी तदनुसार 1957 में गृहमंत्री के प्रस्ताव पर समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। यह समिति पंत समिति के नाम से जानी जाती है, इसने 1959 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जिसमें सिफारिश की गई थी कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग सह राजभाषा के रूप में जारी रहना चाहिए।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक उपाय के संबंध में सन् 1960 में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया जिसमें अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष व्यवस्था करने के बारे में निर्देश जारी किए गए:-

1. हिंदी शब्दावली के विकास के सिद्धांत और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन।
2. प्रशासनिक संहिताओं व अन्य प्रक्रिया साहित्य का हिंदी में अनुवाद।
3. प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण देना।
4. हिंदी का प्रचार-प्रसार और विकास, अधिनियमों, विधेयकों आदि की भाषा।
5. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा।
6. विधि के क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए प्रारंभिक कदम।

खेर आयोग एवं पंत समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं और 11 उपधाराएं हैं। अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं-

1. यह अधिनियम संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए और संसद में कार्य करने के लिए अंग्रेजी के सतत् प्रयोग की अनुमति देता है।
2. यह अधिनियम संघ और राज्यों के बीच तथा एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ परस्पर पत्राचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को निर्धारित करता है।

3. यह अधिनियम संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए और संसद में कार्य करने के लिए तैयार किए जाने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:- अधिसूचनाएं, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फॉर्म, संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात।

राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन करने के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर, 1967 में एक संकल्प पारित किया जो 18 जनवरी 1968 में अधिसूचित किया गया। इसे **राजभाषा संकल्प 1968** की संज्ञा दी गई और यह संकल्प सरकार की राजभाषा नीति का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें पहली बार संसद में कार्यपालिका अर्थात् सरकार को निर्देश दिए गए कि हिंदी के प्रचार तथा विकास एवं राजकीय प्रयोजनों के लिए उसका क्रमिक प्रयोग बढ़ाने हेतु एक गहन तथा व्यापक कार्यक्रम तैयार करे और उसे कार्यान्वित करे साथ ही इस विषय में प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाए। तब से हर वर्ष गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और कार्यान्वयन की मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में कार्यालयों से कितना कार्य हिंदी में किया जाना अपेक्षित है इसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतया कार्यान्वित करने के

लिए प्रभावित किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को प्राथमिकता देते हुए और हिंदी से इतर भाषा-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987- ये नियम राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए हैं।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम 1976 है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. नियम 2 में केंद्रीय सरकार के कार्यालय, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान, हिंदी में प्रवीणता आदि की परिभाषाएं दी गई हैं। अधिनियम से अभिप्राय राजभाषा अधिनियम 1963 है। केंद्र सरकार के कार्यालय से अभिप्राय केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग तथा कार्यालय, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति, केंद्र सरकार के नियंत्राधीन, निगम, निकाय, स्थायित संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि से है। कर्मचारी से अभिप्राय केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियुक्त व्यक्ति से है और अधिसूचित कार्यालय से अभिप्राय नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय से है। हिंदी में प्रवीणता से अभिप्राय नियम 9 में वर्णित प्रवीणता से है तथा हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान से अभिप्राय नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान से है। कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों “क”, “ख” और “ग” क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

3. केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों तथा राज्यों आदि के साथ पत्राचार की व्यवस्था इस प्रकार है:-

“क” क्षेत्र के किसी राज्य या किसी व्यक्ति के साथ पत्राचार हिंदी में होगा और यदि किसी मामले में अंग्रेजी भाषा में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना होगा। “क” क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों एवं जनता के साथ सामान्य स्थिति में पत्राचार केवल हिंदी भाषा में होगा।

“ख” क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ पत्राचार हिंदी और अंग्रेजी में होगा और यदि पत्राचार अंग्रेजी भाषा में किया जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद साथ में भेजना होगा। राज्य सरकार किसी अवधि विशेष के लिए किसी वर्ग या श्रेणी विशेष का पत्राचार अंग्रेजी अथवा हिंदी में तथा अन्य भाषा में अनुवाद सहित भेजने के लिए कह सकती है और उस स्थिति में उन्हें अनुवाद भेजा जाना चाहिए। “ख” क्षेत्र के राज्य में किसी व्यक्ति के साथ पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा।

“ग” क्षेत्र की राज्य सरकारों अथवा वहां की जनता के साथ पत्राचार केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। “ग” क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार का कार्यालय “क” अथवा “ख” क्षेत्र के किसी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश को अपने पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी में भेज सकता है।

4. **केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार:-**

मंत्रालयों और विभागों के बीच पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। “क” क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के

बीच हिंदी में पत्राचार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में होगा। इसके साथ ही हिंदी पत्राचार का प्रतिशत राजभाषा विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों के अनुरूप होगा।

“क” क्षेत्र में कार्यालयों के बीच पत्राचार केवल हिंदी में होगा। अंतरक्षेत्रीय कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। “ख” अथवा “ग” क्षेत्र में कार्यालय के बीच पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा।

5. **राजभाषा नियम 1976 के नियम-5** के अनुसार सभी क्षेत्रों से हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है।
6. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) में दिए गए 14 दस्तावेजों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग में लाई जाएंगी। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:- अधिसूचनाएं, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फॉर्म, संसद के सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, एवं संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ही नियम का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
7. **अभ्यावेदन तथा आवेदन आदि की भाषा-** कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में दे सकता है। यदि ये हिंदी में हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उनका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी सेवा से संबंधित

अनुशासनिक विषय या कोई आदेश अथवा सूचना की प्रति की मांग करता है तो वह उसे बिना विलंब उसकी मांग के अनुसार उसी भाषा में दी जाएगी।

8. **हिंदी अथवा अंग्रेजी में टिप्पणी लिखना-** कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए स्वतंत्र है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें। नियम 8 (1) यदि कोई विशेष दस्तावेज विधिक प्रकृति का है अथवा तकनीकी प्रकृति का है तो इसका निर्णय विभाग अथवा उस कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। नियम 8 (2 और 3) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति के हो अन्यथा नहीं। कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं इसका निर्णय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा। राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार किसी कर्मचारी ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन संबंधित कार्यालय अधिसूचित किया जा चुका है तो यह विनिर्दिष्ट किया जा सकता है कि उस कार्यालय में कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं उनके लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।
9. **हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा-** यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा को हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया है (नियम 9-क)

या स्नातक परीक्षा अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो नियम (9-ख) या निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित प्रारूप में यह घोषणा कर दे कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

“मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित के आधार पर मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।”

नियम (9-ग)

10. **हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा-** यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है या केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्रज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण की है या अधिकारी या कर्मचारी यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तो उसे कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा।
11. **मैनुअल संहिताएं प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री आदि-** लेखन सामग्री, नाम पट्ट, पत्र शीर्ष, लिफाफे, विजिटिंग कार्ड, रबड़ की मोहरें हिंदी व अंग्रेजी में बनाए जाएंगे। साइन बोर्ड तीनों भाषाओं में क्रम से राजभाषा हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी में समान आकार के

वर्णों में होंगे। सरकारी समारोह के लिए निमंत्रण पत्र द्विभाषी होंगे। स्टॉफ कार की प्लेटों पर नाम ऊपर हिंदी में और अंग्रेजी में उसके नीचे लिखा जाएगा।

12. **अनुपालन का उत्तरदायित्व-** प्रशासनिक अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इसके लिए उन्हें उपयुक्त और प्रभावी जाँच बिन्दु बनाने चाहिए। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह राजभाषा नियमों और अधिनियम के अनुसार जारी किया गया है।

अब राजभाषा हिंदी को लेकर राजनीतिक, भाषावैज्ञानिक तथा साहित्यिक स्तर पर एक विश्लेषणात्मक विचार विमर्श चल पड़ा है। इस विचार मंथन को उसके समग्र रूपक में बांधकर उसके रचनात्मक निष्कर्षों तथा उसके स्पष्ट रूप को रेखांकित करना आवश्यक हो गया है।

राजभाषा संबंधी उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है कि हम संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए राजभाषा हिंदी को पूर्ण रूप से अपनाते हुए हिंदी में सरकारी काम-काज करें और अन्य लोगों से भी करवाएं, यही समय की मांग है। हिंदी में काम करने से ही हिंदी को राजभाषा का सही दर्जा मिलेगा जिस दर्जे पर उसका अधिकार है।

संदर्भ सूची-

1. भारतीय संविधान
2. कार्यशाला संदर्शिका (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
3. हिंदी कार्यशाला सहायिका-ठाकुर दास, जनवाणी प्रकाशन, प्रा.लि. नई दिल्ली
4. इंटरनेट विकीपीडिया

बच्चों का निजता का अधिकार

सुनीता

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक,

सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली

बच्चों को भी निजता का पूरा अधिकार है, और यह अधिकार अभिभावकों को भी नहीं है कि जब वे बाल्यावस्था में है तो उनसे संबंधी जानकारी आप सार्वजनिक करें। यही गलती बच्चों के भावी जीवन में समस्या खड़ी कर सकती है। वर्ष 2021 में एक अध्ययन से पता चला है कि 75 प्रतिशत से ज़्यादा माता-पिता अपने बच्चों के बारे में जानकारी पोस्ट करते हैं, जिसे शेयरिंग कहा जाता है। माता-पिता कई कारणों से शेयरिंग में भाग लेते हैं: क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर गर्व होता है और वे अपने परिवार और मित्रों को अपने बच्चों की उपलब्धियों और दैनिक जीवन के बारे में बताना चाहते हैं; अन्य माता-पिता से सहायता प्राप्त करना और उन्हें सलाह देना चाहते हैं; और स्मृतियों को संजोना चाहते हैं।

हालाँकि शेयरिंग कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन इससे बच्चों को सुरक्षा और व्यक्तिगत जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहचान की चोरी हो सकती है जिसे "डिजिटल अपहरण" के रूप में भी जाना जाता है। "अपराधी आपके बच्चे की छवि और साझा किए गए विवरण का उपयोग ऑनलाइन नकली प्रोफाइल और पहचान बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर वे अनधिकृत खाते खोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनके नाम से अन्य गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि कोई आपकी सहमति के बिना आपकी तस्वीरों और वीडियो का उपयोग कर रहा है, तो आपके पास उन पर मुकदमा करने का अधिकार है। इस प्रकार

के धोखेबाज हमेशा आपके बारे में छोटी-छोटी जानकारी की तलाश में रहते हैं, जिसे वे एक साथ जोड़कर धोखाधड़ी करने के लिए पहचान बना सकते हैं।

एक 14 वर्षीय लड़का जोकि अपने माता-पिता द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया है, असल में अंतर्मुखी स्वभाव का बच्चा है। उसकी माँ के गर्भावस्था के समय से ही उसके पिता अपनी पत्नी की गर्भावस्था की जानकारी से संबन्धित वीडियो बनाया करते थे। इस कार्य की शुरुआत एक अच्छे उद्देश्य के लिए हुई थी। बहुत से लोगों को छोटे बच्चों की परवरिश संबंधी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन इस दौरान हर वक़्त कैमरे के सामने रहने के कारण सोशल सोशल मीडिया पर 'सोशल' हुआ वह बच्चा असल ज़िंदगी में सामाजिक स्वभाव का नहीं है। वह जहाँ कहीं भी जाता है, लोगों की निगाहें उसका पीछा करती हैं। किशोरावस्था से पहले ही वह अनेक मानसिक और शारीरिक बदलावों से जूझ रहा है। ऐसे में स्वयं को समझने के लिए वह खुद को ही समय नहीं दे पा रहा है। घर में हर वक़्त कैमरे के सामने, स्वयं के बारे में ऑनलाइन भले-बुरे हर तरह की टिप्पणियों से घिरा वह अपनी सोशल मीडिया की इमेज से बाहर जीवन नहीं जी सकता। उसके हर छोटे-छोटे बदलाव पर लोगों की प्रतिक्रिया से उसका सार्वजनिक व्यक्तित्व बुरी तरह प्रभावित होता है। अब उसे केवल उस तरह से रहना है जिस तरह से लोग उसको पसंद करते हैं।

यह सब सुनने में अधिक भयानक प्रतीत नहीं होता लेकिन बहुत से लोग जो कम उम्र में अधिक प्रसिद्धि पा जाते हैं, अधिकतर उचित मार्गदर्शन के अभाव में मानसिक रूप से चुपचाप प्रताड़ित होते रहते हैं। उन्होंने इस जीवन को नहीं चुना है। स्वयं उन्हीं के अभिभावकों द्वारा उन पर यह थोप दिया गया है। और वह भी ऐसे समय पर जब उनमें निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं थी। जिसके कारण अब कोई भी निर्णय वे ले नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर समय “जज (judge)” किया जाएगा। अतः वे कभी भी कोई अलग अन्य कोई रास्ता या तरीका नहीं अपना पाते। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक ऐसी लत बन गई कि एक वीडियो या फोटो पर यदि एक लाख व्यूज आए हैं

तो अगली ऐसी बनानी होगी कि पिछला रिकॉर्ड टूट जाए। इस सफल और सफल होने के प्रयास में और कुछ सोच ही नहीं पाए।

इसीलिए यदि आप सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को इसका माध्यम ना बनाएँ। जिस प्रकार बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति, चाहे वे किसी भी व्यवसाय से हो, अपने बच्चों पर इस बात का दबाव नहीं डालते कि वे भी उनकी भांति ही सार्वजनिक जीवन जिएँ, सोशल मीडिया पर सफल लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक उनके बच्चे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक उन्हें अपने व्यवसाय का हिस्सा बनने के लिए बाध्य ना करें।



स्वस्थ बनें लोग अपनाकर आरोग्य



आरती शर्मा,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
महानिदेशक (लेखापरीक्षा),
खाद्य एवं कृषि का कार्यालय

वर्तमान जीवनशैली स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए चुनौतियों से भरी है। अस्वास्थ्यकर खान-पान, अनियमित एवं अनुशासनहीन जीवनशैली, व्यायाम, योग एवं पोषण की कमी, पारंपरिक भोजन छोड़कर जंक फूड की ओर झुकाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कम उम्र में ही बीमारियों की शुरुआत का कारण बनते जा रहे हैं। 40 की आयु तक पहुँचते पहुँचते हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो चुके होते हैं। एवं फिर उसके बाद चिकित्सक एवं दवाइयों के बीच का अन्तहीन सफर करते रहते हैं।

इस स्तम्भ का उद्देश्य सर्वप्रथम एक स्वस्थ एवं रोग मुक्त जीवन के प्रति पाठकों में चेतना जागृत करना है एवं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पौष्टिक आहार एवं नियमित योग एवं व्यायाम के विषय में जागरूकता पैदा करना एवं जीवनशैली में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। इस स्तम्भ को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में योग एवं व्यायाम एवं द्वितीय भाग में उचित पोषण एवं आहार के महत्व पर चर्चा की गई है।

आशा है कि यह स्तम्भ “लेखापरीक्षा प्रकाश” के पाठकों में स्वस्थ एवं रोग मुक्त जीवन, पौष्टिक आहार एवं नियमित योग एवं व्यायाम के प्रति जागरूकता पैदा करेगा जिससे वे अपने परिवार एवं कार्यालय के दायित्व का निर्वाहन स्वस्थ एवं आरोग्य रहते हुए कर सकेंगे एवं साथ ही साथ एक प्रफुल्लित एवं सौभाग्यदायी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

1. योग एवं व्यायाम

एक अभ्यास के रूप में योग एवं व्यायाम के असंख्य लाभ हैं जो किसी व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक से सकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं। योग एवं व्यायाम, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार लाते हैं, तनाव का स्तर एवं रक्तचाप कम करते हैं, शरीर के संतुलन एवं फेफड़ों की क्षमता में सुधार करते हैं, दर्द से राहत दिलाते हैं मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा को कम करते हैं, हड्डियाँ सुदृढ़ करते हैं तथा हृदय रोग दूर करते हैं। योग आधारित व्यायाम करने से शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ

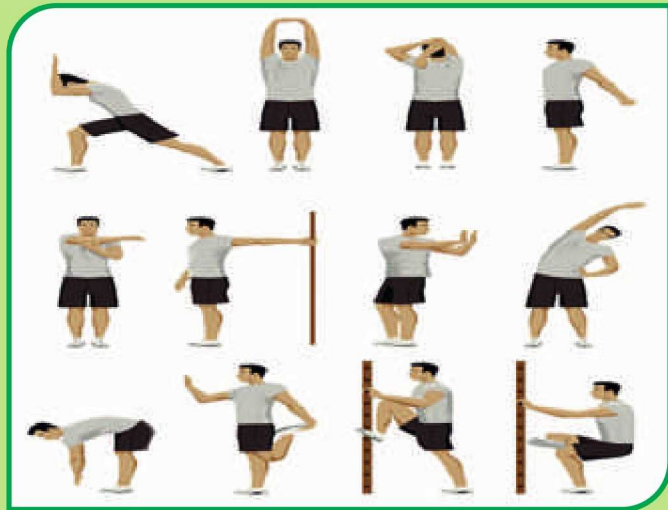
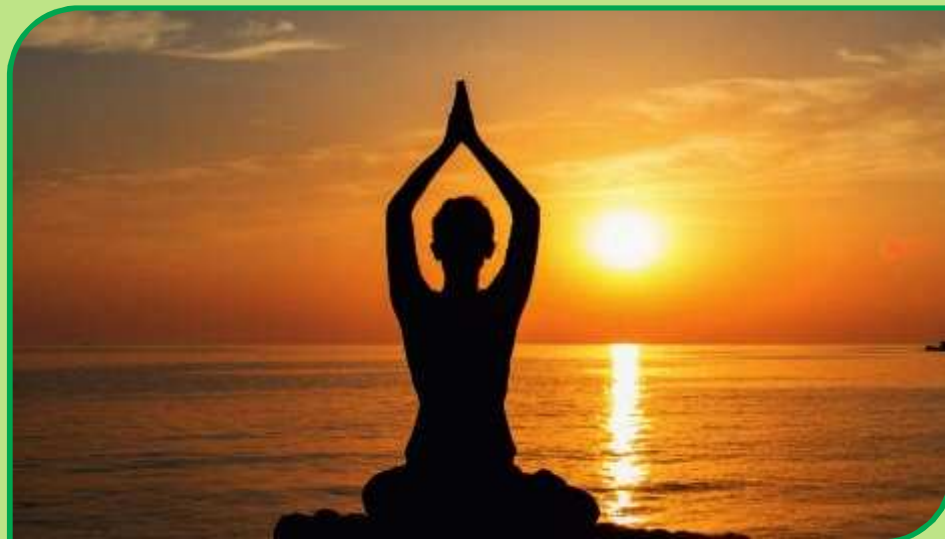
रहता है। इन व्यायामों को आसान कहते हैं। ये आसान विविध प्रकार के होते हैं जिन्हें करने से हमारे शरीर को सम्पूर्णता प्राप्त होती है। योग के साथ हमें उचित आहार व्यवहार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आगे के पृष्ठों में योग के एक आसान “वृक्षासन” तथा स्ट्रेचिंग एवं योग के व्यवहार के अनुकूल उचित आहार पर चर्चा की गई है।

योग आसन- वृक्ष आसन

यह नाम संस्कृत के शब्द वृक्ष, जिसका अर्थ है पेड़, एवं आसन, जिसका अर्थ है मुद्रा, से आया है। वृक्षासन, या वृक्ष मुद्रा, एक योग आसन है जिसमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर के मुड़े हुए पैर को खड़े पैर की भीतरी जांघ पर रखना होता है।

वृक्षासन के लाभ

- शरीर में संतुलन स्थिरता एवं एकाग्रता में सुधार,
- मांसपेशियों को मजबूत बनाता है,
- पैरों के स्नायुओं को मजबूत करता है
- तनाव से राहत देता है,
- नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद करता है



व्यायाम -स्ट्रेचिंग

आप स्ट्रेचिंग को केवल धावकों या जिमनास्टों द्वारा किया जाने वाला कार्य मान सकते हैं। लेकिन हम सभी को अपनी गतिशीलता एवं मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रेचिंग नियमित रूप से करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियां लचीली, मजबूत एवं स्वस्थ रहती हैं एवं जोड़ों में गति की एक श्रृंखला बनाए रखने के लिए हमें उस लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसके बिना मांसपेशियां छोटी एवं कड़ी हो जाती हैं एवं पूरी तरह फैलने में असमर्थ हो जाती हैं जिससे शारीरिक गतिविधि कमजोर हो जाती हैं। एवं जोड़ों में दर्द, खिंचाव एवं मांसपेशियों

के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। नियमित स्ट्रेचिंग से मांसपेशियां लंबी, दुबली स्वस्थ एवं लचीली रहती हैं जिससे शारीरिक गतिविधियों को करना आसान हो जाता है।

आहार एवं पोषण

पौष्टिक आहार स्वस्थ जीवन का आधार है। हम प्रतिदिन जो खाते हैं उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता

है। स्वस्थ आहार हमें ऊर्जा देता है, हीमोग्लोबिन में सुधार करता है एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने भोजन में स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार को सम्मिलित करें करें। स्वास्थ्य एवं पोषण से भरपूर फल आंवले से हम सभी परिचित हैं। इसके और भी गुण हैं जो छिपे हुए हैं एवं इस अमृतफल के सर्वसुलभ होने की वजह से हम जिनकी उपेक्षा कर देते हैं। आइए हम उन्हीं गुणों के बारे में जानें।

आंवला

आंवला, जिसे भारतीय करौदा भी कहा जाता है, एक ऐसा फल है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। यह एक बहुमुखी एवं आसानी से उपलब्ध सुपरफूड है। आप आंवले को अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं या पूरक उत्पाद के रूप में ले सकते हैं।

आंवले के लाभ :

- **प्रतिरक्षा प्रणाली:** आंवला विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है, जो शरीर को संक्रमण एवं बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
- **पाचन:** आंवले की फाइबर सामग्री मल त्याग को नियंत्रित करने में मदद करती है।
- **हृदय का स्वास्थ्य:** आंवले के एंटीऑक्सीडेंट एवं अमीनो एसिड ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में मदद करते हैं, जो हृदय रोग का एक प्रमुख कारक है।
- **आंखों का स्वास्थ्य:** आंवला विटामिन ए से भरपूर है, जो दृष्टि में सुधार करता है।
- **बालों का स्वास्थ्य:** आंवले के विटामिन, खनिज एवं एंटीऑक्सीडेंट रक्त परिसंचरण

को बढ़ाते हैं एवं बालों के रोम को मजबूत करते हैं।

- **त्वचा का स्वास्थ्य:** आंवला स्वस्थ, चमकदार त्वचा को बढ़ावा देता है।
- **रक्त शर्करा:** आंवले का घुलनशील फाइबर आपके शरीर द्वारा चीनी को अवशोषित करने की दर को धीमा करने में मदद करता है, जो रक्त शर्करा में वृद्धि को कम करने में मदद कर सकता है।
- **तनाव से राहत:** आंवला नींद लाने एवं सिरदर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।
- **एनीमिया:** आंवला आयरन का एक समृद्ध स्रोत है, जिसकी एनीमिया से पीड़ित लोगों में कमी होती है।
- **सूजनरोधी:** आंवले के सूजनरोधी गुण गठिया जैसी स्थितियों में दर्द एवं सूजन से राहत दिलाते हैं।

आंवले को आहार में कच्चे रूप में लिया जा सकता है या उबाल कर लिया जा सकता है। इसे चटनी मुरब्बे या अचार के रूप में भी लिया जा सकता है।



समय के साथ बदलते रिश्ते

सचिन सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

प्र. महा (लेखा व हक) हरियाणा,
चण्डीगढ़

रिश्ते हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। वे हमें समर्थन, प्यार, और सुरक्षा का अहसास कराते हैं। लेकिन समय के साथ रिश्तों में बदलाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये परिवर्तन विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, जैसे परिस्थितियाँ, अनुभव, और व्यक्तिगत विकास।

सबसे पहले, हम जब छोटे होते हैं, तो हमारे रिश्ते परिवार के सदस्यों तक सीमित होते हैं। बचपन में माता-पिता और भाई-बहनों के साथ बिताया गया समय हमारे जीवन के आधारस्तंभ होते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, दोस्ती और बाहरी रिश्तों का महत्व बढ़ता है। स्कूल, कॉलेज, और काम के दौरान नए लोगों से मिलने से हमारे संबंधों में विविधता आती है।

जैसे-जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे प्राथमिकताएँ और जरूरतें भी बदलती हैं। एक ऐसा समय आता है जब हम अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। इस दौरान, कुछ पुराने रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। कुछ दोस्त या रिश्तेदार जिनके साथ पहले हम घनिष्ठ थे, वे अब उतने करीब नहीं रह पाते। यह स्वाभाविक है, लेकिन कभी-कभी यह दर्दनाक भी हो सकता है।

विवाह और परिवार बनाने के बाद, रिश्तों की एक नई परत सामने आती है। अब हमारे जीवन में साथी, बच्चे, और ससुराल के रिश्ते महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यह समय न केवल प्यार और समर्थन का होता है, बल्कि कई बार संघर्षों और चुनौतियों का

भी। रिश्तों में संवाद और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होता है, ताकि हम एक-दूसरे के साथ जुड़ाव बनाए रख सकें।

इसके अलावा, तकनीकी प्रगति ने रिश्तों को और भी प्रभावित किया है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम दूर बैठे लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं। हालांकि यह संपर्क बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी यह असली और गहरे संबंधों की कमी का कारण भी बन सकता है। हम एक-दूसरे के साथ समय बिताने की बजाय, बस ऑनलाइन संवाद करने में व्यस्त हो जाते हैं।

समय के साथ रिश्तों में बदलाव को स्वीकार करना और उसे समझना महत्वपूर्ण है। कुछ रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं, जबकि कुछ में दूरी आ जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता एक यात्रा है, जो विभिन्न चरणों से गुजरती है। इसलिए, हमें समय-समय पर अपने रिश्तों की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार उन्हें नवीनीकरण करने की कोशिश करनी चाहिए।

अंत में, समय के साथ बदलते रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें अपने रिश्तों को सहेजने, समझने, और नए तरीकों से जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम एक समृद्ध और संतुलित जीवन जी सकें।

‘शिक्षक’ समाज और राष्ट्र का वास्तविक निर्माता



डॉ. लाखा राम

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हरियाणा, चण्डीगढ़

गो रवशाली भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का एक बेहद पवित्र और अहम स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के जीवन को आकार देने और शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए भारत रत्न, राजनयिक, पूर्व राष्ट्रपति, मूर्धन्य विद्वान, प्रख्यात दार्शनिक एवं उच्च कोटि के शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को संपूर्ण भारत में ‘शिक्षक दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। उनका संपूर्ण जीवन अध्यापन को समर्पित रहा, इसलिए राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर भी वे स्वयं को शिक्षक मानने में गौरवान्वित महसूस किया करते थे। उनका मत था कि राष्ट्र निर्माण में उच्च कोटि के शिक्षकों की विशेष रूप से भूमिका होती है। 13 मई 1962 को राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने और उसी वर्ष उनके कुछ छात्र उनका जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से उनके पास गए तो उन्होंने उन छात्रों को परामर्श दिया कि उनके जन्मदिन को अध्यापन के प्रति उनके समर्पण के लिए ‘शिक्षक दिवस’ के रूप में मनाया जाए और इस प्रकार 5 सितंबर 1962 से ही देश में यह दिन ‘शिक्षक दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। 1967 में पहली बार शिक्षक दिवस को व्यापक रूप से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया गया। 2024 में भारत ने 62वां शिक्षक दिवस मनाया है। 5 सितंबर 1888 को एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में तिरुत्तनी में जन्मे डॉ. राधाकृष्णन ने अपने जीवनकाल के 40 वर्ष एक आदर्श शिक्षक के रूप में

समर्पित कर दिए। उनका कहना था कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के बिना इस दुनिया में हम सभी अधूरे हैं। दरअसल, 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस की याद में यूनेस्को द्वारा 1994 से 5 अक्टूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

हमारी सनातन परंपरा में शिक्षकों को गुरु अथवा आचार्य भी कहा जाता है। गुरु, शिक्षक, आचार्य, अध्यापक या टीचर ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को व्यक्त करते हैं, जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है। भारतीय बच्चे प्राचीन काल से ही आचार्य देवो भवः का बोध-वाक्य सुनकर ही बड़े होते हैं। शिक्षक अर्थात् गुरु के हाथों में राष्ट्र का भविष्य निहित होता है। शिक्षक ही हैं, जो देश के भविष्य के वास्तविक आकृतिकार हैं। जीवन में गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक छात्र के जीवन निर्माण में उसके गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक रूपी गुरु जीवन जीने का सही सलीका सिखाते हैं और जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का हंसते-हंसते मुकाबला करने के लिए हमें तैयार करते हैं। जब भी गुरु और शिष्य के रिश्ते की बात होती है तो सबसे पहले महाभारत काल का एकलव्य प्रकरण स्मरण हो आता है, जब द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इंकार करने पर एकलव्य ने अपने मन में द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति स्थापित कर धनुर्विद्या का अभ्यास

शुरू किया और उसमें पारंगत हो गए। एक दिन पांचों पांडवों के साथ जब गुरु द्रोणाचार्य का एकलव्य से सामना हुआ तो एकलव्य की धनुर्विद्या पर वे चकित रह गए। उन्होंने उससे उसके गुरु का नाम पूछा। उत्तर में बड़ी विनम्रता से एकलव्य ने उनके चरणों को प्रणाम करते हुए उन्हीं का नाम ले लिया। राजापरिवार के गुरु का किसी वनवासी का गुरु होना उन दिनों बड़ी विचित्र बात थी। फिर भी एकलव्य के शिष्यत्व की परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरुदक्षिणा की मांग कर दी। सच्चे शिष्य एकलव्य ने उत्तर में अपने दाएँ हाथ के अंगूठे को गुरु के चरणों में अर्पित कर अपनी गुरुभक्ति का परिचय दे दिया। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी गुरु को सम्मानित करने के लिए 'गुरु पूर्णिमा' का पर्व मनाया जाता है।

विश्वभर में लगभग सभी महापुरुषों ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। जीवन में शिक्षक का स्थान माता-पिता तुल्य

होता है, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों को जीवन में योग्य मार्गदर्शन देकर सफलता के प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए योग्य बनाते हैं। शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को एक स्तर से देखते हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं करते। अपने कार्यों से भारत को सफलता की ऊँचाइयों तक ले जाने का कार्य करने वाले शिक्षकों की सूची लंबी है, मगर इसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, डॉ भीम राव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आदि प्रमुख हैं। शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में आज महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के विचार भी बेहद प्रासंगिक हैं। जहां गांधी के 'सर्वोदयी समाज' में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था वहीं डॉ अंबेडकर शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी का महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। किसी भी समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है जैसा कि चाणक्य ने स्पष्ट कहा



है “शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं।” मानव के जीवन निर्माण के सभी स्तंभों में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए ही कहा जाता है कि -

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः॥

शिक्षक एक दीपक के समान है जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से विद्यार्थी के मानस पटल को आलोकित करता है। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश से विद्यार्थी अज्ञान रूपी अंधकार से हटकर प्रकाश रूपी मार्ग का पथिक बनता है। विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास का मार्ग शिक्षक के माध्यम से ही प्रशस्त होता है। विद्यार्थी में बेहतर शिक्षा, संस्कार, कला-गुणों का संचार आदर्श शिक्षक ही कर सकते हैं। शिक्षक शिल्पकार की भूमिका में होते हैं जो अपने विद्यार्थियों को कलागुणों से निखारकर आदर्श विद्यार्थी में बदलते हैं। हमारे मनीषियों ने शिक्षक को कुम्हार के समान तथा विद्यार्थी को कुंभ (घड़े) के समान माना है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े को हाथ से थपथपाकर उसे नई आकृति प्रदान करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को डांटकर उसके हृदय में विद्यमान दुगुणों, कुविचारों को अपने ज्ञान के माध्यम से दूर करके उसके व्यक्तित्व को एक नया आकार और सुंदरता प्रदान करता है जिससे छात्र के स्वर्णिम जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज में शिक्षकों की महत्ता के संबंध में महर्षि अरविंद ने कहा था कि “शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं, जो संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में परिवर्तित करते हैं। राष्ट्र के वास्तविक निर्माता उस देश के शिक्षक होते हैं।” एक आदर्श शिक्षक की प्रेरणा विद्यार्थी के मन में आत्मविश्वास, संघर्षों में संतुलन स्थापित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। अगर कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक से आगे निकल जाता है तो

यह उस शिक्षक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

इस संसार में शिक्षक तथा माता-पिता ही एक बालक के श्रेष्ठ शुभचिंतक होते हैं। शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं। एक शिक्षक के लिए अपने छात्र पुत्र के समान होते हैं। शिक्षक की छत्रछाया में विद्यार्थी केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं सीखते बल्कि उसके सानिध्य में ही वास्तविक रूप से राष्ट्र निर्माण के सूत्र निहित हैं। अब यह शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि बेतहाशा दौड़ते हुए आज के इस युग में उसे एक ऐसा ठहराव लाना है जिससे गति भी बाधित न हो एवं मानसिक संवेग, मनोभाव, दया, करुणा, सहानुभूति, आत्मानुभूति तथा सौहार्द जैसे गुण बचे रह सकें।

शिक्षकों के बिना यह मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। हर किसी के जीवन में एक गुरु या शिक्षक का होना बेहद आवश्यक है। इसलिए हम सभी को सदा शिक्षकों का मान-सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। एक सभ्य, सुसंस्कारित, सुंदर एवं शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर डॉ. राधाकृष्णन के आदर्शों, उनकी शिक्षाओं तथा जीवन मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। शिक्षक दिवस के माध्यम से, हम उनके कठिन परिश्रम, समर्पण, और जीवन में उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को सराहते हैं।

वर्तमान समय में विद्यार्थियों के संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि उसे न केवल बच्चों का बौद्धिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक विकास करना है बल्कि सामाजिक, चारित्रिक एवं सांवेगिक विकास भी करना है। आज के डिजिटल युग में शिक्षक का तकनीकी रूप से सक्षम एवं दक्ष होना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य हो गया है।

मीडिया, बाजार और उपभोक्तावाद का त्रिकोण

प्रदीप तिवारी

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

प्रधान निदेशक का कार्यालय

वित्त एवं संचार, नागपुर

वर्तमान समय मीडिया, बाजार और उपभोक्तावाद का आधुनिक मानव उपभोग की लक्ष्मण-रेखा को न जाने कब का पार कर चुका है। आर्थिक स्थिति में आए बदलाव ने मीडिया के सहारे लोगों को उपभोक्ता बनाया है। लोगों ने अपनी जरूरतों को छोड़ इच्छाओं की पूर्ति के दिशा में कटम बढ़ाया है। 'अंडरस्टैंडिंग मीडिया' (1964) नामक पुस्तक में मार्शन मैक्लूहान ने समूची सम्यता के विकास को संचार माध्यमों के विकास के रूप में देखा है, किन्तु आधुनिक युग में माध्यमों की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया गया। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि मीडिया जिस तरीके से बाजार को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता दिख रहा है। इस विषय पर यह कहना सार्थक प्रतीत होता है कि - "बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में मनुष्य को नागरिक नहीं उपभोक्ता समझा और माल बेचने की रणनीति में उपभोक्ता के नहीं बल्कि अपने हितों को सर्वोपरि माना। व्यापारिक रणनीति के लिए उन्होंने विज्ञापन उद्योग का सहारा लिया।¹ यह वही दौर था जब भारत में एल.पी.जी. सुधार किए गए थे। इसके बाद सभी क्षेत्रों में उदारीकरण की राह अपना ली गई थी। इसीलिए आज चमक-दमक ग्लैमर, आलीशान महल, सिनेमा और उपभोक्ता वस्तुओं की भरमार लोगों के जीवन की प्रमुख आकांक्षा बन चुकी है। इन सबके बिना जीवन को बेकार माना जाने लगा है। यह समय फैंटेसी का है तभी तो इस समय में सत्य, खुशियाँ, सामाजिक और पारिवारिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा दुर्लभ है। भूमण्डलीकरण के प्रभाव-स्वरूप औद्योगिक पूँजीवाद ने इन सबको जन्म दिया है। इन सब खतरों को ध्यान में रखते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री वी. के. आर. वी. राव ने इस बात पर जोर दिया कि नए किस्म का उपभोक्तावाद नए सामाजिक तनावों, द्वेषों और झगड़ों को हिंसक रूप देता है। दूरदर्शन द्वारा दी जा रही उपभोक्तावादी संस्कृति पर

विचार करते हुए दूरदर्शन के लिए बनी पी.सी. जोशी कमेटी ने लिखा है: दूरदर्शन पर जो विज्ञापन आते हैं, वे जबर्दस्त रूप से उपभोक्ता सामान और सेवाओं के होते हैं, जिन्हें भारत के संदर्भ में सिर्फ भोगविलास की चीजें कहा जा सकता है।" बाद में पूँजी के दबाव के कारण इस रिपोर्ट का खण्डन करते हुए कहा गया कि विज्ञापनबाजी और प्रायोजित कार्यक्रम अपरिहार्य हैं। किन्तु उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वे स्वीकृत सामाजिक नक्ष्यों को नष्ट न करे और शुद्ध व्यावसायिकता एवं उपभोक्तावाद को बढ़ावा न दे। लेकिन ये बातें इतनी आसान नहीं हैं क्योंकि टेलीविजन हमारे ऊपरी उपभोक्ता व्यवहार पर ही असर नहीं डाल रहा, हमारी काल्पनिकता, अभिव्यक्ति की लाक्षणिकता और भाषा रूपों पर भी असर डाल रहा है। उसने थोड़े समय में ही प्रत्येक चीज को गिरफ्त में ले लिया है जहाँ वह जीवित रहेगा तो बिक सकेगा। अपने एक लेख 'राष्ट्रीय मीडिया के मुख्य मुद्दे' में शम्भूनाथ ने बताया है कि "खबर बनाने और खबर रोकने में पैसे तथा दूसरे प्रभावों की भूमिका अहम हो गई है। नेता जनता से संबंध रखने की जगह पैसे के प्रभाव से मीडिया से संबंध रखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं पहले के नेता जनता के माध्यम से मीडिया तक पहुँचते थे, आज मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचते हैं। आज की मीडिया ने जनता और नेता के मध्य सीधा संबंध प्रायः खत्म कर दिया है।"²

मीडिया-जनित विज्ञापन से जो विराट उपभोक्ता संस्कृति फैल रही है उससे देश के विकास में कितना योगदान हो रहा है यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। इसने मध्य वर्ग के आय से अधिक खर्च को बढ़ाया है। इससे सामाजिक असमानता बढ़ी है। धन के असमान वितरण ने तरह-तरह की समस्याओं को जन्म दिया है। अत्याधुनिक मानव इसी मीडिया, बाजार और उपभोक्तावाद की संस्कृति के त्रिकोण में फंसाकर छला जा रहा है और उसे इसका आभास भी नहीं है।

¹ भूमण्डलीकरण और मीडिया, कुमुद शर्मा, ग्रंथ अकादमी, दिल्ली, पृष्ठ-29

² राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता, सं. श्रीनिवास शर्मा

नालवडी कृष्णराज वोड्यर



सं. ग. श्रीमती

सेवानिवृत्त (हिन्दी अधिकारी)

सं. 135, न्यू वी.ई.एल. रोड

एजिज लेआउट, बेंगलूर, कर्नाटक

कृष्णराज ओड्यर चतुर्थ, मैसूर राज्य के अत्यन्त लोकप्रिय राजा थे। उनका जन्म 4 जून 1884 में हुआ। वे 1902 से लेकर 1940 में अपनी मृत्यु तक राजसी शहर मैसूर के सत्तारूढ़ महाराजा थे। अपनी मृत्यु के समय, वे विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों में गिने जाते थे। जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था, तब भी महाराजा भारतीय राज्यों के यशस्वी शासकों में गिने जाते थे।

कृष्णराज वोड्यर चतुर्थ एक दार्शनिक राजा थे। अंग्रेजी राजनीतिज्ञ लार्ड सैम्यूल ने उनकी तुलना सम्राट अशोक से की है। महात्मा गाँधी उन्हें राजर्षि या संत जैसा राजा कहते थे।

महाराजा चामराजेन्द्र ओड्यर और महारानी वाणी विलास सन्निधना के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कृष्णराज ओड्यर का जन्म मैसूर के शाही महल में हुआ। 1894 में कलकत्ता में पिता की मौत के पश्चात, ओड्यर के बालिग होने तक, उनकी माता ने कार्यवाहक शासक के रूप में राज्य पर शासन किया। 8 अगस्त 1903 को जगन मोहन महल में आयोजित एक समारोह में वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा कृष्णा चतुर्थ को मैसूर के महाराजा के रूप में संपूर्ण शासनाधिकार सौंपे गए।

अपने शासन के दौरान, कृष्णराज चतुर्थ ने मैसूर को एक प्रगतिशील और आधुनिक राज्य के रूप में बदलने का कार्य आरंभ कर दिया। उनके समय में मैसूर ने उद्योग, शिक्षा, कृषि और कला आदि कई दिशाओं में उन्नति की। राजा की अवधि में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में किए गए अब उन्नत कार्यों ने 20वीं सदी में भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत बनाने

में कर्नाटक की बहुत मदद की है।

महाराजा एक निपुण संगीतकार थे और उन्होंने ललित कलाओं के विकास को काफी प्रोत्साहन दिया। अतः, उनके शासन को मैसूर के – “स्वर्णयुग” के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्णराज ओड्यर (चतुर्थ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। बेंगलूर के भारतीय विज्ञान संस्थान की प्रथम कार्यकारी शासक महाराजा की माता के कार्यकाल में की गयी थी, 1911 में 371 एकड़ (1.5 वर्ग किमी) भूमि और निधियों के उपहार के साथ उनके शासन काल में आरंभ हुआ।

महाराजा भारतीय (कर्नाटक और हिन्दुस्तानी दोनों) और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के संरक्षक थे। मैसूर राज्य प्रथम भारतीय राज्य था, जिसके पास 1881 में एक प्रतिनिधि सभा, एक लोकतांत्रिक मंच था। कृष्णराज ओड्यर चतुर्थ के शासनकाल में विधानसभा का विस्तार किया गया और 1907 में विधान परिषद के गठन के पश्चात वहाँ की विधायिका द्विसदनीय बन गयी। महाराजा के शासन के दौरान, मैसूर एशिया में पनबिजली पैदा करनेवाला प्रथम भारतीय राज्य और सड़कों पर रोशनी वाला प्रथम एशियाई शहर बन गया। मैसूर महाराजा के 39 वर्ष के शासन काल में सात मंत्रिगण प्रधान मंत्री रहे। अपने शासनकाल में राजा ने गरीबी उन्मूलन, गांवों के पुनर्निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्योग एवं आर्थिक पुनरुत्थान, शिक्षा और ललित कला में सुधार लाने की दिशा में काम किया। उनके शासनकाल में मैसूर की प्रगति से गाँधीजी अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि महाराजा एक

राजर्षि (एक संत जैसा) राजा थे। ब्रिटिश दार्शनिक और प्राच्य विद्या विशारद पाल ब्रन्ट्रान, अमेरिकी लेखक जान गुंटर और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लॉर्ड सैम्यूल राजा की अत्यधिक प्रशंसा करनेवालों में थे। गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड सैकी ने कहा "मैसूर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रशासित राज्य" था। भारत के अन्य क्षेत्रों से राजकुमारों को प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए मैसूर भेजा जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने राजा का वर्णन 'धार्मिक' तौर पर किया है और लार्ड वेलिंगटन ने मैसूर के औद्योगिक विकास को "अविश्वसनीय" कह कर मानो इस भावना को प्रतिध्वनित किया है।

महाराजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण लोकरंजन महल में पी राघवेन्द्र राव के निर्देशन में प्राप्त की। पश्चिमी शिक्षा के अतिरिक्त महाराजा को संस्कृत, कन्नड, घुड़सवारी तथा भारतीय एवं पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा दी गई। उन्हें प्रशासनिक सेवा का प्रारंभिक प्रशिक्षण बंबई सिविल सर्विस के सर स्टुअर्ट फ्रेजर ने प्रदान किया। महाराजा का विवाह 6 जून 1900 को राणा श्री बाने सिंहजी साहिब की कनिष्ठ पुत्री महामही (हर हाइनेस) महारानी लक्ष्मीविलास सन्निधन श्री प्रताप कुमारी अम्मानि अवारु के साथ संपन्न हुआ। राणा साहब कठियावाड़ क्षेत्र के शासक थे।

महात्मा गाँधी ने 8 जनवरी 1925 के 'नवजीवन' में लिखा था महामहिम मैसूर के महाराजा ने कताई का काम अपने हाथ में ले लिया है। यह अत्यन्त पवित्र कर्तव्य समझा जाता है।

महाराजा कृष्णराज ओड्यर चतुर्थ को प्राप्त उपाधियाँ -

- ◆ 1884-1894 : युवराज श्री कृष्णराज ओड्यर बहादुर मैसूर के युवराज
- ◆ 1894-1907 : महाराजा श्री कृष्णराज नालवडी वोडेयर चतुर्थ बहादुर, मैसूर के महाराजा
- ◆ 1907-1910 : महाराजा श्री सर नालवडी कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ बहादुर

- ◆ 1910-1917 : कर्नल महाराज महाराजा श्री सर नलवडी कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ बहादुर
- ◆ 1917-1940 : कर्नल महाराज, श्री महाराजा सर नालवडी कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ बहादुर

सम्मान

- दिल्ली दरबार गोल्ड मेडल - 1903
- नाइट ग्रैंड कमांडर आफ द आर्डर आफ द स्टार आफ इंडिया जीसीएसआई 1907
- दिल्ली दरबार गोल्ड मेडल,
- किंग जार्ज सिल्वर जुबली मेडल-1935
- किंग जार्ज राज्याभिषेक पदक- 1937.

संस्कृत भाषा और साहित्य की शिक्षा को महाराज बहुत ही प्रोत्साहन देते थे। महाराजा कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत दोनों के पारखी थे। वे आठ वाद्यों – बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन, पियानो, मृदंगम, नादस्वर, सितार एवं वीणा के दक्ष वादक थे। नट्टन खान और उस्ताद विलायत हुसैन खान सहित आगरा घराने के कई विख्यात सदस्य मैसूर के महाराजा के अतिथि बने थे। भारत के एक महानतम सितार वादक बरकतुल्लाह खान 1919 से 1930 में अपनी मृत्यु तक महल के संगीतकार रहे।

महाराजा के दरबार में प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले कुछ महान संगीतकारों में वीणा शामण्णा, वीणा शेषण्णा, मैसूर करिगरि राव, वीणा सुब्बण्णा, बिदारम कृष्णप्पा, मैसूर वासुदेवाचार, वीणा सुब्रमण्यम अय्यर, डा. मुथईया भगवतार, वीणा शिवरामैय्या, वीणा वेंकटगिरियप्पा, बेलकवाडी श्रीनिवास अयंगर, मैसूर टी. चौद्धा, बी. देवेन्द्रप्पा, गोतुवाद्यम नारायण अयंगर एवं सुब्रमण्य अय्यर।

भारतमाता तथा माँ भुवनेश्वरी नालवडी कृष्णराज ओड्यर जैर सुपुत्र रत्न को जन्म देकर धन्य है।

समाज में नारी की स्थिति: कल और आज



अनुराग प्रभाकर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का कार्यालय, नई दिल्ली 110002

भारत में पुरुषों व महिलाओं के बीच भेदभाव सदियों से चला आ रहा है, महिलाओं को न केवल समाज वरन घर पर भी पुरुषों से कमतर समझा जाता है। घर पर लड़की के जन्म की तुलना में लड़के के जन्म को अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जहाँ एक ओर ऐसे पुरुष हैं जो घरेलू कार्यों में महिलाओं की मदद करके इस असमानता को कम करने का प्रयास करते हैं वहीं दूसरी ओर कुछ पुरुष महिलाओं का दायरा वंश को आगे बढ़ाने व घरेलू कार्यों तक सीमित रखना चाहते हैं। यही नहीं वे घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी उनकी राय लेना आवश्यक नहीं समझते।

अधिकांश महिलाओं के पास न केवल सुंदरता है बल्कि बुद्धिमत्ता, विनम्र स्वभाव, कोमल हृदय, महत्वाकांक्षा व प्रतिभा भी है। आश्चर्य है कि आज भी ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है जिनके अनुसार महिलाएं महज भोग की ही वस्तु है। यह काफी अविश्वसनीय प्रतीत होता है लेकिन इस दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि हमने लैंगिक समानता हासिल कर ली है। समस्या यह है कि कहीं न कहीं उनके मन में अभी भी यह विश्वास है कि एक महिला वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकती जो एक पुरुष कर सकता है। यह स्त्रीद्वेष आज भी कई लोगों के मन में पनप रहा है, जिनमें कई महिलाएं भी सम्मिलित हैं जिनका अपने पक्ष में न होना एक मूर्खता के अलावा कुछ नहीं।

यहाँ लैंगिक समानता के क्षेत्र में दुनिया भर में हो रही प्रगति को खारिज नहीं किया जा रहा है बल्कि बस इस ओर ध्यान

आकर्षित किए जाने का प्रयास है कि इस प्रगति को और अधिक गति प्राप्त करने की आवश्यकता है। पुरुषों का एक विशेष वर्ग नहीं चाहता कि महिलाओं के पास अपनी क्षमता से अधिक शक्ति, पैसा और सफलता हो। वे इस विचार से सहज नहीं हैं। इस तथ्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ऐसे पुरुष खुले विचारों वाली महिलाओं को स्वयं के बराबर एवं प्रतिस्पर्धी के रूप में क्यों नहीं देख सकते, बल्कि सभी महिलाओं को कुछ ऐसा देखते हैं जिसे 'संभालने' और 'देखभाल करने' की आवश्यकता है। वैदिक युग स्त्री व पुरुष की समानता का साक्ष्य है, अगर एक दृष्टि वैदिक युग पर डाली जाए तो इस युग में स्त्रियों को पुरुषों का समानान्तर वर्णन मिलता है एक ओर विष्णु तो दूसरी ओर लक्ष्मी हैं वहीं शिव संग पार्वती हैं। इतने प्राचीन काल में नारी की महिमा का उल्लेख केवल भारत वर्ष में ही उपलब्ध है।

प्राचीन एवं नवीन परिप्रेक्ष्य में समाज में नारी की स्थिति:

भारतीय संस्कृति में नारी के अनेक पर्याय हैं, नारी को भार्या कहा जाता है क्योंकि वह सम्पूर्ण परिवार का भरण-पोषण करती है उसको गृहणी कहा जाता है क्योंकि पत्नी के होने पर ही घर को 'घर' समझा जाता है। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी धर्मग्रंथ में नहीं है।

वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है उसे सदा विजयिनी कहा गया है और उन के हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन अध्यापन से लेकर रणक्षेत्र तक में भी कदम से कदम मिलाकर चलती थीं जैसे कैकेयी महाराज दशरथ के साथ व सत्यभामा भगवान कृष्ण के साथ युद्ध में गई थी। कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर वेद पुरुष से नारी को एक कदम आगे ही रखते हैं। अनेक ऋषिकाएं वेद मंत्रों की द्रष्टा हैं उदाहरणार्थ - अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, सावित्री, अदिति- दाक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी आदि।

ऋग्वेद में स्त्री को परिवार और पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका में चित्रित किया गया है। इसी तरह, वेद स्त्री की सामाजिक, प्रशासकीय और राष्ट्र की साम्राज्ञी के रूप का वर्णन भी करते हैं। ऋग्वेद के कई सूक्त ऊषा का देवी के रूप में वर्णन करते हैं और इस ऊषा को एक आदर्श स्त्री के रूप में माना गया है। यजुर्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार था, स्त्रियों की भी सेना थी व उनको युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अथर्व वेद में नारी की महिमा का वर्णन करते हुये कहा गया है “**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता**” अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि नारी नर की आत्मा का आधा भाग है। नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है और इस अधूरेपन को दूर करने के लिए व संसार को आगे चलाने के लिए नारी का होना जरूरी है यहाँ तक कि नारी के इच्छा का इतना सम्मान किया जाता था कि अगर वह विवाह न भी करना चाहे तो पिता के घर सम्मानपूर्वक रह सकती थी व घर परिवार के हर कार्य में साथ देती थी तथा पिता की संपत्ति में उनका भी हिस्सा होता था। बाल विवाह की प्रथा तब नहीं थी। नारी को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाता था उसे पुरुष के समान हर वह विद्या सिखायी जाती थी जो पुरुष सीखता था जैसे वेद ज्ञान, धनुर्विद्या, नृत्य, संगीत शास्त्र आदि। इस संबंध में यह

जानना भी रोचक होगा कि अन्य प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में महिलाओं की क्या स्थिति थी।

मिस्र की सभ्यता: प्राचीन मिस्र पुरुषों के प्रभुत्व वाला पितृसत्तात्मक समाज था। केवल कुछ ही महिलाओं को प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों के लिए जाना जाता है। अधिकांश महिलाएँ किसान वर्ग से थीं और अपने पतियों के साथ काम करती थीं। महिलाएं अपने पति या बेटों की अनुपस्थिति में खेतों या व्यवसायों का प्रबंधन करने के लिए जानी जाती थीं। महिलाओं से विवाह का उद्देश्य परिवार में अधिक बच्चे और वंशज पैदा करना था। भारत की तरह अधिक संतान उत्पन्न करने वाली महिलाओं को समाज में सम्मान दिया जाता था। यदि कोई महिला संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती थी, तो उसका पति से वारिस पैदा न करने के कारण उसे तलाक दे सकता था। प्राचीन मिस्र के साहित्य में महिलाओं का तुच्छ, मनमौजी और अविश्वसनीय चित्रण शामिल था। जबकि चित्रकारों और मूर्तिकारों ने महिलाओं को एक खुशहाल परिवार के हिस्से के रूप में एक शांत छवि दी, लेखकों ने कभी-कभी महिलाओं को दुर्भाग्य की उत्पत्ति और पापों की दोषी के रूप में चित्रित किया। इसकी तुलना भारतीय वैदिक साहित्य में महिलाओं के चित्रण से कीजिए, फर्क पता चलेगा।

प्राचीन ग्रीक सभ्यता : प्राचीन यूनान में महिलाओं की स्थिति करीब करीब दोगेय दर्जे की थी। ज्यादातर महिलाओं को राजनीतिक और समान अधिकारों का अभाव था। एथेंस में महिलाओं को कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं थे उन्हें पुरुष “किरियोस” (स्वामी) के नेतृत्व वाले “ओईकोस” (घर) का हिस्सा माना जाता था। एथेनियन समाज में, पत्नी का कानूनी शब्द “डामर” के रूप में जाना जाता था, एक शब्द जो “वश में करना” या “वश में करना” के मूल अर्थ से लिया गया है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू (Aristotle) सोचते थे कि महिलाएं अव्यवस्था, बुराई लाती हैं, और “पूरी तरह से बेकार हैं तथा शत्रु की तुलना में अधिक भ्रम पैदा करती हैं।” इस वजह से, अरस्तू

मानते थे कि महिलाओं को शेष समाज से अलग रखना सबसे अच्छा विचार था।

मेसोपोटामिया सभ्यता: मेसोपोटामिया में, समाज पितृसत्तात्मक था जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थे। पुरुष अपनी विभिन्न विविधताओं के साथ जीवन के सभी पहलुओं को निर्देशित करते थे, बड़े निर्णय लेते थे और महिलाओं को इस पुरुषवादी अधिकार का पालन करना पड़ता था। उनके नियंत्रक थे विवाह से पूर्व पिता एवं विवाह और परिवार निर्माण के बाद पति। इसके बावजूद, मेसोपोटामिया में महिलाओं की स्थिति अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे ग्रीक और रोमन की तुलना में बहुत बेहतर थी। सुमेरियन महिलाओं को अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन संस्कृतियों की महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। एक सुमेरियन महिला अचल संपत्ति की मालिक हो सकती थी, अपने पति के साथ व्यवसाय चला सकती थी, और एक पुजारी, एक लेखिका, एक डॉक्टर या न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकती थी। मेसोपोटामिया में विवाह, उसके स्वरूप, तलाक, मामले, दुर्यवहार और वैवाहिक अनियमितताओं, अनाचार और व्यभिचार पर कानून, महिलाओं के पक्ष में नहीं थे।

विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में नारी की उपरिलिखित स्थितियों के विवेचन के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति अन्य सभ्यताओं की तुलना में उन्नतिशील थी। समय बीतने के साथ इनकी स्थितियों में बदलाव तो आए पर वे ऐसे नहीं थे जिन्हें गिरावट की संज्ञा दी

जा सके। बाद के कालखंड में लोहे के नए नए उपकरणों एवं आविष्कारों के कारण भोज्य पदार्थों के उत्पादन जैसे अनाज, पशु उत्पाद व कृषि कार्यों के श्रम में नारी पर निर्भरता कम होने के फलस्वरूप उनकी भूमिका केवल भोजन के संग्रह एवं उनके आश्रय स्थल की रखवाली तक ही सीमित रह गई। वहीं दूसरी ओर लोहे के नए एवं आधुनिक हथियार भी चलन में आए जिससे युद्ध में स्त्रियों की भागीदारी कम होती चली गई तथा उनके योगदान के बगैर युद्ध कम परिश्रम व समय में जीते जाने लगे जिसके कारण शत्रु के धन एवं भोजन स्रोत पर कब्जा सहज ही होने लगा। जब युद्ध में महिलाओं की भागीदारी घटी तो युद्ध से पूर्व एवं उसके पश्चात होने वाले विचार विमर्श में भी स्त्रियों की संख्या घटने लगी या उनकी भूमिकाएँ गौड हो गई। इस तरह से शक्ति के संसाधनों पर पुरुषों का कब्जा होने लगा और समाज में उस वर्ग का उदय होने लगा जो युद्ध, शिक्षा, धर्म, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की भूमिका को अत्यंत सीमित करना चाहता था। उदाहरणार्थ शतपथ ब्राम्हण में कहा गया कि अध्ययन करते समय स्त्री, शूद्र एवं काले पक्षी की ओर नहीं देखना चाहिए। मैत्रायणी संहिता में तो उसे जुआ एवं सुरा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। अथर्ववेद में तो पुत्री जन्म की निंदा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। (क्रमशः...)



नौरुअन्स की उत्पत्ति

(प्रथम भाग)

बी.आर. मण्डल

महानिदेशक (परीक्षा एवं निरीक्षण)

सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली

नौरुअन्स की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है और कोई भी सिद्धांत उनकी विशिष्ट उत्पत्ति स्थापित नहीं कर सका। यह ज्ञात नहीं है कि पहले लोग नाउरु कैसे और कब पहुंचे। यदि पौराणिक कथाओं की परम्पराओं को मानें तो ऐसा माना जाता है कि नाउरु को लगभग 3000 वर्ष पहले अपने पहले लोग मिले थे। शोधकर्ताओं ने नौरुअन्स की उत्पत्ति स्थापित करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। इन्हें निम्नलिखित खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे, (i) पौराणिक (पौराणिक) संबंध, (ii) आनुवंशिक संबंध, (iii) भाषाई संबंध और (iv) भौगोलिक संबंध।

(i) पौराणिक संबंध : किसी भी व्यक्ति की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए, पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। नाउरु में कई पौराणिक कहानियों और किंवदंतियों का एशियाई किंवदंतियों और कहानियों के साथ मजबूत संबंध है। पहाड़ियों, पत्थरों और जंगलों आदि की उनकी प्राचीन पूजा एशियाई जातियों के साथ उनके संबंधों को इंगित करती है। फिर इस संबंध में दक्षिण अमेरिका में पेरु की सभ्यताओं के कुछ मजबूत संकेत हैं। यह इंगित करता है कि कुछ पारंपरिक खेल, किंवदंतियां और शब्द पेरु से उत्पन्न हुए हैं। जैसा कि नौरुअन दो प्रकार के बॉल गेम खेलते हैं, अर्थात्, 'इट्सिवेब' (वयस्कों द्वारा खेला गया) और 'ब्वेवे' (युवाओं द्वारा खेला जाता है), ये केवल पेरु में खेले जाते हैं और किसी भी प्रशांत द्वीप में नहीं। यह बहुत ही अनोखा मुद्दा है। नौरुआन के स्ट्रिंग गेम एक और सबसे अनोखी और जटिल कला है। यह डबविडो परिवार द्वारा अभ्यास किया जाता है और वे दुनिया भर

के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं। इस कला में उनके पास 200 सौ से अधिक तरकीबें हैं। ये आंकड़े पेरु स्ट्रिंग संस्कृतियों के समान हैं। बर्ड कैचिंग की किंवदंतियां भी पेरु के करीब हैं। नाउरु की एक और प्रसिद्ध किंवदंती 'ईगिगु' है, एक लड़की चंद्रमा में गई और चंद्रमा (मारमारन) से शादी की; यह पेरु की किंवदंती 'ईगिगा' के समान है। लेकिन यह पेरु या एशियाई जातियों के नौरुआन मूल का बहुत निर्णायक प्रमाण प्रदान नहीं करता है।

(ii) आनुवंशिक संबंध : आनुवंशिक अध्ययन विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक संबंध दिखाते हैं; ज्यादातर फिलीपींस से। और चीनी, अफ्रीकी या कुछ मेलानेशियन संबंध से भी। कुछ नौरुअन अपने आनुवंशिक संबंध का दावा करते हैं कि उनकी उत्पत्ति भारत के गोवा से हुई है। लेकिन यह भी संतोष के साथ समाप्त नहीं हुआ है।

(iii) भाषाई संबंध : भाषाई संबंध सिद्धांत किसी भी व्यक्ति की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। नौरुआन भाषा संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है, लेकिन इस भाषा पर अब तक बहुत कम अध्ययन किए गए हैं जो इसकी उत्पत्ति को स्थापित नहीं कर पाए हैं। आज की नौरुआन भाषा में गिल्बर्ट्स की भाषा और कई अन्य माइक्रोनेशियन भाषाओं के कई शब्द हैं, जैसे पोनापे (माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य), मार्शल द्वीप और सोलोमन द्वीप। लेकिन इन शब्दों को खोजने के लिए यह आधुनिक समय की विशेषताएं प्रतीत होती हैं। नौरुआन भाषा का वंशावली वर्गीकरण पेशेवर भाषाविदों के लिए एक बड़ा कठिन काम रहा है।

बायरन बी बेंडर के अनुसार, "माइक्रोनेशिया के अंदर और बाहर की भाषाओं के साथ कोई घनिष्ठ संबंध अब तक स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए इसिडोर डायन, ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार के अपने लेक्सिकोस्टैटिस्टिकल अध्ययनों में, इस भाषा को एक स्वतंत्र समन्वय शाखा के रूप में समूहीकृत किया है। ऐसे मोड़ पर, नौरुअन्स की उत्पत्ति भाषाई संबंध के माध्यम से स्थापित नहीं की जा सकी।

(iv) भौगोलिक संबंध : यह सिद्धांत नौरुआन मूल के लिए काफी मजबूत है। यह कहता है कि नौरुआन मूल रूप से माइक्रोनेशियन हैं और वे पूर्वी एशियाई माइक्रोनेशियन द्वीपों से आए थे। समुद्र की तेज लहरें पहले के कई लोगों को गिल्बर्ट द्वीप से नाउरु ले गईं और वे वापस नहीं जा सके। एक और समुद्री धारा कुछ मेलानेशियन समूह के लोगों को नाउरु ले गई थी। पुराने दिनों में पॉलिनेशियन के नाउरु में आगमन के कारण फिर से उनके पास पॉलिनेशियन विशेषताओं के कुछ मिश्रण भी हैं।

जैसा कि उपरोक्त सिद्धांतों में से कोई भी निर्णायक नहीं है, आमतौर पर यह माना जाता है कि नौरुआन पॉलिनेशियन, माइक्रोनेशियन और मेलानेशियन के मिश्रण हैं, जो उनके रंजकता और औसत आंकड़ों के कारण पॉलिनेशियन से अधिक निकटता रखते हैं। नौरुआन मुख्य रूप से भूरे रंग के होते हैं और उनके घने, काले बाल होते हैं। पुरुष लगभग 5 फीट 6 इंच की औसत ऊंचाई के होते हैं और महिलाएं दो या तीन इंच छोटी होती हैं।

हालांकि नौरुअन्स की उत्पत्ति अब तक स्थापित नहीं हुई है, यह एक स्थापित तथ्य है कि वे दुनिया की एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता से संबंधित हैं और वे इस द्वीप में हजारों वर्षों से एक अलग जीवन-शैली और समाज के

साथ एकांत में थे जो उनकी किंवदंती और पौराणिक कथाओं का प्रमाण है जिसकी प्राचीनता उनके पूर्वजों के माध्यम से उनकी उत्पत्ति को युगों तक ले जाती है।

नौरुआन जनजातियाँ

नौरुआन को 12 प्राचीन और विशिष्ट जनजातियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक जनजाति का एक विशेष इतिहास होता है और यूटोपिया की भूमि नाओएरो की भूमि में एक विशेष क्षेत्र एवं किंवदंती के साथ सीमा रहित अतीत से जुड़ा होता है। उनके मध्य सभी अलग-अलग भाषाएं भी थीं और वे पुराने समय में एक-दूसरे की भाषाओं को समझने में असमर्थ थे। इस कारण से, नौरुआन शब्दों के क्लासिक संग्रह विभिन्न क्षेत्रों/जिलों के कई नौरुआन द्वारा नहीं समझे जाते हैं। ये बारह जनजातियाँ अब नौरुआन समाज का मिश्रण हैं। फिर से इन बारह जनजातियों में से, दो आज विलुप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी वे नौरुआन एकीकृत संस्कृति और राष्ट्रीय ध्वज में प्रतीक हैं।

बारह जनजातियाँ, और विशेष अर्थ वाले उनके नाम इस प्रकार हैं (एक नौरुवासी से एकत्रित) :

- (i) ईएमविट (ईमुइट) का अर्थ है सांप/ईल, धूर्त, फिसलन, झूठ बोलने में अच्छा और शैलियों की नकल



- (ii) ईमविटमविट (ईमविडमविट, ईमुइटम्यूट) का अर्थ है ड्रैगन-फलाई (छोटा हरा टिड्डा, क्रिकेट/कीट, व्यर्थ, सुंदर, एक कर्कश शोर और शिष्टाचार के साथ समान रूप से साफ-सुथरापन)
- (iii) ईओरु (ईओरु) का अर्थ है केकड़ा, विनाशक, योजनाओं को नुकसान पहुँचाता है, ईर्ष्यालु
- (iv) ईमविटडारा (ईमविविडारा, एमुइडेरा) का अर्थ है ड्रैगन-फलाई
- (v) ईनो का अर्थ है मछली (पुराना पहला), सीधा, पागल, उत्सुक
- (vi) इरुवा (इदरुआ) का अर्थ है अजनबी, विदेशी, दूसरे देशों का व्यक्ति, बुद्धिमान, सुंदर, मर्दाना
- (vii) इवी (लुई) का अर्थ है जूँ (सिर की जूँ) - अब विलुप्त जनजाति
- (viii) इरुस्ती (इरुत्सी) का अर्थ है स्पर्श स्टंप (समुद्र तट घास), नरभक्षण - अब विलुप्त जनजाति
- (ix) देइबो (टेबोई) का अर्थ है महान (छोटी) काली मछली, मूड़ी, धोखेबाज, किसी भी समय बदलने वाला व्यवहार
- (x) रानीबोक (रानीबेक) का अर्थ है तट पर धोई गई वस्तु, फ्लोट्सम और जेट्सम (पानी पीना)
- (xi) एमिया का अर्थ है केकड़ा (अच्छी आंखें), रेक का उपयोगकर्ता, गुलाम, स्वस्थ, सुंदर बाल, दोस्ती में धोखा और
- (xii) इमैंगम (इमानुम) का अर्थ है बहता हुआ माल और कूड़ा (बाधाओं और अंत, आवारा), खिलाड़ी, अभिनेता।



नाउरु में दो जनजातियाँ अब विलुप्त हो गई हैं। वे इवी और इरुत्सी हैं। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या कोई जनजाति नरभक्षी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इरुत्सी जनजाति नरभक्षी थी और वे नाउरु के पूर्व में अनीबारे खाड़ी की उत्तरी पहाड़ियों में इजुव जिले में रहते थे। वे गुफाओं में रहते थे और मछुआरों को मारते थे जो रात में मछली पकड़ने के लिए अपनी डोंगी के साथ आते थे क्योंकि यह विशेष स्थान मछलियों से भरा था। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज बाद में तब हुई जब द्वीप के इस तरफ सड़क निर्माण चल रहा था।

नौरुआन किंवदंतियाँ, परंपराएं एवं संस्कृतियाँ

नौरुआन किंवदंतियाँ और लोककथाएं दुनिया में अद्वितीय हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ एशियाई किंवदंतियों के साथ कुछ संबंध पाए जा सकते हैं जैसा कि दुनिया भर के अधिकांश किंवदंतियों में देखा गया है। किसी भी बड़ी भूमि से लंबे अलगाव के कारण, नाउरु हमेशा अपने तरीके से अद्वितीय रहा है। नाउरु की किंवदंतियाँ उनकी महान संस्कृति और सभ्यता का एक अविभाज्य हिस्सा हैं। ये किंवदंतियाँ नाउरु के निर्माण, ब्रह्मांड के निर्माण, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नाउरु के आसपास के सभी जीवन के बारे में बात करती हैं। यह नैतिकता, सही या गलत और कई अन्य चीजों के बारे में भी बात करती हैं। ये सभी किंवदंतियाँ और कहानियाँ मौखिक थीं और कहानीकारों, वृद्धों

और परिवार या जनजातियों के प्रमुखों के माध्यम से पीढ़ी से पीढ़ी तक सौंपी गई थीं। ये किंवदंतियाँ समुद्र, समुद्री जीवन (शार्क, सीप, केकड़े आदि) और आसपास की अन्य भूमि या अन्य मनुष्यों के अस्तित्व या आसपास के जीवन के बारे में नौरुअन्स के प्राचीन ज्ञान को ले जाती हैं।

नाउरु की सबसे महत्वपूर्ण किंवदंतियों में से एक नाउरु की उत्पत्ति के बारे में है। यह किंवदंती किरिबाती में अपनी एक और बहन द्वीप, बानाबा द्वीप (जिसे पहले महासागर द्वीप कहा जाता था) के साथ बहुत करीबी संबंध दिखाती है। बनबा द्वीप सिर्फ समान दिखने वाला द्वीप है और समृद्ध फॉस्फेट जमा से भरा है, जो नाउरु (230 किमी) के निकटतम है। वनस्पति, जीव और बनबा का परिदृश्य नाउरु की तरह ही है। इस किंवदंती के अनुसार, बनबा द्वीप नाउरु का एक हिस्सा था और इसे प्राचीन दिनों में अनिबारे खाड़ी के अंदर फिट किया गया था। यह आसमान से पलटी हुई डोंगी की तरह दिखती है और इसके एक

तरफ ही रेत और चट्टान है। फिर से इस किंवदंती के अनुसार, नौरुअन मानते थे कि नाउरु एकमात्र द्वीप था जो निर्माण के समय अस्तित्व में था।

ईगिगु की किंवदंती भी बहुत प्रसिद्ध है। छोटी लड़की, ईगिगु अपने अन्य भाइयों और बहनों के साथ खेलती थी। एक शाम उसे उसकी माँ ने डांटा और वह डर के मारे घर से निकली और एक पेड़ पर चढ़ गई और कभी वापस नहीं आई। ऐसा माना जाता था कि वह चंद्रमा पर गई और चंद्रमा, मारमारन से शादी की। एक अन्य किंवदंती, एडोगोरुब सृष्टि, रात्रि एवं समुदाय को दंड से संबंधित है। इस तरह, नाउरु में बहुत सारी किंवदंतियाँ और लोककथाएँ हैं और वे नाउरु के जीवन, संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई हैं। ये किंवदंतियाँ उनके समाज की समृद्धि का संकेत देती हैं। यह पुराने दिनों में उनके जीवन की एक झलक भी प्रदान करता है।



आजकल की गर्मी

सुमित

लेखाकार

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी),
हरियाणा, चंडीगढ़

गर्मी का मौसम आ गया है और सूरज महाराज ने फिर से हमारे जीवन में अपनी गरिमा और तपिश का जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे सूरज महाराज अपनी पूरी बारात लेकर धरती पर उतरे हैं और हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आजकल की गर्मी कुछ ऐसी हो गई है कि इंसान तो क्या, पंखे और एसी भी पसीना-पसीना हो जाते हैं। सूरज महाराज सुबह-सुबह ही अपने पूरे जलवे के साथ प्रकट होते हैं। मानो वे कह रहे हों, "आज देखता हूँ तुम सबको, कौन बचाता है मुझसे!" घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी विशाल तंदूर में प्रवेश कर गए हों। घर के अंदर एसी और कूलर भी सूरज महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं।

1. गर्मी का स्वागत

गर्मी का स्वागत कैसे किया जाए, यह हमारे लिए हर साल बड़ा प्रश्न होता है। इस बार, मैंने तय किया कि मैं गर्मी का स्वागत ठंडे पानी की बाल्टी से करूंगा। जैसे ही सूरज महाराज अपनी पूरी तेजी से तपने लगे, मैंने सोचा कि बालकनी में जाकर सूरज को यह बता दूँ कि मैं तैयार हूँ। बाल्टी भर के बालकनी में पहुंचा, मगर गर्मी की ऐसी तीव्रता थी कि पानी बाल्टी में ही उबलने लगा। मैंने सोचा, "वाह! गर्मी का स्वागत तो मैं क्या, पानी भी नहीं कर पा रहा।"

2. पसीना और पराठे

गर्मी में सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुभव होता है पसीना। ऐसा लगता है जैसे शरीर में पसीने की फैक्ट्री लग गई हो। अगर

इस पसीने का इस्तेमाल किसी तरह से बिजली बनाने में किया जा सके, तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए। अब तो ऐसा हो गया है कि रसोई में पराठे बनाते समय पसीना भी एक अतिरिक्त नमक का काम कर रहा है। पसीना बहता जाता है और पराठे में घुलता जाता है, बिल्कुल जैविक नमक।

3. छाते की महिमा

गर्मी के दिनों में छाता नहीं, बल्कि "सूरज देवता का कवच" बन जाता है। पहले छाता सिर्फ बरसात में काम आता था, लेकिन



अब गर्मी में भी उसका जलवा बरकरार है। सड़क पर चलने वाले लोग छाते के नीचे ऐसे चलते हैं जैसे कोई राजकुमार अपनी सेना के साथ हो। अगर गलती से भी छाता घर भूल गए, तो मानो रणभूमि में बिना कवच के उतर गए हों।

4. बिजली और पंखे का रिश्ता

गर्मी आते ही पंखा और एसी हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते

हैं। लेकिन आजकल की गर्मी में बिजली का आना-जाना भी ऐसा हो गया है जैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स का आना-जाना। एक मिनट के लिए बिजली आई तो मानो पूरा मोहल्ला ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। सब अपने-अपने पंखे और एसी चलाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल बिजली चली जाती है और हम सब फिर से पुराने ज़माने के राजा-महाराजाओं की तरह हाथ के पंखे से हवा करने लगते हैं।

5. पानी और प्यास का संग्राम

पानी की कहानी भी कुछ कम मजेदार नहीं है। टंकी में पानी ऐसे गायब हो जाता है जैसे आपके बैंक खाते से अचानक पैसे।



मोहल्ले की ओरतें जब पानी भरने जाती हैं, तो वहाँ का दृश्य ऐसा होता है मानो कुंभ का मेला लग गया हो। कोई बाल्टी से पानी खींच रहा है, तो कोई पाइप से लड़ाई कर रहा है।

गर्मी में पानी की प्यास भी अजीब होती है। ऐसा लगता है कि हम सब ऊंट बन गए हैं और पानी की एक-एक बूंद हमारे लिए अमृत बन गई है। जैसे ही पानी का गिलास मिलता है, हम उसे ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई जादुई चिराग मिल गया हो। और हां, फ्रिज के ठंडे पानी के लिए तो घर में महाभारत भी हो सकता है। एक बार मैंने देखा कि मेरी माँ और बहन के बीच ठंडे पानी के लिए

ऐसा युद्ध छिड़ा था कि लगा, महाभारत का पुनः प्रसारण हो रहा है।

6. बाजार और गर्मी

गर्मी के मौसम में बाजार जाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। बाजार में सब्जीवाले से लेकर आइसक्रीम वाले तक सब ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने उन्हें धूप में तवा पर रख दिया हो। सब्जीवाले की सब्जियाँ तो इतनी मुरझा जाती हैं कि उन्हें देख कर लगता है, मानो वो भी गर्मी से तंग आकर आत्महत्या करने की सोच रही हों।

7. सड़क का हाल

सड़क पर चलना मतलब अपने शरीर को भट्टी पर सेंकने जैसा है। चप्पलें पिघलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि आपके पैर सड़क पर चिपक जाएंगे। लोगों का बाहर निकलना तो वैसे भी कम हो गया है, लेकिन अगर किसी को बाहर जाना पड़े तो वह इसे अपनी शौर्य गाथा समझता है।

8. गर्मी का अंतिम संवाद

और आखिर में, गर्मी की छुट्टियाँ। स्कूल बंद, बच्चे घर में, और माता-पिता की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वे गर्मी के साथ-साथ पिघल रहे हों। बच्चों की ऊर्जा और गर्मी की तपिश का कॉम्बिनेशन किसी रॉकेट से कम नहीं। आजकल की गर्मी ने सच में हमारे जीवन में एक नया रंग भर दिया है। ये रंग कभी-कभी हँसी से भरा होता है, तो कभी-कभी परेशानी से। गर्मी का यह मौसम हमें भले ही परेशान करे, लेकिन इसके बिना हमारे जीवन में मजा भी नहीं आता। हमें हँसते-हँसते इन मुश्किलों का सामना करना चाहिए और सूरज देवता की इस तपिश को सहन करना चाहिए, क्योंकि यही गर्मी एक दिन हमें ठंडे मौसम की खुशियाँ भी देती है।

आइये भविष्य (Bhavishya) को जाने.....

राजीव भाटिया

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर

केंद्र सरकार द्वारा सभी पेंशनर्स के लिए समय समय पर कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। आजकल के डिजिटलीकरण के युग में हर प्रकार की सुविधा को आप घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनरों के लिए सक्रिय और सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने की दृष्टि से काम कर रहा है, ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सभी सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की सुपुर्दगी सुनिश्चित हो सके।

इस लक्ष्य की दिशा में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 'भविष्य' नामक एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली 1 जनवरी 2017 को देश के पेंशन धारियों के लिए शुरू की है। यह प्रणाली व्यक्ति के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑन-लाइन ट्रेकिंग प्रदान करती है। यह प्रणाली पेंशनरों के व्यक्तिगत और सेवा विवरणों को अधिकृत करती है। इस प्रणाली में पेंशन के प्रक्रियाकरण के लिए फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति से अवगत करती है। यह प्रणाली पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित कर पेंशन के भुगतान में विलम्ब से बचाती है।

भारत सरकार द्वारा पेंशनर्स के लिए शुरू किया गया भविष्य पोर्टल भारत के सभी राज्यों के पेंशन धारियों को उनके पेंशन की स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रेकिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। इस लेख के माध्यम से सरकार द्वारा

पेंशनर्स के लिए लांच किये गये इस पोर्टल पर प्रदान की जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई है, जो भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

उद्देश्य

- सेवानिवृत्त व्यक्ति को समय पर सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने और भविष्य में समय पर पहली पेंशन तथा बाद में भी नियमित रूप से पेंशन का वितरण।
- प्रत्येक स्तर पर मामलों का समय पर प्रसंस्करण करना।
- संबंधित हितधारकों को देय और निष्पादित प्रत्येक कार्रवाई के लिए चेतावनी, अनुस्मारक और सूचनाएं प्रदान करना।
- सेवानिवृत्ति स्तर पर पेंशन मामलों की ऑनलाइन निगरानी करना।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के फॉर्म सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के अनुसार ऑनलाइन भरने के लिए मार्गदर्शन करना और समय पर उनकी सेवानिवृत्ति प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कदम उठाना।

मुख्य विशेषताएं

1. एकल खिड़की और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से यह सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति प्रक्रिया से संबंधित पूरी प्रक्रिया को

ऑनलाइन जानने के लिए एक सुविधाजनक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

2. सेवानिवृत्त कार्मिकों को स्वतः पंजीकरण/नामांकन की सुविधा प्रदान करता है।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) / कार्यालय अध्यक्ष (एचओओ) / भुगतान एवं लेखाधिकारी (पीएओ) आदि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रदान करता है।
4. जांच में विलम्ब होने पर विभागीय अधिकारियों को मदद प्रदान करता है।
5. सेवानिवृत्त कार्मिक अपने खातों में ऑनलाइन लॉगिन करके पेंशन संबंधी सभी फॉर्म भर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।
6. संबंधित हितधारकों को ऑटो अलर्ट/रिमाइंडर के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया में विलंब से बचाना।
7. फॉर्म 7 और फॉर्म 8 एवं गणना प्रपत्र का स्वतः निष्पादन कर इन्हें पीएफएमएस में ऑनलाइन हस्तांतरित करना।
8. पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर ऑनलाइन प्रदान कर विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान विवरण पीएफएमएस के माध्यम से निकालना।
9. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) से पेंशन जमा विवरण ऑनलाइन प्राप्त करना
10. इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ईपीपीओ) निकलने की सुविधा प्रदान करना।
11. भविष्य से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ईपीपीओ) डिजिलॉकर में भेजने की सुविधा प्रदान करना।

हितधारक

1. व्यक्तिगत (सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी)
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO)
3. कार्यालय प्रमुख (HOO)
4. विभागाध्यक्ष (HOD)
5. भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ)
6. सम्पदा निदेशालय (DOE)
7. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ)
8. पेंशन संवितरण बैंक

“भविष्य” तक कैसे पहुँचें

भविष्य तक पहुँचने के लिए व्यक्तिगत हितधारक को गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या एज पर जाकर निम्नलिखित ब्राउजर्स (browsers) को लॉग इन हेतु काम में लेना होगा: -

<https://bhavishya.nic.in>

अथवा

पेंशनर पोर्टल पर जाकर निम्नलिखित browsers को लॉग इन हेतु काम में लेना होगा: - <http://pensionersportal.gov.in> पर जाकर "भविष्य" पर क्लिक करना होगा।

“भविष्य” हेतु निर्धारित प्रक्रिया

सेवानिवृत्त लॉगिन -

- आगामी 12-15 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का विवरण भविष्य में उनके वेतन पैकेज (ईआईएस) के माध्यम से स्वचालित रूप से जुड़ जाता है।

- भविष्य पोर्टल में उपलब्ध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेवानिवृत्ति की तारीख से 12-15 महीने पहले सेवानिवृत्त होने वालों को लॉगिन विवरण भी भेजा जाता है।

पेंशन प्रपत्र भरने से पहले सेवानिवृत्ति द्वारा आवश्यक तैयारी/दस्तावेज

- आईएफएससी (IFSC) की पुष्टि के लिए बैंक पासबुक / चेक बुक (खाता केवल जीवनसाथी के साथ संयुक्त होना चाहिए और प्राथमिक खाता धारक के रूप में पहला नाम सेवानिवृत्त कार्मिक होना चाहिए)।
- विवाहित पुत्र, विवाहित पुत्री और माता-पिता सहित परिवार के सभी सदस्यों की सरकारी दस्तावेज के अनुसार जन्म तिथि।
- स्कैन की हुई निम्नानुसार तस्वीरें –
 - सेवानिवृत्त कार्मिक की एकल स्कैन की गई तस्वीर (अधिकतम आकार: 70 KB में jpg, jpeg या png प्रारूप में)
 - सेवानिवृत्त व्यक्ति के हस्ताक्षर की स्कैन की गई तस्वीर (अधिकतम आकार: 70KB में jpg, jpeg या png प्रारूप में)
 - पति/पत्नी के हस्ताक्षर /अंगूठे (निरक्षरता के मामले में) की स्कैन की गई तस्वीर (अधिकतम आकार: 70KB में jpg, jpeg या png प्रारूप में)
 - केवल जीवनसाथी के साथ स्कैन की गई संयुक्त छवि (अधिकतम आकार: 70KB में jpg, jpeg या png प्रारूप में)
- सेवानिवृत्त कार्मिक और पति या पत्नी दोनों का शारीरिक पहचान चिह्न।
- संबंधित परिवार के सदस्यों के विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज भी कार्मिक के पास होने चाहिए:
 - स्वयं एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
 - निवास प्रमाण पत्र
 - आय प्रमाण पत्र
 - बैंक खाता विवरण
 - जो काम कर चुके हैं उसकी जानकारी से जुड़ा प्रमाण पत्र
 - ईमेल आईडी
 - स्वयं एवं पत्नी का पैन कार्ड
 - जन्म प्रमाण पत्र
 - स्वयं एवं परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो

सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा पेंशन प्रपत्र हेतु कार्रवाई

सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को सर्वप्रथम गूगल क्रोम या फायरफॉक्स पर जाकर निम्नलिखित browsers को लॉगिन हेतु काम में लेना होगा-

<https://bhavishya.nic.in>

<http://pensionersportal.gov.in> पर जाकर "भविष्य" पर क्लिक करना होगा।

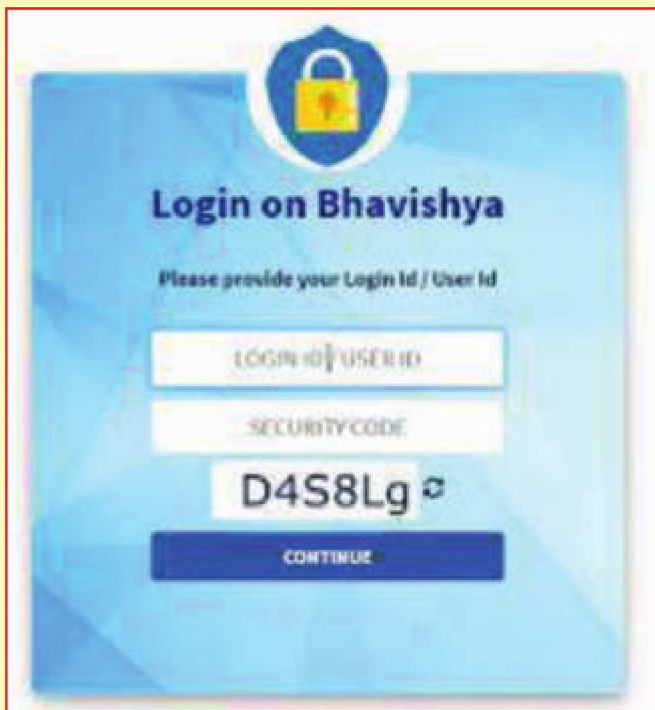
अथवा

I. ऐसा करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा-



इस वेब पेज के दायें हाथ पर कोने में स्थित लॉगिन पर क्लिक करना होगा।

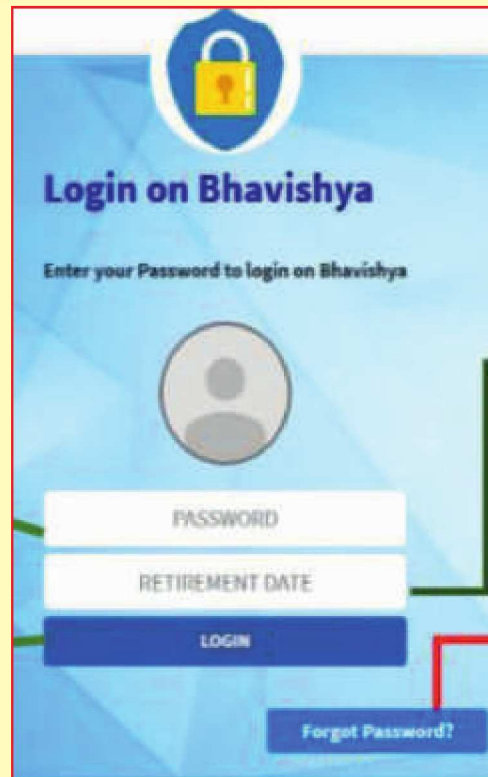
II. ऐसा करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा-



The login page has a blue background with a lock icon at the top. It contains the following fields and buttons:

- LOGIN ID / USER ID** (Text input field)
- SECURITY CODE** (Text input field)
- CONTINUE** (Blue button)

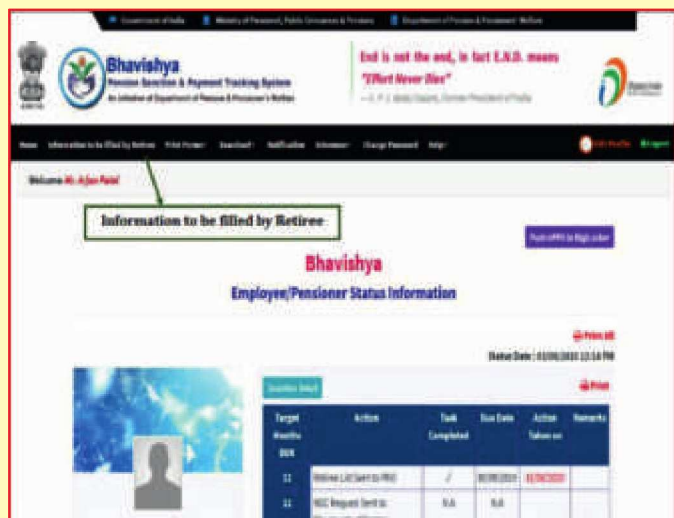
इसमें यूजर ID कार्मिक का पैन नंबर होता है, इसमें सिक्यूरिटी कोड डालने के बाद continue पर क्लिक करने पर निम्न पेज खुलेगा-



This is another view of the login page, showing the password field and a forgot password link.

- PASSWORD** (Text input field)
- RETIRED DATE** (Text input field)
- LOGIN** (Blue button)
- Forgot Password?** (Blue button)

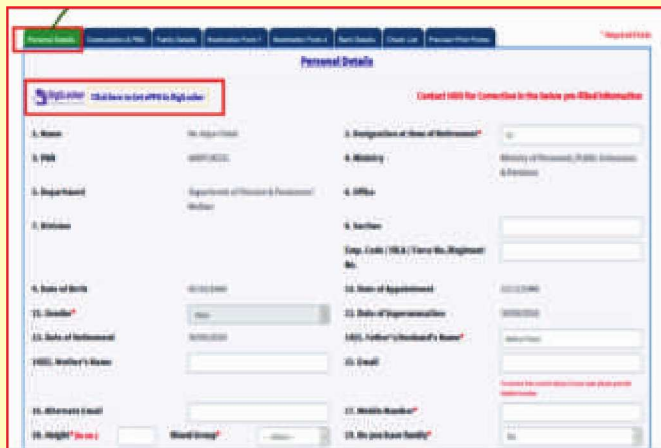
इसमें जब पहली बार लॉगिन करने पर वन-टाइम पासवर्ड जन्मतिथि होता है और पहले लॉगिन के बाद इसे बदलने की जरूरत है। सेवानिवृत्ति तिथि अगले बॉक्स में डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करने पर सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सूचनाये भरने हेतु निम्न पेज खुलेगा-



The page shows the 'Information to be filled by Retiree' section. It includes a table for 'Employee/Pensioner Status Information'.

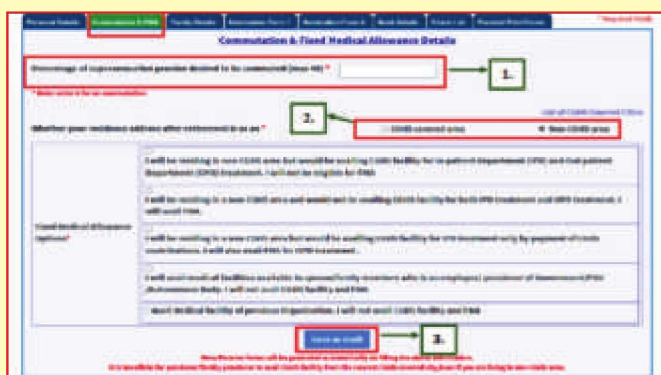
Target	Action	Task Completed	Due Date	Action Taken on	Remarks
11	RENEWAL OF PASSPORT	/	30/09/2024	30/09/2024	
11	RENEWAL OF PASSPORT	N/A	N/A		

III. इस वेब पेज बांये हाथ पर कोने में दूसरे बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा-



इस वेब पेज में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। ईआईएस/वेतन पैकेज से लिया गया व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र में पहले से भरा जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को शेष विवरण दर्ज करना होता है तथा अपना स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर और पत्नी के साथ संयुक्त फोटोग्राफ भी अपलोड करने होते हैं।

IV. इस वेब पेज के बांये हाथ पर कोने में दूसरे बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा, जिसमें पेंशन के रूपांतरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद सीजीएस सुविधा लेने अथवा स्थायी चिकित्सा भत्ता (सीजीएस से इतर क्षेत्र का विकल्प देने पर देय) प्राप्त करने का विकल्प देना होता है-



1. यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति अधिकतम अनुमत सीमा मूल पेंशन का 40% तक का रूपांतरण करना चाहता है, तो यह रूपांतरण वैकल्पिक है।

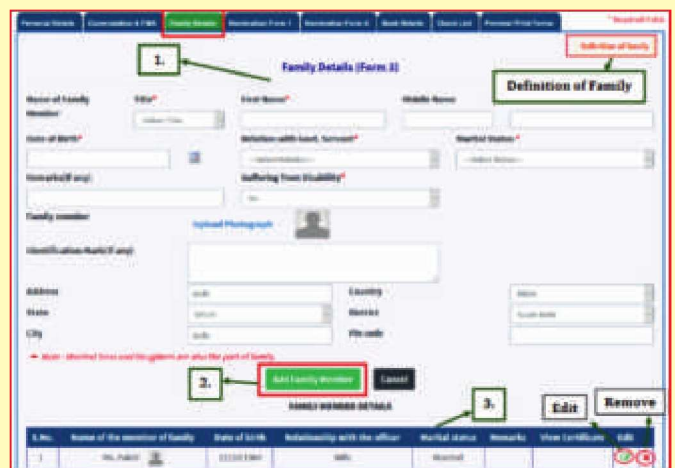
2. क्या सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त कार्मिक के निवास का पता निम्न में से एक के रूप में है, इसका विकल्प यहाँ देना होता है:

(ए) सीजीएस कवर क्षेत्र

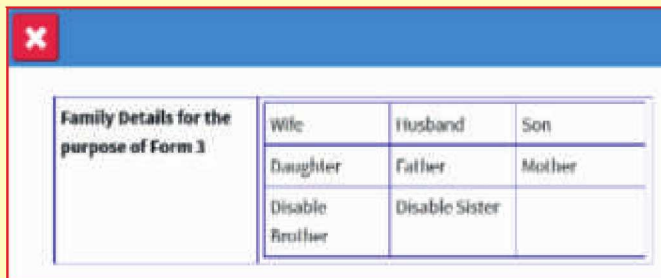
(बी) सीजीएस से इतर क्षेत्र

3. विवरण भरने के बाद, 'ड्राफ्ट के रूप में सहेजें' पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद इस वेब पेज में भरी जानकारी सुरक्षित हो जाती है।

V. इस वेब पेज के अगले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा, जिसमें **परिवार का विवरण (प्रपत्र 3)** देना होता है:



1. परिवार के सदस्यों का विवरण एक-एक करके भरना होता है, "परिवार की परिभाषा" के लिए लिंक इस वेब पेज के दाईं ओर प्रदान किया गया है। इस लिंक के अनुसार परिवार में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होते हैं:

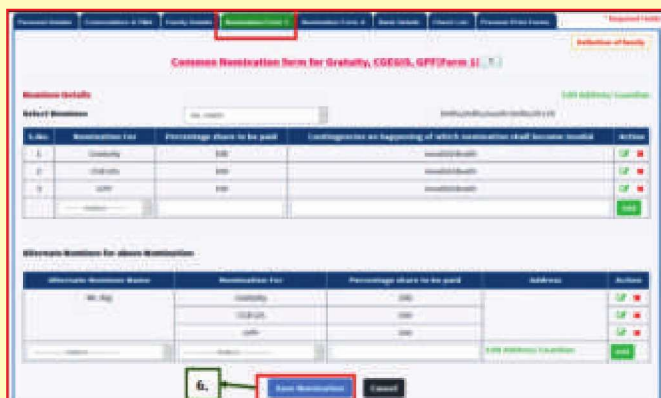


इसमें विवाहित पुत्र एवं पुत्रियों का विवरण भी भरा जाता है भले ही वे कार्मिक पर आश्रित न हों।

2. परिवार के सदस्य का विवरण भरने के पश्चात 'परिवार के सदस्य जोड़ें' पर क्लिक करना होता है। इसी तरह, एक-एक करके परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण भी जोड़ना होता है एवं जोड़े गए परिवार के सदस्य का विवरण मध्य फोटोग्राफ नीचे दी गई तालिका में दिखाई देगा।

नोट: यदि परिवार के किसी सदस्य का विवरण बदलने की आवश्यकता है तो संपादित (Edit) करें बटन पर क्लिक करना होता है। यदि परिवार के किसी सदस्य का विवरण हटाना चाहते हैं तो क्रॉस बटन पर क्लिक करना होता है।

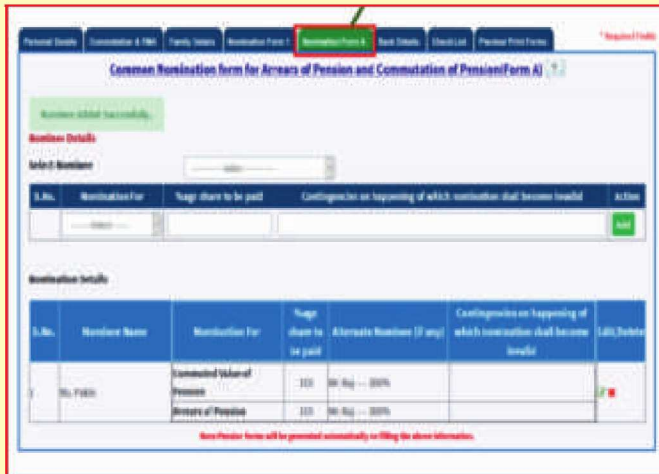
- VI. इस वेब पेज के अगले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा, जिसमें उपदान, जी.पी.एफ. एवं सी.जी.ई.जी.आई.एस.के नामांकन का विवरण (प्रपत्र 1) देना होता है:



सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सूची में से या वैकल्पिक रूप से नामांकित व्यक्ति का चयन कर सकता है। विभिन्न नामांकन प्रकारों के लिए "परिवार की परिभाषा" के अनुसार नामांकित व्यक्ति का चयन कर सकता है।

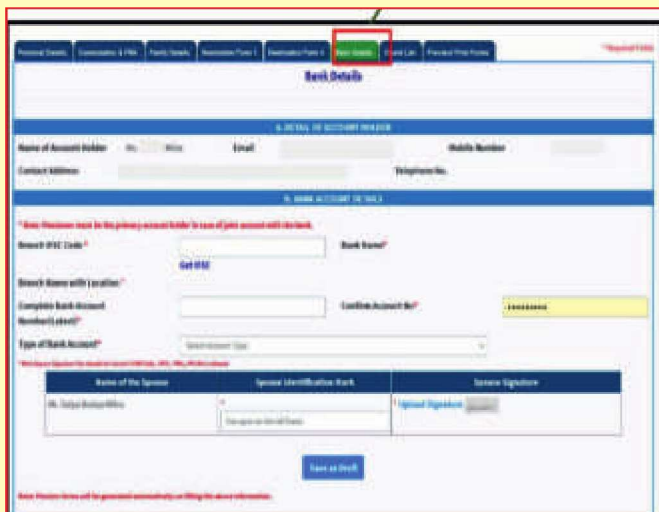
- 'नामांकन किस भुगतान हेतु किया गया है' इसका विकल्प चुनना होता है।
- भुगतान किया जाने वाला प्रतिशत हिस्सा दर्ज करना होता है।
- यदि भुगतान किसी वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति को किया जाना है तो "वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति जोड़ें" पर क्लिक करें और नाम, नामांकन प्रकार का चयन कर भुगतान किए जाने वाले शेयर का प्रतिशत दर्ज करना होता है।
- विवरण भरने के बाद, 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करना होता है।
- नामांकन विवरण को अंतिम रूप देने के लिए "नामांकन सहेजें" बटन पर क्लिक करना होता है।
- फॉर्म कार्यालय प्रमुख को भेजे जाने तक नामांकन को में ओर सुधार या विलोपन किया जा सकता है।

- VII. इस वेब पेज के अगले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा, जिसमें पेंशन रूपांतरण, पेंशन बकाया के भुगतान के नामांकन का विवरण (प्रपत्र A) देना होता है:



नामांकित और वैकल्पिक नामिती को नामित करने की प्रक्रिया नामांकन फॉर्म 1 के समान ही है, सिवाय इसके कि यहां सेवानिवृत्त "परिवार की परिभाषा" की किसी भी सीमा के बिना नामांकन कर सकते हैं।

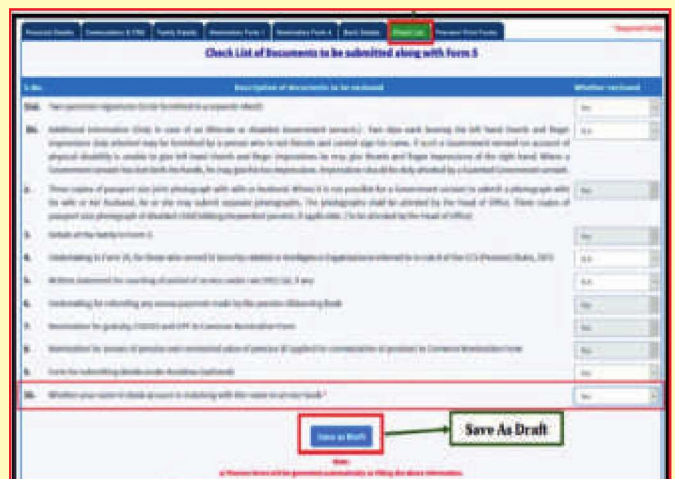
VIII. इस वेब पेज के अगले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा, जिसमें पेंशन भुगतान हेतु बैंक का विवरण देना होता है:



- पेंशन और संबंधित सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण बैंक खाते का विवरण (जैसे IFSC कोड, खाता संख्या आदि) के लिए भरने की आवश्यकता है।

- इसमें बैंक का IFSC कोड भरते ही बैंक का नाम और पता आदि सभी विवरण अपने आप भर जाते हैं।

IX. इस वेब पेज के अगले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा, जिसमें प्रपत्र 5 के साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की पुनः जांच हेतु एक जांच सूची (Check List) का विवरण होता है:



- जांच सूची संलग्न किए जाने वाले प्रपत्रों/दस्तावेजों की सूची है।
- इसके अलावा, आपको बिंदु संख्या 10 को सावधानीपूर्वक सत्यापित करना होता है और इसमें केवल "हां" विकल्प का चयन करना होता है क्योंकि यदि "नहीं" विकल्प का चयन करते हैं तो कार्यालय प्रमुख को ये सभी फॉर्म जमा नहीं हो पाएंगे।

X. इस वेब पेज के अगले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित वेब पेज खुलेगा, जिसमें भरे गए सभी प्रपत्रों का प्रिन्ट लेने से पूर्व पूर्वावलोकन किया जाता है और किसी भी प्रपत्र में कोई त्रुटि होने पर सम्बंधित प्रपत्र को सही रूप से पुनः भरने का विकल्प होता है:



- इस खंड में सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने द्वारा भरे गए सभी प्रपत्रों का पूर्वावलोकन कर सकता है और "HOO को सबमिट करें" बटन पर क्लिक करके उन्हें कार्यालय प्रमुख को भेज सकता है।
- ऑनलाइन जमा करने के बाद, सेवानिवृत्त व्यक्ति को भरे हुए प्रपत्रों का प्रिंट आउट लेना होगा, उन पर हस्ताक्षर करना होगा और कार्यालय प्रमुख को हार्ड कॉपी में जमा करना होगा।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक

16 जुलाई, 2024 के माध्यम से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 (15) (e) में संशोधन करते हुए यह प्रतिस्थापित किया है-

"(e) सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय परिवार का अद्यतन विवरण फिर से फॉर्म 6-ए में प्रस्तुत करना होगा।"

इसके अतिरिक्त, नियम 53 (क) (1) में निम्नलिखित संशोधन प्रतिस्थापित किया है-

"(1) यदि सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट नहीं दी गई है, तो सरकारी कर्मचारी का पेंशन मामला ऑनलाइन मोड (भविष्य/e-HRMS) के माध्यम से प्रसंस्कृत किया जाएगा और जो अधिकारी e-HRMS पर हैं, वे फॉर्म 6-ए e-HRMS के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे (केवल अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति मामलों के लिए)।

जो सरकारी कर्मचारी e-HRMS पर नहीं हैं और जो मामले सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त हैं (जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, असामयिक सेवानिवृत्ति, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी अवशोषण, अमान्यता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सेवा से बर्खास्तगी/निकालना), वे फॉर्म 6-ए भविष्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।"

ऊपर दर्शाई गई प्रक्रिया से आप भारत सरकार द्वारा लांच किये गये पेंशन पोर्टल "भविष्य" अथवा "e-HRMS" पर अपने पेंशन प्रपत्र बिना किसी बाह्य सहायता के आसानी से भर सकेंगे। तथापि, किसी प्रकार की असुविधा होने पर आपके कार्यालय के सम्बन्धित पेंशन/प्रशासन अनुभाग में सम्पर्क करने का प्रयास करें।



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कहानी



झरने वाली चाय

शिवम सिंह 'शिवोहम'

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून

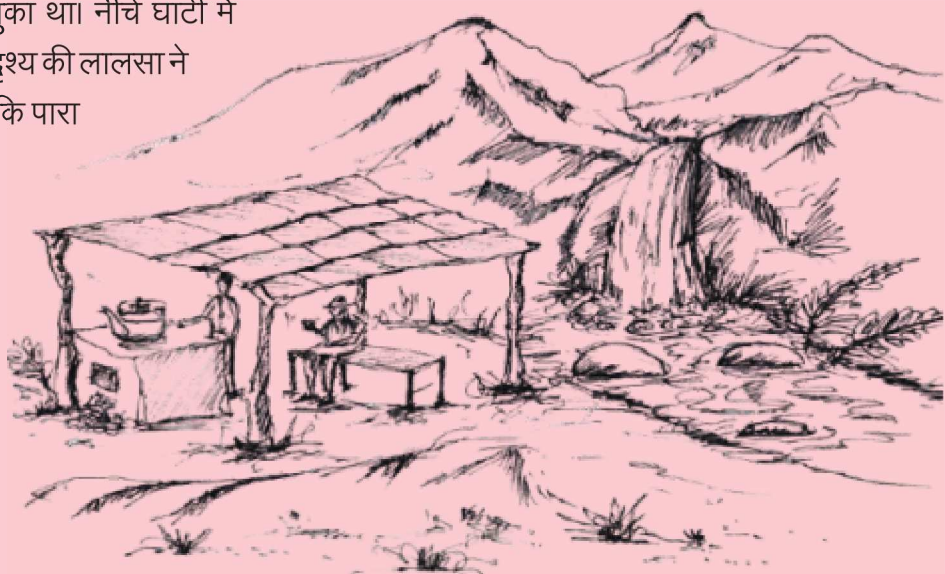
पहाड़ों में हल्की सी बारिश के बाद सायास ही कोई राह पकड़ लेता हूँ। ऐसा लगता है कि सड़क के दोनों किनारे पर देवदार और चीड़ के जंगलों के उत्तुंग तरुओं की पत्तियाँ, तना व जड़ भीगकर मानो हवा में घुल जाते हैं। मैं लंबी-लंबी सांस लेकर जंगलों के बीच से आती इस ठंडी भीनी-भीनी खुशबू को फेफड़ों में भरकर पूरे रोम-रोम में महसूस करता हूँ। ऐसे ही एक शाम की बात है कि सर्पिले रास्तों में रुकते-चलते बढ़ते गये। जब इल्म हुआ तो लगा कि काफी दूर आ गये हैं; अब लौट चलना चाहिए। पता करने पर मालूम हुआ कि पंचाचुली की गोद में बसा मुनस्यारी कुछ तीस-चालीस किलोमीटर ही रह गया है। मन अचानक उत्साहित हो गया। घड़ी ने बताया कि अगर चाह लिया जाए तो पंचाचुली के हिमाच्छादित चोटियों के नयनाभिराम दृश्य का दृश्यपान किया जा सकता है। दो क्षण ही लगे कि गाड़ी उसी दिशा में दौड़ लगा चुकी थी।

घंटे भर में मैं मुनस्यारी में प्रवेश कर चुका था। नीचे घाटी में उतरने से पहले पूरी घाटी के पैनोरमिक दृश्य की लालसा ने रोक दिया। बाहर निकला तो पता चला कि पारा काफी गिर चुका था। दिन की अपेक्षा ठंड बढ़ चुकी थी। गीले रास्तों को देखकर लगता था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर रुकी है।

किसी योजना का न होना स्वच्छंदता का प्रथम सोपान है। मुझे कहीं पहुँचना नहीं था; मैं जहाँ था, वहीं का होना चाहता था। जैकेट में हाथ डाले, मुंह से भाप

निकालते सड़क पर पैदल आगे बढ़ गया। पानी के गिरने-बहने की आवाज ध्वनित हो रही थी। शायद पास में कहीं झरना था। शाम के ढलने के साथ मैं भी आवाज की दिशा में ढलान पर चलने लगा। रास्ता लगभग सुनसान था। कुछ देर की चहलकदमी के पश्चात एक लकड़ी की बनी छोटी सी दुकान दिखी। जिसके भीतर एक बल्ब मद्धम भाव में रोशनी करने का प्रयास कर रहा था। मैं सड़क के दूसरे किनारे पर ठहर गया।

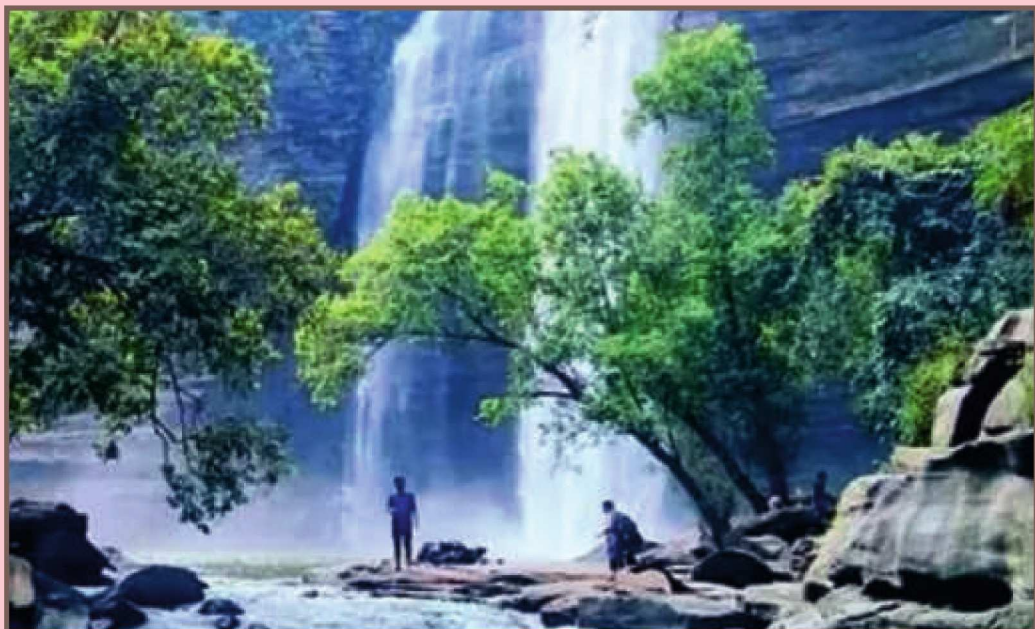
दुकान के आगे की ओर ऊपर गुटरखा पान-मसाला व चिप्स की ऊर्ध्वाधर लड़ियाँ लटक रही थी और नीचे टॉफी, चूरन, बिस्किट के डब्बे थे। मुझे ठहरा हुआ देख एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पानमसाला-चिप्स की लताओं को किनारे करते हुए बीच में प्रकट हुआ... और इशारे से पूछा। कुछ चाहिए...? प्रश्न के पहले तक मैं उद्देश्यरहित था। पर प्रश्न के बाद मैंने मन को टटोला तो चाय की एक अदद इच्छा फूट पड़ी। उम्मीद से आगे जाकर



चचा ने न जाने कहाँ से एक टोपा निकाला। जिसको देखकर यही लगता था कि टोपे का जन्म ही चाय निर्माण के लिए हुआ है और जिसको सहर्ष स्वीकार करते हुए टोपे ने चाय वाले सुनहरे भूरे रंग को भीतर से अंगीकार कर लिया था। आखिरी बार उसे कब ढंग से धोया गया था; ये चचा के साथ-साथ टोपे को खुद भी याद नहीं होगा।

भीतर से आती आवाज से लग रहा था कि चचा स्टोव में हवा भरना शुरू कर चुके थे। मैं वहीं रखे एक प्लास्टिक के स्टूल पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक बिना हैंडल वाला जग पकड़ाते हुए चचा बोले- जरा पानी लाओ तो। मुझे अटपटा सा लगा। चचा जग थमाकर खुद पानमसाला-चिप्स की लड़ियों के पीछे फिर से अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने आस-पास नज़र घुमाकर देखा। असमंजस में था कि कहाँ से पानी लाना है कि चचा भीतर से ही बोले आगे एक गदेरा है।

मैं जग लिए ढलान पर उतरने लगा। दस कदम ही चला था कि झरने की गूँज तेज होती चली गई। पास जाकर देखा तो ऊपर कहीं पहाड़ पर उगे पेड़ों के बीच से होते हुए पानी की कई धारायें एकाकार हो छोटे-बड़े पत्थरों से टकराते हुए दौड़ रही थी। हलकी दुधिया रोशनी में बहता हुआ पानी सफ़ेद उज्ज्वल रंग में चमक रहा था। हाथ लगाया तो पानी बेहद ठंडा था। फटाफट जग में पानी भरा और वापस चल दिया। जैकेट की बाहें भींगने और जूते में पानी भर जाने से सिहरन हो रही थी। चाय की इच्छा और तेज हो चुकी थी। चचा को जग थमाकर मैं फिर से उसी प्लास्टिक के स्टूल पर बैठ गया।



मैं पहली बार झरने वाली चाय पीने को लेकर उत्साहित था। चचा भीतर खटर-पटर किए जा रहे थे और मैं शाम के धुंधलके में सामने पंचाचुली की चमकती बर्फ की आभा को आँखों में बसाना चाह रहा था। उतारना जितना सरल होता है, बसा लेना उतना ही कठिन। तब तक चचा की झरने वाली स्पेशल चाय तैयार हो चुकी थी। मैंने गिलास थाम लिया। हल्की सी फूंक के साथ ही चाय की चुस्कियों में मुनस्यारी को निहारने लगा। शाम अपने आखिरी पड़ाव पर थी। अँधेरे के साथ ठण्ड पहाड़ों की चोटियों से धीरे-धीरे उतरकर घाटी में पसरती जा रही थी। उजाला पंचाचुली की चोटियों के चमकते हुए हिमखंडों में बचा हुआ था जिसे देखते ही देखते बादलों ने अपने में छुपा लिया। चचा भी दुकान समेटने में लग चुके थे।

चाय खत्म हो गई पर गिलास में थोड़ी गरमाहट बची हुई थी। वहाँ से लौटने की इच्छा नहीं हो रही थी। चचा गुमटी के कोने-कोने में दौड़ती मेरे आँखों की पुतलियों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। समय ज्यादा गुजरता देख मैंने एक तरफ इशारा कर दिया। चचा ने मुट्ठी भर संतरे वाली टॉफी पकड़ा दी। उनको कुल बीस रुपए देकर मैं एक बीता दौर साथ लिए चलता बना।



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रेसक प्रसंग

प्रेरक प्रसंग



अनुराग प्रभाकर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली

बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी, “बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जबसे युद्ध से लौटा है ठीक से बात तक नहीं करता।”

“युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है”, सन्यासी बोला।

“लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी-बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है, कृपया आप मुझे वो जड़ी-बूटी दे दें”, महिला ने विनती की।

सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, “देवी मैं तुम्हें वह जड़ी-बूटी जरूर दे देता लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है।”

“आपको क्या चाहिए मुझे बताइए मैं लेकर आऊंगी”, महिला बोली।

“मुझे बाघ की मूँछ का एक बाल चाहिए”, सन्यासी बोला।

अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी, बहुत खोजने के बाद

उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा, बाघ उसे देखते ही दहाड़ा, महिला सहम गयी और तेजी से वापस चली गयी।

अगले कुछ दिनों तक यही हुआ, महिला हिम्मत कर के उस बाघ के पास पहुँचती और डर कर वापस चली जाती। महीना बीतते-बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गयी, और अब वह उसे देख कर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी, और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूँछ का एक बाल भी निकाल लिया।



फिर क्या था, वह बिना देरी किये सन्यासी के पास पहुंची, और बोली - “मैं बाल ले आई बाबा।”

“बहुत अच्छे।” और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया।

“अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किये और आपने इसे जला दिया अब मेरी जड़ी-बूटी कैसे बनेगी?” महिला घबराते हुए बोली।

“अब तुम्हें किसी जड़ी-बूटी की ज़रूरत नहीं है।” सन्यासी बोला।
“जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अन्दर प्रेम भाव जागृत करो।”

महिला सन्यासी की बात समझ गयी, अब उसे उसकी जड़ी-बूटी मिल चुकी थी।



एक निर्माणाधीन भवन की सातवीं मंजिल से ठेकेदार ने नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज दी।

निर्माण कार्य की तेज आवाज के कारण मजदूर सुन न सका कि उसका ठेकेदार उसे आवाज दे रहा है।

ठेकेदार ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक 1 रुपये का सिक्का नीचे फेंका जो ठीक मजदूर के सामने जा कर गिरा।

मजदूर ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया।

अब उसका ध्यान खींचने के लिए ठेकेदार ने पुनः एक 5 रुपये का सिक्का नीचे फेंका।

फिर 10 रुपये का सिक्का फेंका।

उस मजदूर ने फिर वही किया और सिक्के जेब में रखकर अपने काम में लग गया।

यह देख अब ठेकेदार ने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और मजदूर के ऊपर फेंका जो सीधा मजदूर के सिर पर लगा।

अब मजदूर ने ऊपर देखा और ठेकेदार से बात चालू हो गयी।

ऐसी ही घटनायें हमारे जीवन में भी घटती रहती हैं।

भगवान हमसे संपर्क करना, मिलना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियांदारी के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम भगवान को याद नहीं करते।

भगवान हमें छोटी-छोटी खुशियों के रूप में उपहार देता रहता है लेकिन हम उसे याद नहीं करते और वो खुशियां और उपहार कहाँ से आये यह न देखते हुए, उनका उपयोग कर लेते हैं और



भगवान को याद ही नहीं करते।

भगवान् हमें और भी खुशियों रूपी उपहार भेजता है लेकिन उसे भी हम हमारा भाग्य समझ कर रख लेते हैं, भगवान् का धन्यवाद नहीं करते, उसे भूल जाते हैं।

तब भगवान हम पर एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ या दुख कहते हैं फिर हम तुरन्त उसके निराकरण के लिए भगवान की ओर देखते हैं, याद करते हैं।

यही जिन्दगी में हो रहा है।

यदि हम हमारी छोटी से छोटी खुशी भी भगवान के साथ उसका धन्यवाद देते हुए बाँटें, तो हमें भगवान के द्वारा फेंके हुए पत्थर का इन्तजार ही नहीं करना पड़ेगा।



एक पुराना मन्दिर था। दरारें पड़ी थीं। खूब जोर से वर्षा हुई और हवा चली। मन्दिर बहुत-सा भाग लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उस दिन एक साधु वर्षा में उस मन्दिर में आकर ठहरे थे। भाग्य से वे जहाँ बैठे थे, उधर का कोना बच गया। साधु को चोट नहीं लगी।

साधु ने सबेरे पास के बाजार में चंदा करना प्रारम्भ किया। उन्होंने सोचा – 'मेरे रहते भगवान् का मन्दिर गिरा है तो इसे बनवाकर तब मुझे कहीं जाना चाहिये।'

बाजार वालों में श्रद्धा थी। साधु विद्वान थे। उन्होंने घर-घर जाकर चंदा एकत्र किया। मन्दिर बन गया। भगवान् की मूर्ति की बड़े भारी उत्सव के साथ पूजा हुई। भण्डारा हुआ। सबने आनन्द से भगवान् का प्रसाद लिया।

भण्डारे के दिन शाम को सभा हुई। साधु बाबा दाताओं को धन्यवाद देने के लिये खड़े हुए। उनके हाथ में एक कागज था। उसमें लम्बी सूची थी। उन्होंने कहा – 'सबसे बड़ा दान एक बुढ़िया माता ने दिया है। वे स्वयं आकर दे गयी थीं।'

लोगों ने सोचा कि अवश्य किसी बुढ़िया ने सौ-दो-सौ रुपये दिये होंगे। कई लोगों ने सौ रुपये दिये थे। लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।

जब बाबा ने कहा – 'उन्होंने मुझे चार आने पैसे और थोड़ा-सा आटा दिया है।' लोगों ने समझा कि साधु हँसी कर रहे हैं।

साधु ने आगे कहा – 'वे लोगों के घर आटा पीसकर अपना काम चलाती हैं। ये पैसे कई महीने में वे एकत्र कर पायी थीं। यही उनकी सारी पूँजी थी। मैं सर्वस्व दान करने वाली उन श्रद्धालु माता को प्रणाम करता हूँ।'

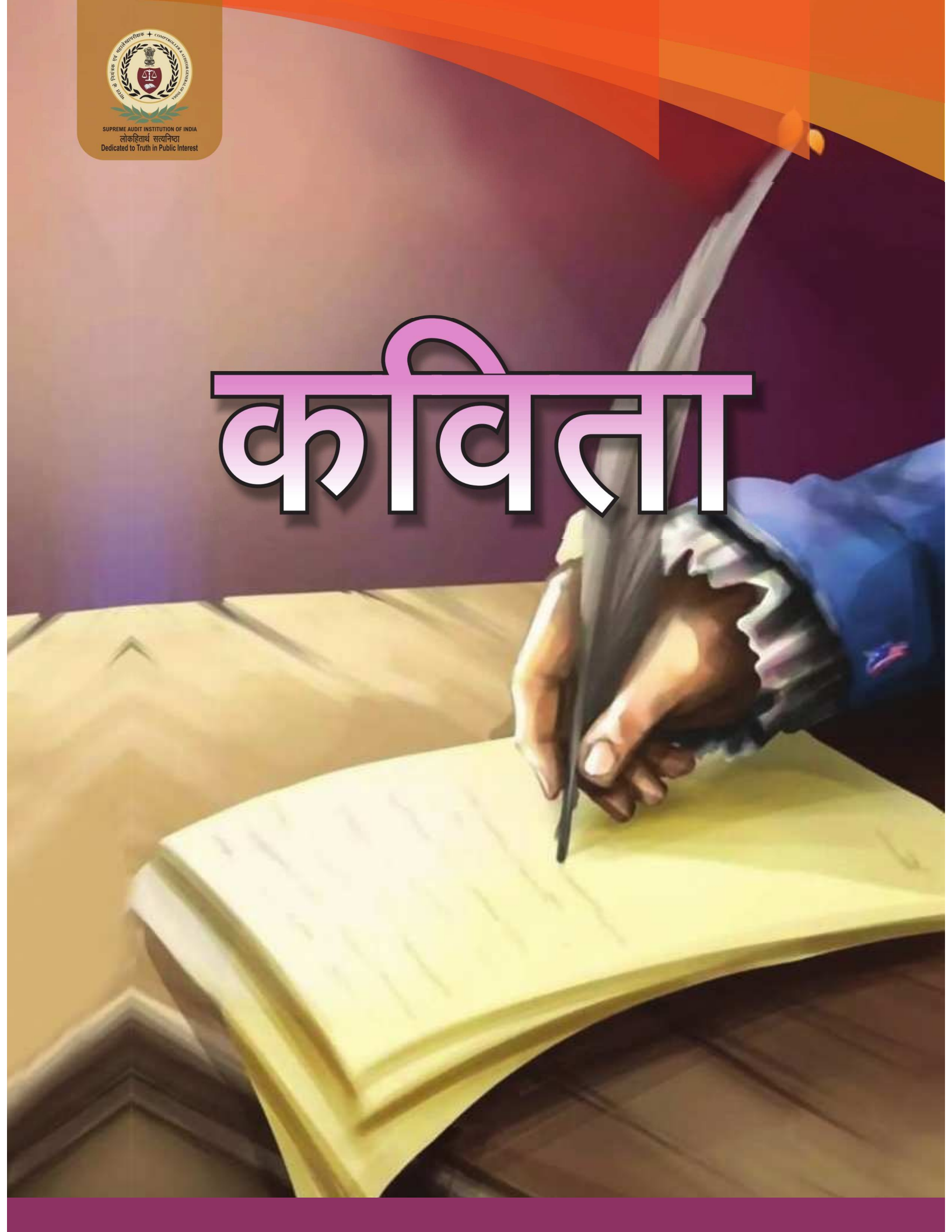
लोगों ने मस्तक झुका लिये। सचमुच बुढ़िया का मन से दिया हुआ यह सर्वस्व दान ही सबसे बड़ा था।





SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कविता



आज की दशा

हरभजन सिंह

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हरियाणा, चण्डीगढ़

दुनिया अजब रंग दिखा रही है आज,
अपनों की कम परायों की कदर बढ़ रही है
आज ।
भाई के खून का प्यासा भाई है आज,
मां का निरादर इस तरह हो रहा है आज ।
बेटा बाप की सुनता नहीं है आज,
बेटा बाप को आंखें दिखाता है आज ।
बात-बात पर चलते हैं चाकू आज,
क्रोध इस तरह बढ़ रहा है आज ।

पड़ोसी को पड़ोसी की खबर नहीं है आज,
व्यक्ति बेखबर हुए जा रहा है आज ।
दोस्त भी अवसर पाकर बदल जाते हैं आज,
इस तरह दोस्ती निभाई जा रही है आज ।
हर व्यक्ति के दिल में प्रतिशोध है आज,
इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं आज ।

जिंदगी का सफर

चाँद सिंह दहिया

सहायक लेखा अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० व ह०)

हरियाणा, चंडीगढ़

जिंदगी के सफर ने,
हमें अकेले जीना,
अकेले ही खुश रहना सिखा दिया।
बदल जाता है जब कोई अपना,
हमें भी बदलना सिखा दिया
समेट कर अपने दिल के टुकड़े,
खुद ही सम्भलना सिखा दिया।
कितना भी बना रहे दर्द जिंदगी में,
हमें मुस्कुराना सिखा दिया।
हम बहुत हँसते थे,
जिंदगी ने आज रोना सिखा दिया।
सबके साथ बैठना अच्छा लगता था,
आज अकेले रहना सिखा दिया।
बातें करने का शौक बहुत था हमें,
जिंदगी ने आज चुप रहना सिखा दिया।
बच्चे फेशबुक और व्हाटसप में खो गए,
जिंदगी ने हमें बेगाना बना दिया।

छूट गए जो सफर में,
वो मेरे अजीब थे हम कुछ नहीं थे उनके,
पर वो मेरे दिल के करीब थे।
जिंदगी सफर में खुद से रूबरू करती रही मुझे,
है सफर ही जिंदगी, ये बताती रही मुझे।



ये मजबूरियाँ

विक्रम सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (ले० व ह०)

हरियाणा, चंडीगढ़

किस-किस से क्या-क्या करवाती है,
ये मजबूरियाँ
बच्चों से चौराहे पर गाड़ियों के शीशे साफ करवाती हैं,
ये मजबूरियाँ
विकलांग, विवश में चौराहे पर भीख मंगवाती हैं,
ये मजबूरियाँ
कोई कुछ देता है तो कोई दुत्कारता है,
लेकिन फिर भी जीवन का बोझ दुलवाती हैं,
ये मजबूरियाँ

गरीब जब पिसता है जिम्मेदारी और गरीबी के बीच,
परिवार की जरूरतों को कैसे-कैसे पूरा करवाती हैं,
ये मजबूरियाँ
कोई जागता है रातों को तो कोई सोता ही नहीं,
जिम्मेदारियों का बोझ कैसे-कैसे उठवाती हैं,
ये मजबूरियाँ

कोई मस्त है जीवन की चकाचौंध में,
तो किसी से दो वक्त की रोटी के लिए,
दिन रात काम करवाती हैं,
ये मजबूरियाँ
किस्मत के लेख किसने देखे,
लेकिन क्या-क्या दिखाती हैं,
ये मजबूरियाँ
कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम,
पर सब को जिंदगी के मैदान में दौड़ लगवाती हैं,
ये मजबूरियाँ

जिनके पढ़ने-लिखने की थी उम्र,
वो घर को चला रहे हैं,
और हम उनको चाय की दुकान पर
छोटू-छोटू बुला रहे हैं
वो छोटू कितना बड़ा हैं हम ये न पहचान रहे हैं
उसकी भी है उम्र खेलने की,
लेकिन मजबूरियाँ उसका बचपन सूखा रही हैं
सूखा जीवन, सूखी खुशियाँ,
उसकी तो हंसी भी सूखा रही है,
ये मजबूरियाँ

हमें क्या पता, हम तो चाय
पीने में ही खुश हो रहे हैं
उसका तो घर ही चला रही हैं,
ये मजबूरियाँ

जीवन की भाग-दौड़ में सब भागे जा रहे हैं
और सबको दौड़ा रही है,
ये मजबूरियाँ

किसी की दुकान तो किसी का व्यापार
किसी का मकान चला रही है,
ये मजबूरियाँ

किस-किस से क्या-क्या करवाती है,
ये मजबूरियाँ
किस-किस से क्या-क्या करवाती है,
ये मजबूरियाँ

हिन्दी

सुश्री पूनम शर्मा

हिन्दी अधिकारी

महालेखाकार (लेखा एवं हक)

उत्तराखण्ड का कार्यालय, देहरादून

हिन्दी में हमारी बात नहीं
और अंग्रेजी में हम उस्ताद नहीं
अंग्रेजी बोलकर मज़ाक अपना बनवाते हैं
क्या करें लेकिन
हिंदी बोलने में भी तो हम शरमाते हैं

हेलो हाय गुड मोर्निंग की परंपरा चल पड़ी है
हिंदी तो बेचारी कोने में अपना
सुप्रभात लिए खड़ी है।
मत बनाओ जटिल मुझे
रहने दो सहज सरल सा
मत बांधो सीमाओं में मुझको
बहने दो नीर अविरल सा।

छोटे छोटे शब्द मेरे अर्थ बहुत ही गहरे हैं
फिर भी सोच पछताती हूं बहुत
क्यों लगा दिए मुझ पर इतने पहरे हैं।

क्यों सकुचाते हो भला इतना
समक्ष सबके मुझे तुम बोलने में
और कितने वर्ष लगाओगे तुम
हिन्दी को अंग्रेज़ी से तोलने में।

बतलाओ इतना कि
भावनाओं का कोई मोल हो सकता है क्या
भूलकर निज आषा को
कोई चैन की नींद सो सकता है क्या।

चलो इतना ही बता दो
चलो इतना ही बता दो
ड्रीम्स अच्छे लगते हैं
या सलोने स्वप्नों में खो जाना?
भले लगते हैं रैप सॉन्स
या मां की लोरी सुनते सुनते सो जाना।

कहे देती हूं कि मैं तुम्हारी अपनी हूं
अपनों से मुंह मोड़ा नहीं जाता
और भाषा होती है मां समान
उसे ऐसे ही तो डूबते हुए छोड़ा नहीं जाता।

चल रहा हिन्दी का संघर्ष वर्षों से जो
उस संघर्ष को अब मिटाना होगा
मेरी भाषा का, या अब कहूं हिन्दी राजभाषा का
खोया सम्मान खोया अभिमान लौटाना होगा।

फूल और कलियाँ

(भाग 1)



आलोक शर्मा (सेवा निवृत्त)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)
फ्लैट B1, सत्यम अपार्टमेन्ट, B55,
शालीमार गार्डन ऐक्सटेंन्सन 2,
साहिबाबाद, गाजियाबाद

(1)

दिन प्रतिदिन घनी हो रही, कोहरे की विस्तृत चादरा
अनचाही अतिथि है यह, नहीं करना इसका आदर।।

(2)

कैसा मौसम हो गया, जीवन हुआ कठिन नितान्त।
दिनभर कम्बल सन्ध्या रजाई, दुरुह हुआ निशान्त।।

(3)

चिल्ला जाड़े में तीन सहेली, चाय अदरक रजाई।
जामे सै तजी एकहु तौ समझौ, वाकी शामत आयी।।
वाकी शामत आयी, छींक हो जावैगी फिर चालू।
बहैगी नाक पतरी पतरी, लाद कपड़ा दीखौगे भालू।।
“आलोक” बैठत धूप में, कम्बल कौ घूँघट काढ़े।
कैसेहु कट जायें मरे, चालीस दिन चिल्ला जाड़े।।

(4)

‘उद्वण्ड ठन्ड’ का ‘इलाज’, ‘लहसुन राजा’ के पास।
‘बचाव निवारण’ पूरा पूरा, मत होना ‘उदास’।।
मत होना ‘उदास’, ‘दो कली’ प्रातः खाली पेट चवाना।
दोपहर दाल में हींग जीरा लहसुन ‘तड़का लगाना’।।
तवे पर भून खाते ‘आलोक’, लहसुन कर खण्ड खण्ड।
परास्त हो जाता असह्य भीषण जाड़ा उद्वण्ड।।

(5)

तन घड़ा नीर भरा, रिसता जल सतत प्रति क्षण।
न नव जलभरण, रीता ज्यों घड़ा, अनिवार्य मरण।।

(6)

“आशावादी” देखता, “आपदा” में भी सफलता की “आशा”।
“निराशावादी” पढ़ता “अबसर” में भी “संशय” की “भाषा”।।

(7)

भगवान बिराज के दूर, निरखत हैं चहुँ ओर।
दृष्टि इतनी सशक्त, छूटत नाय कोउ छोरे।।

छूटत नाय कोउ छोरे, राखत लेखा सबके कामों का।
खाता खोल रखा है उन्होंने, सब ही के नामों का।।
कर धोखेवाजी लूटपाट, कितने भी बनो धनवान।
प्लस माइनस कर रहे खाते में, दूर बैठ भगवान।।

(8)

जीवन का सत्य जानता प्राणी, फिर भी भीतर अकड़ प्रवल।
मौन हो जायेगा बोलते बोलते, भस्म बनेगा शरीर विमल।।

(9)

आने वाले आते जगत में और जाने वाले जाते।
कार्य निहित किया ईश्वर ने जो, वह ही बस कर पाते।।
वह ही बस कर पाते, लगे रहते हर क्षण आपाधापी में।
अनगिन इच्छाएं रह जातीं लिखी, ठठरी की कॉपी में।।
सुनहरे दिनों के कभी कभी, पड़ जाते जीवन में लाले।
पता नहीं चलता जन को, काले दिन अब हैं आने वाले।।

(10)

नाना नानी के हाथों में, यदि बच्चों के हाथा।
समझो अनुभव-ज्ञान का, है अबोधों से साथ।।
है अबोधों से साथ, उनका व्यक्तित्व अवश्य निखरेगा।
चरित्र भविष्य होंगे स्वर्णिम, उनका तेज बिखरेगा।।
प्रेम-ममता मय स्वादिष्ट पौष्टिक, प्रतिदिन मिलेगा खाना।
दूसरे की धरोहर समझ, देखभाल करेंगे नानी नाना।।

(11)

यूँ तो या ‘आकर्षक संसार’ में, सर्वत्र व्याप्त ‘आलोक’।
पर ‘हरि नाम’ ही ‘अलौकिक’, ‘भज’ ले रह ‘भूलोक’।।

(12)

उँआ उँआ करता आता जग में, बन धुँआ उड़ जाता।
काया माया चक्की में रहता पिसता, व्यर्थ जीवन गँवाता।।

(13)

शिशिर ऋतु में आदमी, शि शि कर शिशियाता
कड़ाके की पड़त ठण्ड, खून पूरौ जम जाता।
खून पूरौ जम जात, रक्तचाप छलौंग मारता
जीभ ससुरी हर पल, गर्म चटपटौ माँगता।
हाथ पैर चलत नाय, काम होत घिसिर घिसिरा
साली सम मन भावत धूप, आवत जवानी जब शिशिरा।

(14)

स्वर्णकान्तिमय मुखमण्डल, प्रकटा ज्यों ही नव वर का,
सुहाग सेज जगमग दमकी, बधू हर्षित मनकलश ढरका।

(15)

सगुण जब नयनों के सम्मुख, क्यों निर्गुण को ध्याऊँ?
नित करत जब साकार दर्शन, क्यों निराकार को चित लाऊँ?

(16)

सीधी कमर जात टूट, जब पड़त वक्त की मारा
मन ही मन खुशी मनाबत, जो कबहु खाबत थे खारा।
जो कबहु खाबत थे खार, उनके मन में लड़्डू फूटता।
बिन आवाज के दीवाली पटाखे, खुशी में छूटता।
न दीखत उनकू हालत पतली काऊ की दुख में बीधी।
व्योहार करत बनावटी, न करत बात कोई सीधी सीधी।

(17)

पुष्पवाटिका में जब मिली थीं तुम,
तब ही तुमको पहचान गया था
तुम ही अमला श्री कमला हो मेरी,
मन मेरा निश्चय कर मान गया था।
मैं भी तो जान गयी थी हे श्रीपति!
तुम ही मैं जिनके चरणों की दासी
तुम ही अवतरित त्रिलोक स्वामी,
तुम ही हर जीव हृदय निवासी।

(18)

बनने न दो देश को, ऐसी एक सराय,
जब जो चाहे आय, आकर बस जाय।
लूटे खसूटे देश को मुफ्त गुलछरें उड़ाय,
शोषण करे हमारा, हम पर ही सतराय।

(19)

दुर्गम कर्ममार्ग में आतीं कठिनाइयाँ निश्चित,
पर हठी कर्मयोगी डिंगते नहीं किंचित,
पहुँचते लक्ष्य पर, कर कर्मफलबृक्ष सिंचिता

(20)

बड़ भागी रे तू फूल हिंडोला! बिराजे राधा संग कुंज बिहारी
तेज सै तेज मिलौ दौनन कौ, अति दुर्लभ छवि सुरन निहारी।

(21)

असत्य तो पगहीन, सत्य का बस आधार।
असत्य की निश्चित पराजय, सत्य की जय जयकार।

(22)

पति पिलाय पत्नी को या पत्नी पति को पिलाय,
एक प्याला गर्म चाय का परस्पर प्रेम बढ़ाया।

(23)

हठी का पूरा जीवन बीतता, अपनी हठधर्मिता निभाने में
बात करता सीमित, गँवाता समय मारने उलाहने में।

(24)

जहाँ बैठ तुम खाते खाना, वह भारत माँ की गोद है
क्षम्य नहीं कोई भी छल इससे, क्या इसका तुमको बोध है?

(25)

"परहित" के संसर्ग में, "पात्रता" का महती "स्थान"
कौन "सुपात्र" कौन "कुपात्र", कौन कराए "ज्ञान"?

(26)

सुन मुरली की तान मधुर, ब्रज की सब गइयाँ हर्षाईं
छोड़ छाड़ घास पात नीर, प्रभु के सानिध्य में आईं।

(27)

स्निग्ध स्मृतियाँ सहलार्ती, हृदय पट सदा।
स्नेहिल क्षण, आ जाते अनायास यदा कदा।

(28)

वात्सल्य रस की अगाध गड़गा, माँ के उर में है बहती।
ममता निर्झर से सतत धार, अनवरत झरती रहती।

(29)

आलू बथुआ के गरम पराठे, संग रायता बथुआ चटनी मिर्च अचारा
खालें यदि अप्रसन्न फूफा, छोड़ दें अप्रसन्नता के सारे विचारा।
छोड़ दें अप्रसन्नता के सारे विचार, सलहज के हरपल गुण गावें।
कहकर बनवावें सब आइटम प्रतिदिन, गरम गरम खावें।
कहत "आलोक" हमकू तौ भैया, भाबत चटपटौ साग कचालू।
संग में देशी घी के चार, कुरकुरे पराठे आलू।

(30)

राम कृष्ण बुद्ध का देश, महान ज्ञान विज्ञान बल खान
पर मानस प्रदूषित कर रहे, राजनीति में पिटे हुए पहलवान।



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मुख्यालय समाचार



मुख्यालय समाचार

(अवधि जुलाई-सितम्बर, 2024)



अनुराग प्रभाकर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली

1. हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

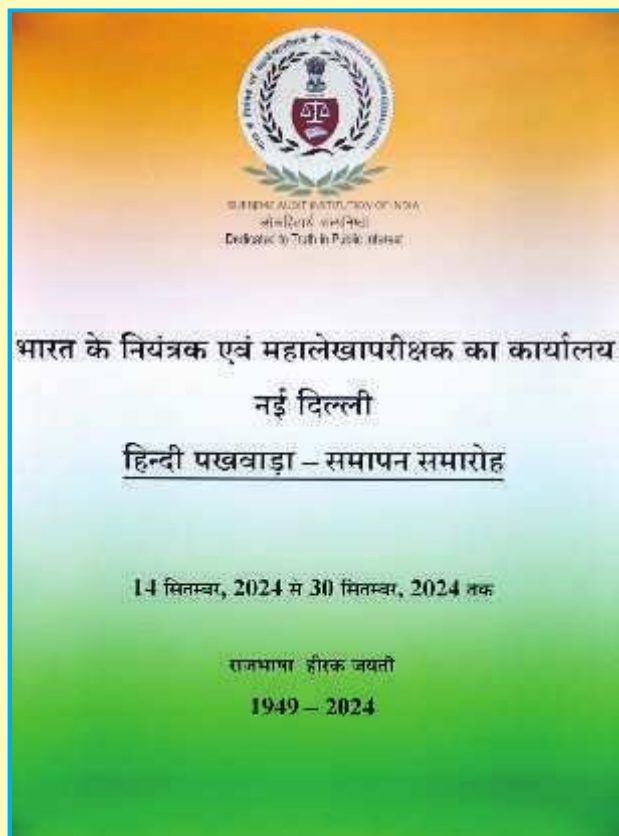
मुख्यालय में दिनांक 14.09.2024 से 30.09.2024 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का कई चरणों में आयोजन किया गया जिनमें, नई दिल्ली में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता, पुस्तक प्रदर्शनी एवं हिन्दी भाषा पर आधारित अनेक प्रतियोगिताओं सहित कई आयोजन सम्मिलित थे। आइए, आपसे उन विवरणों को साझा करें।

1.1 नई दिल्ली में आयोजित सजभाषा समारोह में सहभागिता

दिनांक 14-15 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के मंडपम सभागार में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यालय के महानिदेशक (राजभाषा) सहित राजभाषा अनुभाग के अन्य अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

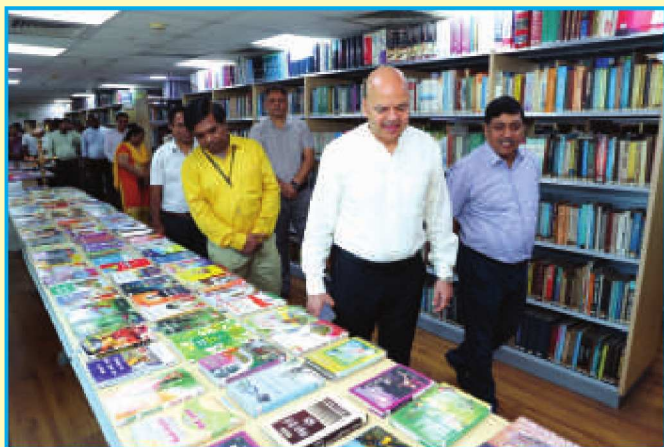
1.2 पुस्तक प्रदर्शनी

इस दौरान मुख्यालय के पुस्तकालय में मुख्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” समेत विभिन्न विषयों पर लिखी गई समकालीन हिन्दी पुस्तकों की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ जिसका उद्घाटन अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय द्वारा किया गया। पुस्तकालय हाल में आयोजित प्रदर्शनी मुख्य अतिथि एडीएआई श्री प्रमोद कुमार





का स्वागत महानिदेशक (राजभाषा) द्वारा किया गया। माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष एडीएआई महोदय ने अष्टदीप ज्योति का पहला दीप प्रज्ज्वलित किया। चली आ रही परंपरा के विपरीत सभी आठों दीपकों को अनुभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रज्ज्वलित कर सरस्वती माँ के चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात एडीएआई महोदय द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। पुस्तकों के संकलन एवं विविधता से महानिदेशक (राजभाषा) ने एडीएआई को अवगत कराया। कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं



कर्मचारियों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से राजभाषा हिन्दी में लिखी गई एवं लिखी जा रही नई तथा पुरानी पुस्तकों का परिचय प्राप्त किया तथा उस पर चर्चा की। इस प्रकार मुख्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का सफल आयोजन हुआ।

1.3 राजभाषा प्रतियोगिताएं

हिन्दी पखवाड़े के आयोजन का यह एक ऐसा चरण है जो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मन में कई प्रकार की जिज्ञासा को जन्म देता है। प्रतियोगिताएं कैसी होंगी, उनका स्वरूप कैसा होगा, पुरस्कार किन्हें मिले या मिलेंगे इत्यादि। इस बार इन प्रतियोगिताओं में कार्यालय के अधिकतर अनुभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया था जिससे इनके माध्यम से प्रतिभागियों के हिंदी भाषा के लेखन,



अनुवाद, सम्प्रेषण एवं टंकण कौशल की समग्र रूप से जांच हो सके। इनमें मुख्यतः निबंध, अनुवाद, वर्गपहेली तथा टिप्पण एवं प्रारूपण सम्मिलित थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इन प्रतियोगिताओं के परिणाम भी हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह के दौरान जारी किए गए।

1.4 समापन समारोह

दिनांक 30.09.2024 को सम्पन्न होने वाले समापन समारोह का प्रारम्भ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय एवं विशेष अतिथि उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर एवं समन्वय) महोदय के स्वागत से हुआ। जिसके पश्चात् महानिदेशक (राजभाषा) ने अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का स्वागत किया।



तत्पश्चात कार्यालय की ही सुश्री सुतपा, प्रमोदिनी, रश्मि सानन एवं पूनम पाहुजा ने मधुर गीत एवं संगीत के साथ माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम का औपचारिक रूप से प्रारम्भ किया। वहाँ उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से



सरस्वती वंदना के गायन एवं सुर सज्जा की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय द्वारा की गई।

कार्यक्रम के अगले चरण में कार्यालय की गृह पत्रिका “लेखापरीक्षा” के 147-148वें संयुक्तांक का विमोचन भी कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय द्वारा किया गया। यह इस मायने में ऐतिहासिक था कि कार्यालय की गृह पत्रिका के पिछले कुछ वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ।



अपने उद्बोधन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने समारोह में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए ऐसे भव्य आयोजन का प्रबंधन करने पर मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग को बधाई दी तथा राजभाषा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता



एवं कार्यकुशलता की सराहना की। राजभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा में कार्य करना स्पष्टता से विचलित होना बिलकुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राजभाषा में सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी भी विषय के कठिन से कठिन तथ्य को भी सरलतम तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है। उपयोग में कम आने वाले शब्दों के प्रयोग करने का उन्होंने सुझाव दिया। अंत में उन्होंने सीएजी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अधिकतम सरकारी कार्य हिन्दी में करने का आह्वान किया।

उनके सम्बोधन के पश्चात अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय ने सभा को संबोधित किया। सर्वप्रथम उन्होंने राजभाषा अनुभाग को सीएजी मुख्यालय द्वारा विकसित किए गए मॉड्यूल (ऑनलाइन राजभाषा मॉड्यूल सिस्टम-

ऑनलाइन राजभाषा मॉड्यूल प्रणाली या ओआरएमएस) एवं राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा विकसित की गई अनुवाद प्रयुक्ति कंठस्थ 2.0 के सफल उपयोग की शुरुआत करने पर बधाई दी एवं अनुभाग की सराहना की। ओआरएमएस की चर्चा करते हुए उन्होंने अतिथियों को बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन को पहले ऑफलाइन मोड में मुख्यालय प्रेषित किया जाता था जिसे ओआरएमएस की सहायता से अब ऑनलाइन प्रेषित किया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी तथा आंकड़ों की शुद्धता एवं यथार्थता भी बढ़ेगी। कंठस्थ 2.0 के संबंध में उन्होंने सभा को बताया कि इस अनुवाद प्रयुक्ति में इसके पिछले संस्करण की



तुलना में बहुत सुधार हुआ है। इसका शब्दभंडार भी काफी बढ़ा है। इससे हमें निजी अनुवाद प्रयुक्तियों जैसे गूगल ट्रांसलेट आदि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों समेत मुख्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा जारी की गई कंठस्थ प्रयुक्ति का रिपोर्ट के अनुवाद एवं अन्य कार्यालयीन उद्देश्य हेतु उपयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया। पत्रिका के 146वें तथा 147-148वें अंक में प्रारम्भ किए गए नए स्तंभों की विषय वस्तु की उन्होंने अत्यंत सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय की गृह पत्रिका में ऐसे नवीन व अभिनव प्रयोगों का स्थान सदैव बना रहना चाहिए जिससे पत्रिका के संबंध में





पाठकों की जिज्ञासा बनी रहे। विशेष रूप से उन्होंने मुख्यालय समाचार का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे स्तंभों से क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी भी पत्रिका के माध्यम से मुख्यालय की गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि मुख्यालय की प्रत्येक गतिविधि के प्रभाव से कोई क्षेत्रीय कार्यालय अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी हमारा कार्यालय गृह पत्रिका एवं राजभाषा में कार्य करने के अपने इसी स्तर को न सिर्फ बनाए रखेगा बल्कि नए प्रतिमान भी रचेगा। उनके प्रेरणादायी भाषण का उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तालियाँ बजाकर स्वागत किया।

अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संबोधन के पश्चात् समारोह के अध्यक्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय ने कार्यालय की तरफ से आयोजित अधिकारी एवं



कर्मचारी संवर्ग हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर एवं समन्वय) महोदय ने हिंदी में पूरे वर्ष में सबसे अधिक कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया। उपस्थित सभी अधिकारियों / कर्मचारियों ने विजेताओं का मानवर्धन करतल ध्वनि से किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय के भाषण व पुरस्कार वितरण के उपरांत पखवाड़े का समापन महानिदेशक (राजभाषा) के धन्यवाद भाषण के द्वारा हुआ। अपने उद्बोधन में उन्होंने समापन समारोह में भारी संख्या में उपस्थित



अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रतियोगिता की जीत व हार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के राजभाषा के प्रति समर्पण का मापदंड नहीं है। राजभाषा के प्रति निष्ठा एवं समर्पण भाव से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जाना ही इस देश की राजभाषा के प्रति सेवा भावना की असली कसौटी है। उन्होंने इस कसौटी पर खरे उतरने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्साहवर्द्धन किया एवं आशा प्रकट की कि अगले वर्ष इससे भी अधिक संख्या में इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाएगा।

प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय और उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए



2. समझौता ज्ञापन:

2.1 सऊदी अरब

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने गत 30 अगस्त 2024 को रियाद, सऊदी अरब में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (एसएआई) सऊदी अरब के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान सऊदी अरब के सामान्य लेखापरीक्षा न्यायालय (एसएआई सऊदी अरब) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।



सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के क्षेत्र में वित्तीय, प्रदर्शन और अनुपालन लेखा परीक्षा से संबंधित विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और लेखा परीक्षा मैनुअल और लेखा परीक्षा पद्धतियों का आदान-प्रदान करना शामिल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा, एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमारे संस्थानों के साझा मूल्यों और उद्देश्यों की गवाह है और यह हमारे एसएई और हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि दोनों एसएआई के बीच समर्थन और सहयोग उनकी क्षमता विकास पहल को सक्रिय करेगा और दोनों एसएआई के बीच

ज्ञान और सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। सऊदी अरब के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉ. हुसाम अब्दुलमोहसन अलंगारी ने दोनों सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की क्षमता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस समझौते से उनकी वाह्य लेखापरीक्षा प्रथाओं को बढ़ाया और बेहतर बनाया जा सकेगा एवं दोनों एसएआई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

2.2 बहरीन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने बहरीन के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए मनामा में एसएआई बहरीन, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय, बहरीन साम्राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

दोनों सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य लेखापरीक्षा गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना, दोनों देशों के स्टाफ सदस्यों के व्यावसायिक कौशल का विकास करना है। इस



समझौता ज्ञापन के माध्यम से लेखापरीक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण गतिविधियों, विशेषज्ञों के दौरों और तकनीकी सूचनाओं तथा अनुसंधान आउटपुट के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच की स्थापना की जाएगी।

भारत के सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मु ने साझेदारी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "यह समझौता ज्ञापन हमारे एसएआई के बीच ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण पहलों को संचालित करने के लिए कई रास्ते खोलेगा।" भारत के सीएजी का मानना है कि "दोनों एसएआई की मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता हमारे संस्थानों के साझा मूल्यों और उद्देश्यों का प्रमाण है, और यह हमारे एसएआई और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा।"

श्री अहमद मोहम्मद बिन अल-खलीफा, महालेखापरीक्षक, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय, बहरीन ने दोनों संस्थाओं की व्यावसायिक क्षमता और लेखापरीक्षा पद्धतियों को विकसित करने और मजबूत बनाने में समझौते के महत्व पर बल दिया।

2.3 उज्बेकिस्तान

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए ताशकंद में उज्बेकिस्तान गणराज्य के चैंबर ऑफ अकाउंट्स के साथ 13 अगस्त 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

दोनों सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान बढ़ाना है। यह समझौता ज्ञापन लेखापरीक्षा पेशेवरों के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक सहयोग मंच स्थापित करता है ताकि लेखापरीक्षा करने की क्षमता विकसित की जा सके।

भारत के सीएजी, श्री गिरीश चंद्र मुर्मु ने साझेदारी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "हमारा समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएआई के बीच सहयोगात्मक प्रयास और ज्ञान साझा करना सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव समाधानों के प्रसार को बढ़ावा देता है, जिससे विशेषज्ञता का एक वैश्विक नेटवर्क बनता है।" श्री मुर्मु ने समझौता ज्ञापन के व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "यह समझौता ज्ञापन हमारे संस्थानों के लिए सहयोगी जुड़ाव के एक नए चरण को अपनाने की तात्कालिकता को समाहित करेगा। हमें एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से बहुत कुछ सीखना है।"



उज्बेकिस्तान गणराज्य के चैंबर ऑफ अकाउंट्स के अध्यक्ष श्री अदीज़ मुज़फ़्फ़रोविच बोबोयेव ने अपने संस्थान की व्यावसायिक क्षमता और लेखापरीक्षा पद्धतियों को विकसित करने और मजबूत करने में समझौते के महत्व पर बल दिया।

श्री बोबोयेव ने सहमति ज्ञापन के व्यापक दायरे में चैंबर ऑफ अकाउंट्स में संस्थागत लेखापरीक्षा को मजबूत करने के प्रति आशा व्यक्त की, जिससे अधिक जवाबदेही और बेहतर प्रशासन का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत और उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (एसएआई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर घनिष्ठ संबंधों

और सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो लेखापरीक्षा प्रथाओं में उत्कृष्टता के लिए साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ताशकंद की अपनी यात्रा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्री मुर्मू ने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति केंद्र का भी दौरा किया।

2.4 भारत के राष्ट्रपति ने एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान सभा का उद्घाटन किया

सीएजी संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है और देश के सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात भारत की राष्ट्रपति, सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने आज यहां 16वीं एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था संगठन (एसओएसआई) सभा के उद्घाटन समारोह में कही। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सीएजी संस्थान का सार्वजनिक लेखापरीक्षा का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त

किया कि 16वीं एसोसाई सभा के मेजबान के रूप में साई इंडिया सभा में एकत्रित प्रबुद्ध व्यक्तियों के विचार-विमर्श में बहुत कुछ पेश करेगा। उन्होंने 2024 से 2027 की अवधि के लिए एसोसाई की अध्यक्षता संभालने के लिए साई इंडिया को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के सीएजी के कुशल नेतृत्व में, एसोसाई सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगा।

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भारत के सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि एसोसाई सदस्य साई के बीच सूचना-साझाकरण, क्षमता-निर्माण और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। श्री मुर्मू ने तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साई की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया: “सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटल प्रावधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियां प्रभावी सार्वजनिक सेवा आपूर्ति के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करती हैं। हालांकि, ये प्रगति समाज के वर्गों के लिए पूर्वाग्रह, बहिष्कार और गोपनीयता संबंधी चिंताओं जैसे जोखिम भी पैदा करती हैं। साई को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं समावेशी और पारदर्शी हों।”

2.5 एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में भारत के सीएजी का चुनाव

भारत के सीएजी ने गत 25 सितंबर 2024 को वर्ष 2024-2027 के लिए एसोसाई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। नए अध्यक्ष के समक्ष प्रौद्योगिकी संचालित लेखापरीक्षा एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा जैसी गंभीर चुनौतियाँ मुंह बाए खड़ी हैं।

नई दिल्ली में 1979 में 11 सदस्यों के साथ स्थापित, एसोसाई में 48 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) हो गए हैं, जो सर्वोच्च





लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है। अपने आरंभिक स्थान पर वापसी करते हुए, यह प्रतिष्ठित सभा 42 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है, जिनमें 22 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (साई) के प्रमुख भी शामिल हैं। यह सभा सार्वजनिक लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका ध्यान पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को बढ़ाने पर केंद्रित है।

यह सभा कार्य-स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला से आयोजित की गई। जिसमें 5वीं एसोसाई अनुदान समिति की बैठक, रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा एवं क्षमता विकास गतिविधियां शामिल थीं। महत्वपूर्ण चर्चाओं में, एसोसाई की रणनीतिक योजना (2022-2027) की मध्यावधि समीक्षा एवं तीन नए कार्य समूहों के निर्माण के प्रस्ताव, अर्थात् राज्य स्वामित्व उद्यम पर कार्य समूह (साई मलेशिया), आईटी लेखापरीक्षा एवं आंकड़ा विश्लेषण कार्य समूह (साई इंडिया), क्षेत्रीय एवं नगरपालिका लेखापरीक्षा पर कार्य समूह (साई रूस) शामिल हैं। एसोसाई क्षमता विकास समिति एवं एसोसाई विनियमन के टास्क फोर्स की बैठकें भी हुईं।

भारत के सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 25.9.2024 को नई दिल्ली में मीडिया सलाहकार श्री बी एस चौहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।

2.6 क्षेत्र में लेखापरीक्षा पद्धतियों और शासन में सुधार के लिए नई दिल्ली घोषणा (एसोसाई सभा का समापन)

16वीं एसोसाई सभा आज यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें 42 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा, शासन और जवाबदेही पर चर्चा की।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की मेजबानी में, सभा ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाया, जो एसोसाई सदस्यों की समानता, पारदर्शिता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को सबल करता है। उन्होंने बैंकॉक घोषणा 2021 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए साई थाईलैंड द्वारा की गई विभिन्न पहलों की सराहना की, जिसमें एसोसाई और इसके 48 सदस्यों के लिए आज के न्यू नॉर्मल/नव सामान्य में अधिक लचीलापन, नवाचार और शासन की दिशा में एक मार्ग तैयार किया गया। भारत के सीएजी ने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र बैंकॉक घोषणापत्र पर किए गए प्रयासों पर आधारित होगा और उम्मीद है कि यह एक कदम और आगे बढ़ेगा।

भारत के सीएजी ने एसोसाई के पिछले अध्यक्ष, साई थाईलैंड और साई चीन के महासचिव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने एसोसाई के शासकीय मंडल के सात नवनिर्वाचित साई सदस्यों (अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूएई) और लेखापरीक्षा कमेटी के दो सदस्यों (ईरान और वियतनाम) को बधाई दी।



3. सेवानिवृत्ति

3.1 सुश्री परवीन मेहता :

उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं समन्वय) सुश्री परवीन मेहता 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो गईं। सुश्री मेहता छात्र जीवन से ही प्रतिभाशाली रही हैं। आपने इंग्लैंड से विकास वित्त विषय से एम.एस.सी. की उपाधि प्राप्त की है। भारत में जिस आयु में अधिकांश युवा अभी कैरियर बनाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, उसी बाईस वर्ष की अवस्था में सुश्री मेहता ने भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा में प्रवेश किया। सहायक महालेखाकार के रूप में आपने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी – प्रथम), मुंबई के कार्यालय से अपने व्यावसायिक जीवन का प्रारम्भ किया। कालांतर में वे वित्त मंत्रालय में उपनिदेशक के पद पर भी रहीं। महालेखाकार (एजी) ग्रेड में आपने सर्वप्रथम प्रधान महालेखाकार के कार्यालय आंध्र प्रदेश (अब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना) में कार्य किया। सुश्री मेहता ने सीएजी मुख्यालय के भी महत्वपूर्ण पदों जैसे महानिदेशक (प्रशिक्षण), अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखा) एवं सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया।



आपने विदेशों में भी अपनी सेवाएँ दीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में भी आपने जेनेवा में कार्य किया

जबकि रोम में सम्पन्न हुई खाद्य एवं कृषि संगठन की लेखापरीक्षा के दल में भी आप सम्मिलित थीं। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील, विएना, नांजिंग (चीन) एवं भूटान में भी विभिन्न पदों पर आपने अपनी सेवाएँ दीं। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग आपके सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता है।

3.2 सुश्री सुपर्णा देब:

इतिहास में परास्नातक सुश्री सुपर्णा देब ने वर्ष 1992 में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में प्रवेश किया। आपने सहायक महालेखाकार के रूप में पहली बार महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में कार्यभार ग्रहण किया। अपने व्यावसायिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों को संभालने वाली सुश्री देब ने महालेखाकार (एजी) ग्रेड में सर्वप्रथम महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय उड़ीसा भुवनेश्वर में कार्यभार संभाला। विदेशों में भी आपने न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया, कैरो एवं काबुल जैसे स्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) की लेखापरीक्षा में भी आपने जेनेवा में कार्य किया आप सीएजी मुख्यालय में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी-प्रथम) के महानिदेशक के पद पर भी रहीं। मुख्यालय में अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मध्य क्षेत्र) के पद से आप सेवानिवृत्त हुईं। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग आपके परिवार सहित सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता है।



प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय



प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए
भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय



कैग ने सऊदी अरब के सामान्य लेखा परीक्षा न्यायालय के साथ किया समझौता

नई दिल्ली (विप्र)। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कल रियाद, सऊदी अरब में एसएआई सऊदी अरब के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान सऊदी अरब के सामान्य लेखा परीक्षा न्यायालय (एसएआई सऊदी अरब) के साथ समझौता जपान (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के उद्देश्य से समझौता जपान पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के क्षेत्र में वित्तीय, प्रदर्शन और अनुपालन लेखा परीक्षा से संबंधित विषयों पर अनुपालन लेखा परीक्षा को समर्थित करना

मजबूत द्विपक्षीय संबंध के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमारे संस्थानों के साझा मूल्यों और उद्देश्यों की गवाह है और यह हमारे एसएआई और हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा। भारत के सीएजी ने कहा कि दोनों एसएआई के बीच सहयोग उनकी क्षमता विकास पहल को सक्रिय करेगा और दोनों एसएआई के बीच ज्ञान और सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। सऊदी अरब के जनरल प्रोटेक्शन ऑफिस के अध्यक्ष डॉ. हुसाम अब्दुलमोहसन अलंगारी ने दोनों सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की समता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते के महत्व पर प्रकाश

सीएजी का अनूठा प्रयास

शासन को उत्तरदायी बनाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अनूठा प्रयास शुरू किया है। गुजरात के राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केन्द्र के उद्घाटन अवसर पर सीएजी गिरिधर चंद्र मुर्मू ने स्पष्ट किया कि आखिर स्थानीय निकायों और पंचायतों का लेखा परीक्षा क्यों आवश्यक है। श्री मुर्मू ने स्पष्ट किया कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों में निहित सिद्धांतों से प्रेरित और संघर्षात्मक है, जिसने स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण के एक नए युग की शुरुआत की। इन संशोधनों ने पंचायती और नगरपालिकाओं को सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को योजना और कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायत अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ सशक्त बनाया। उन्होंने निर्माण लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय स्वशासन, उत्तरदायित्व और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ा अगले तरीके से समझाया।

सब तो यह है स्थानीय निकाय और पंचायतों जमीनी स्तर पर काम करती हैं, इसलिए वे नागरिकों के सबसे करीब हैं और वे उनकी आकांक्षाओं को प्रकट करती हैं। सीएजी द्वारा की गई पहल के बारे में समझना जरूरी है कि जब शासन को वित्तीय अधिकार मिले हैं तो उसे अपने कर्तव्यों को भी निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देश के 25 लाख नगर पंचायतों और 200 के लगभग नगर निकायों को खर्च करने के लिए धन तो सरकार उचितभर करा देती है, लेकिन उसे यह हिस्सा न मिले कि उन्होंने धन पाओ की बांटो या कुपाओ को। पैसे का सदुपयोग हुआ अथवा उसका बंदरबांट हो गया। 1987 में प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने विधि विरोध डॉ. लक्ष्मीलाल सिन्घी से पंचायती राज कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए अनुरोध किया। डॉ. सिन्घी विधि वेता तो थे ही संस्थाओं के संरक्षितकरण के बारे में उनका ज्ञान और उनकी समझ दोनों बेजोड़ थी। उन्होंने कई देशों के स्थानीय निकायों खासकर पंचायती राज का जो सिस्टम बनाया उससे पैसे का अभाव तो खत्म हो गया किन्तु उन्हें किसी सरकारी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया। यह जो उत्तरदायी बांधा बना इसमें सरकार के कोष से पैसे तो पंचायतों और शहरी निकायों को मिले किन्तु उन्हें उनके उत्तरदायित्वों का एहसास कराने के लिए व्यवधान नहीं जोड़े गए। पंचायती राज और स्थानीय निकायों की शक्तिशाली तो बढ़ी किन्तु साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ते गए। राज्यो में मौजूद महालेखाकार कार्यालय उनका बही खाता देखाता ही नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार को लगा कि इन संस्थाओं का लेखा परीक्षण आवश्यक है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से सीएजी ने भ्रष्टाचार में दूरी पंचायतों, नगर निगमों, नगर महापालिकाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के प्रयास के बारे में चर्चा शुरू की। धीरे-धीरे विमर्श बना कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो वह व्यवस्था को नबाई हो करता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी कहा करते थे भारत सरकार 100 रूप्य भ्रष्टाचारी है तो बालरत्नमंद लोगों के पास मात्र 10 प्रतिशत पचुपाता है। यानि 90 प्रतिशत राश्री केन्द्र सरकार और पंचायत व स्थानीय निकाय के नियंत्रणगत से पट हो जाती थी। हैरानी की बात है कि सरकारों को इस बात का एहसास और सूचनाएं थी कि सरकार के पैसों को खाने के लिए पंचायतों और शहरी निकाय के भ्रष्ट ग्राम प्रधान, नगर पालिका

राष्ट्रपति ने 16वें एसआई सभन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असेंबली के उद्घाटन समारोह में भाग लिया

एसएआई द्वारा ऑडिट और मूल्यांकन न केवल सार्वजनिक धन की सुरक्षा करता है बल्कि शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाता है: राष्ट्रपति



राष्ट्रपति ने 16वें एसआई सभन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असेंबली के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि एसआई सभन का उद्देश्य है कि शासन में जनता का विश्वास बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि एसआई सभन के माध्यम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एसआई सभन के माध्यम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एसआई सभन के माध्यम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा निकायों को निजता के उल्लंघन, सामाजिक बहिष्कार के बढ़ते जोखिमों से निपटना चाहिए : कैग

नई दिल्ली, (विप्र)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) गिरिधर चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक लेखा परीक्षा निकायों को निजता के उल्लंघन, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार जैसे खतरों से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खराबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है और इसके लिए अनुकूलन तथा शमन आवश्यक है।

कैग ने कहा कि कोई इससे बांचित न रहे? उन्होंने कहा कि कैबिनेट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खराबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है और इसके लिए अनुकूलन तथा शमन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खराबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है और इसके लिए अनुकूलन तथा शमन आवश्यक है।

लेखापरीक्षण से सार्वजनिक धन की सुरक्षा के साथ शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है: मुर्मू

नई दिल्ली, (विप्र)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) गिरिधर चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक लेखा परीक्षा निकायों को निजता के उल्लंघन, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार जैसे खतरों से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खराबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है और इसके लिए अनुकूलन तथा शमन आवश्यक है।

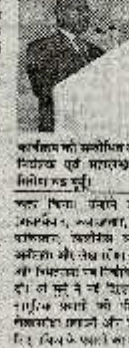
1. कैग देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. कैग देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. कैग देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



नई दिल्ली, (विप्र)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) गिरिधर चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक लेखा परीक्षा निकायों को निजता के उल्लंघन, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार जैसे खतरों से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खराबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है और इसके लिए अनुकूलन तथा शमन आवश्यक है।

नई दिल्ली में पंचायत लेखापरीक्षा प्रथाओं व शासन में सुधार के लिए कार्यरत: कैग

नई दिल्ली, (विप्र)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) गिरिधर चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक लेखा परीक्षा निकायों को निजता के उल्लंघन, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार जैसे खतरों से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खराबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है और इसके लिए अनुकूलन तथा शमन आवश्यक है।



नई दिल्ली, (विप्र)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) गिरिधर चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक लेखा परीक्षा निकायों को निजता के उल्लंघन, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार जैसे खतरों से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खराबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है और इसके लिए अनुकूलन तथा शमन आवश्यक है।

सीएजी - सुर्खियों में

कैंग ने यूएई जवाबदेही प्राधिकरण से एमओयू पर हस्ताक्षर की

किया है और हमारे दो
सौ पैसे में बीमार
पूजा करता है। श्री मु
नि यह समझता था
हजारों के सदस्यों के
और अनुभव के अविश्व
प्रमाण के लिए कई अने
करेगा और इसी हिसा
में सदस्यों और पैसे के
को भी बर्बाद होगा

जहाँ-जहाँ पाँधरका न
 नीय ओर न कुलीफा
 भुक्ति-मन न राजा-न के न
 यो दिख जो दोनों एकर
 लोख पौछा प्रभा
 और केला बन
 पसो तदधोग न मा
 के बीच दिखीय

कैंग द्शी रिपोर्ट तेजी से लिखने के लिए एंआई प्रोटोकॉल की योजना

[illegible]

राष्ट्रपति का समय पर लेखा परीक्षण किए जाने का आह्वान

[illegible]

राष्ट्रपति इंदरदीप मुर्मू
 मैं कि देशा परोक्ष को न केवल गलतरी व
 दुर्गत को बल्कि विदेशी योग है, यहाँ
 शासन को गुणवत्ता के युक्त को लिए उनका युक्त
 का ती को ही एक है
 उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र
 शासन का माध्यम है कि विद्यार्थी को न
 है और अब लोक न्यायाधीशों को माफ
 को पंचायतों को प्रभावशालीता का आकर
 कहा को इसको विदेशी है नाकि

हम में उभर रहा है जो सौम्य अधिक (युनिफ़ॉर्म) बन रहा है। आप सभी को जगो अधिक मत बनो जो चीन को बहुत कम ही बाँटने काबू करता है। उन्नीस को ही मत बनो, फिर एक एक मत से आगे बढ़ो। देश सार्वभौमिक धर्म में पादरक्षित और युनिफ़ॉर्म बनने में सक्षम। चीन का कबोने कहा कि भारतो नोपक्ष नोमिलन को जानके अधिकमत स्थापना अकलत उचित नहीं को।

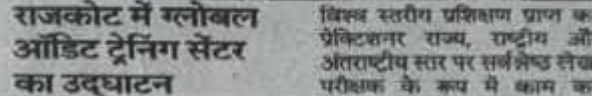
विशेष सत्र बुलाकर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखें : देवेन्द्र

के साथ बराबर की	द्वेन्दु चन्द्र	दिल्ली
मात्र व संख्या	केन्द्रियता हो ना	ने वि
सारे कर्मों ना	के भी ना दिली	का भ
हमारे व संबंधित	सुखान्त मेघ व	परीक्षक
हमारे व संबंधित	विमोक्षी विमो	मोग की
हमारे व संबंधित	विमोक्ष हो। व	सांडग
हमारे व संबंधित	विमोक्ष हो। व	हिली प
हमारे व संबंधित	विमोक्ष हो। व	हरे सार
हमारे व संबंधित	विमोक्ष हो। व	रही है

[illegible]

मैंने जो अपन
लेत्र दूसरी
पुस्तिका कर रहे
यात्रा दिवस
एक नए समीने
में अपने क बर
अनेकी यमने में
हैं। 15 अगस्त
यात्रा के बाद
में सिविलिका
र है।

**गांधीनगर में स्थानांतरित
होगा राज्य के महा लेखाकार
का कार्यालय : मुर्मु**



विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त क
प्रेकिशनर राज्य, राष्ट्रीय औ
अंतराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सेवा
परीक्षक के रूप में काम क

उन्हींने कहा कि यह सीट

विभिन्न देशों में सरकारों से मिलने के विभिन्न आर्कटिक्क व्यवस्थित और आधुनिक अध्ययन करने में इसके आदान-प्रदान के माध्यम से कार्य प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण बदलाव करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मैटर् में राज्य सरकार में पंचायत विभाग, नगर पालिकाओं

एसाई आर्च के प्रति

सीएजी एएसओएसएआई के एशियाई संगठन की मेजबानी को तैयार

को उसीमें है। यह मात्र 42 देशों
एक अंतराष्ट्रीय सन्तानों की
प्रतिनिधित्व करने वाले 200 में से
आधिक प्रतिनिधित्व का साक्ष्य होगा
ले। एएससीएसआई के संकेत
एवं साक्ष्य प्रस्तुती के शक्ति
करने। जगजगदी में सुधार
करने।

[illegible]

बिजली कंपनियों का CAG से ऑडिट कराए सरकार: कांग्रेस
विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

सरकार: काँग्रेस



देने के बावजूद पानी गंदा मिल रहा है। पिछले 10 सालों में मुफ्त बिजली देने पर आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि 200 यूनिट की सब्सिडी मात्र 10 प्रतिशत लोगों को ही मिल रही है। 2015 से 2020-21 तक 6 साल में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट के अंतर्गत 11743 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई जबकि कितनों पर PAC, पेंशन, फिक्स चार्ज, सरचार्ज, जली रेगुलेटरी चार्ज आदि के रूप में सरकार ने 37227 करोड़ खींचे।



देने के बावजूद पानी गंदा मिल रहा है। पिछले 10 सालों में मुफ्त बिजली देने पर आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि 200 यूनिट की सब्सिडी मात्र 10 प्रतिशत लोगों को ही मिल रही है। 2015 से 2020-21 तक 6 साल में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट के अंतर्गत 11743 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई जबकि कितनों पर PAC, पेंशन, फिक्स चार्ज, सरचार्ज, जली रेगुलेटरी चार्ज आदि के रूप में सरकार ने 37227 करोड़ खींचे।



9th ASOSAI SYMPOSIUM

Digital Public Infrastructure and Gender Divide

Issues of inclusion and accessibility

25th September 2024

New Delhi, India





भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124